



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष **2017-2018** के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21
001. राज्य विधान मंडल	22-23
002. मंत्रि परिषद्	24
003. सचिवालय	25-26
004. जिला प्रशासन	27-28
005. प्रशासनिक सेवाएं	29-31
006. न्याय प्रशासन	32-33
007. निर्वाचन	34-35
008. राजस्व	36-37
009. वन	38-42
010. विविध सामान्य सेवाएं	43
011. विविध सामाजिक सेवाएं	44-48
012. अन्य कर	49-53
013. आबकारी	54-55
014. बिक्री कर	56-59
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	60-63
016. पुलिस	64-67
017. कारागार	68
018. जन-सम्पर्क	69-70
019. लोक निर्माण कार्य	71-84
020. आवास	85-87
021. सड़कें एवं पुल	88-99
022. क्षेत्र का विकास	100-104

023.	श्रम तथा रोजगार	105-107
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	108-127
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	128-129
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	130-143
027.	पेय जल योजना	144-167
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	168-170
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	171-183
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	184-249
031.	पुर्नवास एवं सहायता	250
032.	नागरिक आपूर्ति	251-252
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	253-270
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	271-272
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	273-278
036.	सहकारिता	279-280
037.	कृषि	281-294
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	295-296
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	297-299
040.	राजकीय उपक्रम	300
041.	सामुदायिक विकास	301-302
042.	उद्योग	303-307
043.	खनिज	308-313
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	314
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	315
046.	सिंचाई	316-341
047.	पर्यटन	342-343
048.	विद्युत्	344-346
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	347
050.	ग्रामीण रोजगार	348-349
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	350-409
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		410-411

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	14,14,73	..	13,77,59
ब्याज अदायगियां प्रभारित	1,97,86,31,22	..	1,97,19,99,19
लोक सेवा आयोग प्रभारित	47,47,95	..	36,47,39
लोक ऋण प्रभारित	..	1,16,80,64,20	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	63,63,31 48,01	57,96,45 46,15
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	13,79,23	..	11,79,26
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	3,81,57,41 2	3,20,22,88 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	5,07,20,43 9,91	4,43,57,55 9,88
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	2,22,71,57 12,09	70,00,00 ..	2,00,85,68 12,05
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	7,80,15,48 1,49,22,03	7,04,57,99 1,34,97,54

लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	37,14
..	66,32,03
..	11,00,56
1,16,73,65,69	..	6,98,51
..	5,66,86
..	1,86
..	1,99,97
..	61,34,53
..	2
..	63,62,88
..	3
..	21,85,89	70,00,00
..	4
..	75,57,49
..	14,24,49

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
		(₹ सहस्र में)	
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	1,03,60,99 1,36	1,02,02,32 16
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	7,60,57,04 19	6,79,54,19 15
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,55,80,67 65,25	1,24,38,39 ..	6,69,34,93 57,12
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	5,73,33,85	..	5,72,94,91
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	93,07,54 53	25,19,90 ..	64,12,62 50
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	8,50,68,44 5,21	1,00,99,99 ..	7,81,16,76 4,91
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,57,69,11 51	1 ..	1,41,81,86 50
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	11,80,87,03 94	2 ..	10,00,40,40 88
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	1,49,50,42,20 10,00,04	1,39,19,97,32 5,29,80
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	51,11,32,24 76,87	92,97,38 ..	47,27,61,41 76,80
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	1,73,85,63 2	1,69,88,52 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,58,67
..	1,20
..	81,02,85
..	4
1,11,39,39	86,45,74	12,99,00
..	8,13
..	38,94
9,15,42	28,94,92	16,04,48
..	3
7,49,96	69,51,68	93,50,03
..	30
..	15,87,25	1
..	1
..	1,80,46,63	2
..	6
..	10,30,44,88
..	4,70,24
63,37,06	3,83,70,83	29,60,32
..	7
..	3,97,11
..	2

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क			
दत्तमत	74,35,59	..	68,88,23
प्रभारित	14	..	13
019. लोक निर्माण कार्य			
दत्तमत	4,67,27,01	15,09,83,13	4,19,90,55
प्रभारित	4,62	..	4,60
020. आवास			
दत्तमत	61,07,54	32,71,78	55,93,94
प्रभारित	1	..	1
021. सड़कें एवं पुल			
दत्तमत	20,17,88,70	41,64,69,94	17,00,22,17
प्रभारित	1,96,42	..	1,94,07
022. क्षेत्र का विकास			
दत्तमत	20,85,14	4,48,68,02	18,12,41
प्रभारित	3,40	1,41	..
023. श्रम तथा रोजगार			
दत्तमत	5,78,86,23	51,79,91	5,54,68,40
प्रभारित	7,36	..	7,32
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति			
दत्तमत	2,34,75,54,20	4,93,26,91	2,26,65,12,25
प्रभारित	46,75,48	..	43,63,57
025. कोषागार व लेखा प्रशासन			
दत्तमत	2,79,53,52	..	2,52,26,10
प्रभारित	38	..	36
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई			
दत्तमत	81,47,87,47	2,94,85,70	76,57,62,25
प्रभारित	93,40	..	83,06
027. पेय जल योजना			
दत्तमत	35,49,72,73	39,01,51,12	32,99,11,66
प्रभारित	1,46,49	..	1,40,38

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	5,47,36
..	1
8,84,68,01	47,36,46	6,25,15,12
..	2
18,01,83	5,13,60	14,69,95
..
39,77,81,21	3,17,66,53	1,86,88,73
..	2,35
3,73,50,44	2,72,73	75,17,58
79	3,40	62
24,34,47	24,17,83	27,45,44
..	4
3,49,23,95	8,10,41,95	1,44,02,96
..	3,11,91
..	27,27,42
..	2
1,70,94,30	4,90,25,22	1,23,91,40
..	10,34
32,18,48,95	2,50,61,07	6,83,02,17
..	6,11

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम दत्तमत प्रभारित	9,34,93,36 1	3,42,50,00 ..	7,70,67,79 ..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत प्रभारित	49,84,89,22 3	15,01,58,45 1	38,81,27,99 ..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत प्रभारित	1,07,00,33,23 48,29	36,45,45,37 ..	93,63,32,42 39,71
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	3,36,66,08 75	7,30,07 ..	2,21,40,00 73
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दत्तमत प्रभारित	51,39,87,30 72,16	2,37,63,15 ..	49,02,68,19 71,99
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दत्तमत प्रभारित	33,69,65,39 7,52	3 ..	33,35,57,40 7,21
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं दत्तमत	3,29,52,73	4,95,64,64	3,05,58,26
036. सहकारिता दत्तमत प्रभारित	5,25,60,12 2,26	5,68,15,48 ..	4,13,64,56 2,26

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
3,42,50,00	1,64,25,57
..	1
9,50,74,01	11,03,61,23	5,50,84,44
..	3	1
30,17,18,80	13,37,00,81	6,28,26,57
..	8,58
..
1,64,74	1,15,26,08	5,65,33
..	2
1,88,23,95	2,37,19,11	49,39,20
..	17
..	34,07,99	3
..	31
4,85,61,26	23,94,47	10,03,38
5,59,61,91	1,11,95,56	8,53,57
..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि			
दत्तमत	24,71,37,45	2,76,77,05	22,12,86,23
प्रभारित	35,21	..	35,18
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,21,36,70	85,02	1,10,16,28
प्रभारित	3,23	..	2,73
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	10,19,13,09	20,62,63	9,80,67,93
प्रभारित	1,01
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,50,16	25,01	1,09,72
प्रभारित	1
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	75,43,44,46	27,46,75	69,75,43,10
प्रभारित	1
042. उद्योग			
दत्तमत	2,68,63,22	50,97,25	2,57,34,07
प्रभारित	3
043. खनिज			
दत्तमत	2,76,05,82	4,61,55,02	2,55,93,69
प्रभारित	36
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	32,05,49	11,00	29,78,49
प्रभारित	1

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,27,54,57	2,58,51,22	49,22,48
..	3
77,48	11,20,42	7,54
..	50
19,94,22	38,45,16	68,41
..	1,01
16,00	40,44	9,01
..	1
17,22,08	5,68,01,36	10,24,67
..	1
8,44,59	11,29,15	42,52,66
..	3
83,32,17	20,12,13	3,78,22,85
..	36
8,95	2,27,00	2,05
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	38	..
046. सिंचाई दत्तमत	21,75,50,39	16,16,99,07	20,80,33,28
प्रभारित	4,62,99	45,21	4,60,43
047. पर्यटन दत्तमत	98,78,61	50,97,50	97,60,28
प्रभारित	1
048. विद्युत दत्तमत	1,96,17,34,47	29,24,81,11	1,96,08,50,79
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	19,67	..	11,00
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	34,79,79,52	87,88,00	26,93,50,87
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	1,03,83,89,09	55,37,09,99	95,17,25,30
प्रभारित	1
योग			
दत्तमत	13,91,63,85,87	2,91,65,55,17	12,92,74,50,65
प्रभारित	2,00,66,98,48	1,16,81,10,83	1,99,66,74,35
कुल योग	15,92,30,84,35	4,08,46,66,00	14,92,41,25,00

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
23	..	15
13,81,46,17	95,17,11	2,35,52,90
45,20	2,56	1
20,25,69	1,18,33	30,71,81
..	1
26,98,72,92	8,83,68	2,26,08,19
..	8,67
87,88,00	7,86,28,65
38,72,12,11	8,66,63,79	16,64,97,88
..	1
2,31,71,94,84	98,89,35,22	59,93,60,33
1,16,74,11,68	1,00,24,13	6,99,15
3,48,46,06,52	99,89,59,35	60,00,59,48

2017-18 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
-----शून्य-----			

2017-18 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2017-18 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	12,92,74,50,65	2,31,71,94,84	15,24,46,45,49
घटाइये : वसूलियों का योग	33,99,73,21	12,15,11,04	46,14,84,25
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	12,58,74,77,44	2,19,56,83,80	14,78,31,61,24
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,99,66,74,35	1,16,74,11,68	3,16,40,86,03
घटाइये : वसूलियों का योग
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	1,99,66,74,35	1,16,74,11,68	3,16,40,86,03

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 410-411 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार कार्यालय और अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें की लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: नवम्बर 19, 2018

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	13,60,43			
अनुपूरक	54,30	14,14,73	13,77,59	- 37,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				36,20

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 37.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 54.30 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	1,96,26,90,96			
अनुपूरक	1,59,40,26	1,97,86,31,22	1,97,19,99,19	- 66,32,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				69,96,48

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 66,32.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 1,59,40.26 लाख का प्रावधान मुख्यतः बाजार कर्ज पर ब्याज के भुगतान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 66,32.03 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 69,96.48 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	37,39,31			
अनुपूरक	10,08,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)		47,47,95	36,47,39	- 11,00,56
				11,00,54

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- अक्टूबर, 2017 (₹ 5.00 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 10,03.64 लाख) में अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 10,08.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के भुगतान तथा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यत निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2051. लोक सेवा आयोग				
102. राज्य लोक सेवा आयोग				
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध				
मू.	37,39.31			
अ.	10,08.64			
घ.	- 11,00.54			
		36,47.41	36,47.39	- 0.02

अक्टूबर, 2017 (₹ 5.00 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 10,03.64 लाख) में अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 10,08.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के भुगतान तथा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 11,00.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) परीक्षाओं का आयोजन कम होने, (iii) प्रस्तावित परीक्षाओं का कम विज्ञापन, (iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य का निष्पादन नहीं करने, (v) कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती के बाद मशीन विद मैन के पदों को हटाने तथा (vi) जिला कलेक्टरों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अनुपयोजित राशि वापिस लौटाने को आरोपित की गई।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	1, 16, 80, 64, 19	1, 16, 80, 64, 20	1, 16, 73, 65, 69	- 6, 98, 51
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6, 98, 51

अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	54,95,28			
अनुपूरक	8,68,03	63,63,31	57,96,45	– 5,66,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
5,74,22				
प्रभारित				
मूल	32,01			
अनुपूरक	16,00	48,01	46,15	– 1,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
1,85				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 5,66.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,68.03 लाख का प्रावधान कर्मचारियों एवं विधायकों के वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
2. ₹ 5,66.86 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 5,74.22 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल-प्रतिबद्ध				
मू.	23,57.19			
अ.	3,69.93	25,06.05	25,13.66	+ 7.61
पु.	– 2,21.07			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,69.93 लाख का प्रावधान विधायकों के वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,21.07 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 7.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 001 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-प्रतिबद्ध			
मू.	1,50.00		
अ.	1,00.00	1,34.63	..
पु.	- 1,15.37	1,34.63	

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान भूतपूर्व सदस्यों के निःशुल्क यात्रा सुविधा के भुगतान की प्रत्याशा हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,15.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल
- 103. विधान मंडल सचिवालय
- (01) विधान मंडल
- [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	28,98.89			
अ.	3,98.10	30,68.60	30,68.44	- 0.16
पु.	- 2,28.39			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,98.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः रखरखाव एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,28.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	10,19,23			
		13,79,23	11,79,26	- 1,99,97
अनुपूरक	3,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				2,02,96

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. ₹ 1,99.97 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,60.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 1,99.97 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,02.96 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2013. मंत्रिपरिषद्				
104. मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
(01) मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
[01] मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते-प्रतिबद्ध				
मू.	2,50.00			
अ.	50.00	2,35.91	2,35.91	..
पु.	- 64.09			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50.00 लाख का प्रावधान मंत्रीपरिषद के मनोरंजन और सत्कार भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 64.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

(01) मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध

मू.	50.00			
		4.72	4.72	..
पु.	- 45.28			

31 मार्च 2018 को ₹ 45.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,81,57,41	3,81,57,41	3,20,22,88	- 61,34,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				61,28,40
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 45,19.38 लाख, ₹ 22,90.39 लाख, ₹ 25,14.74 लाख, ₹ 18,99.59 लाख तथा ₹ 61,34.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.49 प्रतिशत से 18.36 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- ₹ 61,34.53 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 6.13 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग			
(कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन तथा भत्ते)-प्रतिबद्ध			
मू.	59,62.53	51,28.33	..
पु.	- 8,34.20		

अनुदान संख्या 003 – (समाप्त)

₹ 8,34.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, (ii) फर्नीचर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपीयर, ए.सी. इत्यादि की खरीद पर कम व्यय तथा (iii) संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण पर वेतन एवं भत्तों के जारी किये जाने के कारण संविदा सेवाओं तथा रिक्त पदों के विपरीत कार्यरत संविदा कर्मिकों को पारिश्रमिक "संविदा सेवाओं" शीर्ष के बजाय "संवेतन " शीर्ष से किये जाने से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
102. जिला योजना संगठन			
(03) विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय चरण हेतु व्यय			
मू.	1,50,00.00	1,00,50.00	1,00,50.00
पु.	- 49,50.00		..

31 मार्च 2018 को ₹ 49,50.00 लाख का प्रावधान वित्तीय संस्थाओं से ऋण कम प्राप्त होने कारण अभ्यर्पित (₹ 42,61.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,88.09 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,03,00,32	5,07,20,43	4,43,57,55	- 63,62,88
अनुपूरक	4,20,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				55,75,13
प्रभारित				
मूल	4	9,91	9,88	- 3
अनुपूरक	9,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में लिया गया ₹ 4,20.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 63,62.88 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 7,87.75 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 36,60.88 लाख, ₹ 35,39.32 लाख, ₹ 41,69.68 लाख, ₹ 21,56.84 लाख तथा ₹ 63,62.88 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.89 प्रतिशत से 12.55 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(03) जिलाधीश कार्यालय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,07,00.39	1,01,38.66	98,95.24	- 2,43.42
पु.	- 5,61.73			

₹ 5,61.73 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2,43.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 004 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएँ-प्रतिबद्ध			
मू.	1,13,10.61		
		92,60.87	87,26.39
पु.	- 20,49.74		- 5,34.48

31 मार्च 2018 को ₹ 20,49.74 लाख का प्रावधान (i) अधीनस्थ कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) जिला कलेक्टरों द्वारा जरूरत के अनुसार उप-खण्डीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय किये जाने तथा (iii) कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 5,34.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

094. अन्य स्थापनाएँ

(02) तहसील कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	2,54,44.82		
अ.	4,20.11	2,30,43.64	2,30,33.80
पु.	- 28,21.29		- 9.84

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,20.11 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण तथा वाहनों का संचालन तथा अनुरक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

₹ 28,21.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधीनस्थ कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) तहसील कार्यालयों के लिए नये वाहनों की खरीद हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (iii) स्टेशनरी तथा मुद्रण पर कम व्यय तथा (iv) यात्रा तथा चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी ।

₹ 9.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,
 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
 2062. सतर्कता और
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,08,07,94	2,22,71,57	2,00,85,68	- 21,85,89
अनुपूरक	14,63,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				21,83,88
प्रभारित				
मूल	6	12,09	12,05	- 4
अनुपूरक	12,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	70,00,00	70,00,00	..	- 70,00,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				70,00,00

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 14,63.63 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
103. कर्मचारी चयन आयोग			
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	15,01.55	7,27.09	7,27.07
पु.	- 7,74.46		
			- 0.02

₹ 7,74.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2017-18 के दौरान परीक्षाएँ आयोजित नहीं होने के कारण वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं, (ii) जल, विद्युत, टेलीफोन तथा पत्रिकाओं आदि तथा (iii) परीक्षाएँ आयोजित नहीं होने के कारण मुद्रण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

003. प्रशिक्षण

(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	6,48.00	4,15.76	4,15.13
पु.	- 2,32.24		
			- 0.63

₹ 2,32.24 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई क्योंकि राज्य सेवा बैंच-2013 के अन्य सेवाओं के प्रशिक्षणार्थियों का वेतन का भुगतान (राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान लेखा सेवा के अलावा) अन्य लेखा शीर्ष के द्वारा किया गया

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव

(05) किराए पर वायुयान/हेलिकॉप्टर-प्रतिबद्ध

मू.	18,00.00	17,42.90	17,42.90
अ.	2,00.00		
पु.	- 2,57.10		
			..

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वायुयान/हेलिकॉप्टर के किराये के भुगतान की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 2,57.10 लाख का प्रावधान जेट विमान एवं हेलिकॉप्टर के वास्तविक उड़ान घंटों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव

(06) नागरिक विमानन निदेशालय

[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध

मू.	18,15.77	18,26.39	18,26.06
अ.	3,00.00		
पु.	- 2,89.38		
			- 0.33

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान इंटरस्टेट हवाई सेवाओं तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए सहाय्य में बढ़ोत्तरी के कारण लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,89.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में निर्धारित रूट पर सेवाएं प्रारम्भ नहीं होने, (ii) संविदा आधार पर पायलट तथा अन्य स्टाफ की सेवाएं किराये पर लेने के कारण कर्मियों की कम मांग तथा (iii) राजकीय वायुयानों के पुर्जे समय पर आयात नहीं होने तथा उड़ान घण्टों में कमी होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 005 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुंबई –प्रतिबद्ध			
मू.	4,24.82		
पु.	- 2,82.99	1,41.83	1,41.84
			+ 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 2,82.99 लाख का प्रावधान (i) सात स्वीकृत पदों में से पांच पदों के रिक्त रहने, (ii) आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड, जयपुर द्वारा राजस्थान भवन वाशी, नवी मुंबई के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यालय व्यय पर कम व्यय, (iii) जॉब बेसिस कार्य पर कम कर्मियों की आवश्यकता तथा (iv) कम आवासीय सुविधा तथा अतिथियों की जरूरत के अनुसार भोजन की मांग के कारण मैस प्रबंध पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(09) परिधि गृह			
[01] विश्राम भवन राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	36,34.02		
अ.	1,07.00	34,76.05	34,75.43
पु.	- 2,64.97		- 0.62

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,07.00 लाख का प्रावधान संविदा सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 2,64.97 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 275 पदों के रिक्त रहने, (ii) विद्युत व्यय पर कम व्यय तथा (iii) कम आवासीय सुविधा तथा अतिथियों की आवश्यकता के अनुसार भोजन की मांग के कारण मैस प्रबंध पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) नागरिक विमानन निदेशालय			
[01] हेलीकोप्टर/ वायुयान सम्बन्धी व्यय			
मू.	70,00.00		
पु.	- 70,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 70,00.00 लाख का समस्त प्रावधान खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,23,75,06	7,80,15,48	7,04,57,99	- 75,57,49
अनुपूरक	56,40,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
प्रभारित				
मूल	95,76,84	1,49,22,03	1,34,97,54	- 14,24,49
अनुपूरक	53,45,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
14,22,43				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. अक्टूबर, 2017 (₹ 35,47.23 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 20,93.19 लाख) में लिया गया ₹ 56,40.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 75,57.49 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 8.62 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय			
मू.	2,46.18	5,38.74	..
अ.	47,61.13		
पु.	- 44,68.57		

अक्टूबर, 2017 (₹ 35,47.23 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 12,13.90 लाख) में लिया गया ₹ 47,61.13 लाख अनुपूरक अनुदान ई-कोर्ट मिशन मोड (फेज- II) हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधियों को उपयोग करने की प्रत्याक्षा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 44,68.57 लाख का प्रावधान प्रशासनिक कारणों से भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज- II) हेतु प्राप्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं होने तथा राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर तथा जयपुर पीठ के अभिलेखों का डिजिटलईजेशन के लिए राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 34,55.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,13.49 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 006 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,48,15.84		
पु.	- 13,35.22	1,34,80.62	1,34,77.83
			- 2.79

₹ 13,35.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. का कम उपभोग करने, (ii) पदों के रिक्त रहने के कारण वर्दी पर कम व्यय होने तथा (iii) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण विधि पुस्तकों की कम खरीद को आरोपित की गई।

105. सिविल और सेशन न्यायालय
(20) वाणिज्यिक न्यायालय
[01] वाणिज्यिक न्यायालय-प्रतिबद्ध

मू.	1,58.69		
पु.	- 1,47.12	11.57	11.55
			- 0.02

₹ 1,47.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

प्रभारित

- ₹ 53,45.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अक्टूबर, 2017 (₹ 30,90.00 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 22,55.19 लाख) में लिया गया ₹ 53,45.19 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	95,76.81		
अ.	53,45.19	1,34,99.60	1,34,97.54
पु.	- 14,22.40		- 2.06

अक्टूबर, 2017 (₹ 30,90.00 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 22,55.19 लाख) में लिया गया ₹ 53,45.19 लाख का अनुपूरक विनियोजन मुख्यतः माननीय न्यायाधीशों के बढ़े हुए वेतन तथा भर्तों के भुगतान तथा उच्च न्यायालय के नये भवन हेतु फर्नीचर तथा वाहनों की खरीद के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 14,22.40 लाख का प्रावधान (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों के रिक्त रहने तथा बकाये का कम आहरण, (ii) उच्च न्यायालय का नये भवन में नहीं जाने तथा (iii) जिला न्यायाधीश संवर्ग 2017 की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने तथा प्रशासनिक कारण से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से ई-प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त राशि का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	73,61,00	1,03,60,99	1,02,02,32	- 1,58,67
अनुपूरक	29,99,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,92,73
प्रभारित				
मूल	2	1,36	16	- 1,20
अनुपूरक	1,34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,20

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,58.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी ₹ 29,99.99 लाख की राशि अत्यधिक थी।
- ₹ 1,58.67 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 8,92.73 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- निम्न शीर्ष में अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कमी अनावश्यक थी:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन				
102. निर्वाचन अधिकारी				
(01) निर्वाचन विभाग				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	22,41.61	20,34.48	27,89.10	+ 7,54.62
पु.	- 2,07.13			
₹ 2,07.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।				
₹ 7,54.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।				

अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को निम्नलिखित शीर्ष में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण			
(01) चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	44,50.00		
अ.	13,24.00	50,07.08	- 2.59
पु.	- 7,66.92		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 13,24.00 लाख का प्रावधान मतदाता सूची के प्रकाशन और मुद्रण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 7,66.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,99,48,40	7,60,57,04	6,79,54,19	- 81,02,85
अनुपूरक	61,08,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				80,84,52
प्रभारित				
मूल	4	19	15	- 4
अनुपूरक	15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 61,08.64 लाख का प्रावधान नायब तहसीलदार/पटवारी के प्रशिक्षण पर देने वाले वेतन तथा भू-अभिलेख सुधार योजना के लिए राज्यांश की बकाया के भुगतान हेतु ली गयी राशि अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से भी कम था।
2. ₹ 81,02.85 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 18.33 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 72,08.34 लाख, ₹ 60,95.99 लाख, ₹ 1,14,46.44 लाख, ₹ 2,01,71.85 लाख तथा ₹ 81,02.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.52 प्रतिशत से 23.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
103. भू-अभिलेख				
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	6,00,52.01	5,48,35.84	5,48,18.86	- 16.98
पु.	- 52,16.17			

₹ 52,16.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सातवें वेतनमान के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) 17,408 स्वीकृत पदों में से 7,529 पदों के रिक्त रहने, (iii) कार्यालय व्यय पर कम व्यय, (iv) तहसील कार्यालयों में भू-अभिलेख शाखा में स्थापित कम्प्यूटरों के अनुरक्षण पर कम व्यय तथा (v) चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

₹ 16.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	6,49.08		
अ.	20,25.09	17,97.06	..
पु.	- 8,77.11		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 20,25.09 लाख का प्रावधान नायब तहसीलदार/पटवारी के प्रशिक्षण पर देने वाले वेतन के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

प्रावधान (i) नायब तहसीलदार प्रशिक्षणार्थियों को नये वेतनमान के अन्तर्गत तथा वे प्रशिक्षणार्थी जो पहले से ही राज्य सेवा में थे उनको नये वेतनमान के अनुसार मानदेय का भुगतान किया गया तथा (ii) नये वेतनमान लागू किये जाने के पश्चात् 3127 चयनित पटवारी को पुनरीक्षित मानदेय ₹ 8,910 से ₹ 14,600 के भुगतान किये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि ₹ 8,77.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नायब तहसीलदार की प्रशिक्षण अवधि में कमी 9 माह से 6 माह कमी किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी माने जाने के कारण नये वेतन मान के विकल्प को नहीं मानने के परिणामतः बढ़ी हुई वेतन का भुगतान नहीं होने, (ii) पटवारी को कर्मचारी पहचान पत्र तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या नहीं दिये जाने के कारण पुराने वेतनमान में मानदेय दिये जाने तथा (iii) प्रशिक्षण अवधि में कमी के कारण कार्यालय व्यय पर कम व्यय जिससे संस्थागत प्रशिक्षण में कमी किये जाने तथा प्रशिक्षणार्थी को फील्ड प्रशिक्षण में भेजे जाने को आरोपित की गयी।

103. भू-अभिलेख

(09) वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला

[01] वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला

मू.	11,70.00			
पु.	- 11,70.00

31 मार्च 2018 को ₹ 11,70.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

099. राजस्व बोर्ड

(01) मंडल और उसकी स्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	24,07.11			
पु.	- 2,80.22	21,26.89	21,25.80	- 1.09

₹ 2,80.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) 477 स्वीकृत पदों में से 215 पदों के रिक्त रहने, (iii) राज्य-सरकार से विज्ञापन के लिए मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं होने, (iv) संविदायुक्त सेवाओं पर कम व्यय तथा (v) चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 009 - वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	7,15,57,46	7,55,80,67	- 86,45,74
अनुपूरक	40,23,21		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			86,32,86
प्रभारित			
मूल	20,00	65,25	- 8,13
अनुपूरक	45,25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			8,13

पूंजी

दत्तमत			
मूल	98,54,27	1,24,38,39	- 12,99,00
अनुपूरक	25,84,12		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			12,95,85

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 40,23.21 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 86,45.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 12.88 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 1,88,28.65 लाख, ₹ 1,17,24.21 लाख, ₹ 43,33.52 लाख, ₹ 79,58.79 लाख तथा ₹ 86,45.74 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.78 प्रतिशत से 25.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,63,39.93	4,38,13.93	4,37,80.83
अ.	25,39.55		
पु.	- 50,65.55		
			- 33.10

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 25,39.55 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों के भुगतान तथा पौधारोपण कार्यक्रम हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 50,65.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सभी कार्मिकों को सातवें वेतन मान के लाभ का भुगतान नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, वन प्रहरियों के पद रिक्त रहने के कारण वर्दी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 33.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. वानिकी
- 101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
- (10) जैव विविधता का संरक्षण
(वन संरक्षण एवं पारिस्थिकीय पर्यटन)

मू.	3,51.81	2,29.56	2,29.55	- 0.01
पु.	- 1,22.25			

₹ 3,51.81 लाख का प्रावधान जैव विविधता, वन संरक्षण तथा कैलाश सांखला/अमृता देवी पुरस्कारों, अन्य राज्य/जिला स्तरीय पुरस्कारों के वितरण, वन महोत्सव तथा वेबसाइट के अनुरक्षण हेतु अनुमानित था।

₹ 1,22.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. वानिकी
- 196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग
- [01] संस्थापन-प्रतिबद्ध

मू.	16,50.00	12,00.78	12,00.78	..
पु.	- 4,49.22			

31 मार्च 2018 को ₹ 4,49.22 लाख का प्रावधान वन विभाग के कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु जारी अनुदान के सम्बन्ध में जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्राप्त नहीं होने के परिणामतः निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भौर			
मू.	12,50.11		
अ.	6,93.00	5,48.07	5,48.09
पु.	- 13,95.04		+ 0.02
₹ 12,50.11 लाख का प्रावधान अभ्यारण्य क्षेत्र में प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार तथा सुरक्षा हेतु अनुमानित किया गया था। तत्पश्चात्, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा वन्य जीव परिरक्षण के लिए लिया गया ₹ 6,93.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
₹ 13,95.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू.	7,56.01		
पु.	- 3,38.51	4,17.50	4,17.49
			- 0.01
₹ 7,56.01 लाख का प्रावधान अभ्यारण्य क्षेत्र में प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार तथा सुरक्षा हेतु अनुमानित किया गया था।			
₹ 3,38.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(05) राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास			
मू.	2,54.50		
पु.	- 1,67.92	86.58	86.58
			..
₹ 1,67.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(08) मुकुन्दरा नेशनल पार्क			
मू.	2,95.00		
पु.	- 1,73.31	1,21.69	1,21.69
			..
₹ 1,73.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	18,46.78		
पु.	- 1,89.82	16,56.96	16,55.40
			- 1.56
₹ 1,89.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 429 स्वीकृत पदों में से 110 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 12,99.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 25,84.12 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 16,30.16 लाख, ₹ 88,48.59 लाख, ₹ 14,40.26 लाख, ₹ 13,20.50 लाख तथा ₹ 12,99.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.82 प्रतिशत से 39.61 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

01. वानिकी

101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना

[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य

मू.	3,68.26	1,33.25	1,33.25	..
पु.	- 2,35.01			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,35.01 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. वानिकी

102. समाज तथा फार्म वानिकी

(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य

मू.	31,54.50	51,57.35	51,55.05	- 2.30
अ.	25,84.12			
पु.	- 5,81.27			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 25,84.12 लाख का प्रावधान नाबार्ड की सहायता से वनों में लघु निर्माण कार्यों हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 5,81.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 34.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,46.48 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110. वन्य जीव

(06) बाघ परियोजना, रणथम्भौर

मू.	1,50.02	27.82	27.82	..
पु.	- 1,22.20			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,22.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(16) आकल वुड फोसिल पार्क			
[01] विकास कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,99.87	0.13	0.13
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,99.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(02) फोरेस्ट/कैम्पा की विभिन्न परियोजना हेतु			
मू.	11.26		
पु.	1,42.53	1,53.79	1,53.79
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,42.53 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरणिक पौधारोपण			
मू.	8,00.61		
पु.	1,50.53	9,51.14	9,51.14
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,50.53 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,03,04,26			
अनुपूरक	1,70,29,59	5,73,33,85	5,72,94,91	- 38,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				38,96

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 38.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,70,29.59 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 38.94 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 38.96 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	93,07,54			
अनुपूरक	..	93,07,54	64,12,62	- 28,94,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				28,94,51
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	50	53	50	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	16,24,76			
अनुपूरक	8,95,14	25,19,90	9,15,42	- 16,04,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				16,11,19

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 13,60.36 लाख, ₹ 42,47.18 लाख, ₹ 34,12.26 लाख, ₹ 18,95.93 लाख तथा ₹ 28,94.92 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 13.63 प्रतिशत से 37.34 प्रतिशत के बीच थी। इन निरन्तर बचतों के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।।

अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(01) विज्ञान एवं तकनीक			
मू.	3,47.61		
पु.	- 1,32.18	2,15.43	2,15.42
			- 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 1,32.18 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. भारतीय सर्वेक्षण
800. अन्य व्यय
(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क

मू.	3,77.00			
पु.	- 3,00.32	76.68	76.68	..

31 मार्च 2018 को ₹ 3,00.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. भारतीय सर्वेक्षण
800. अन्य व्यय
(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण

मू.	3,61.03			
पु.	- 74.22	2,86.81	2,87.36	+ 0.55

₹ 74.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय तथा मरम्मत व रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी है। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. भारतीय सर्वेक्षण
800. अन्य व्यय
(06) जैव प्रोद्योगिकी

मू.	1,51.87			
पु.	- 1,30.95	20.92	20.93	+ 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 1,30.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(02) सी.ई.टी.पी. (सार्वजनिक निराकरण संयंत्र प्रदूषित)			
मू.	30,00.00
पु.	- 30,00.00

₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए लघु उद्योगों से प्रदूषित निकासी को सार्वजनिक प्रदूषित निराकरण संयंत्र की स्थापना से निराकरण करने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, ₹ 30,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न करने के कारण 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित (₹ 16,28.39 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,71.61 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये थे।

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय
(03) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

मू.	1,14.33
पु.	- 1,14.33

31 मार्च 2018 को ₹ 1,14.33 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय
(05) राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

मू.	2,20.84	30.00	30.00	..
पु.	- 1,90.84			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,90.84 लाख का प्रावधान बोर्ड को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं				
800. अन्य व्यय				
(02) तीर्थ यात्रा योजना				
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना				
मू.	13,00.00	23,32.84	23,32.84	..
पु.	10,32.84			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,32.84 लाख की अतिरिक्त निधियां वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(07) उद्मियता जागृति			
मू.	38.66		
		2,72.02	
पु.	2,33.36	2,72.02	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,33.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 16,04.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 8,95.14 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।
- ₹ 16,04.48 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 16,11.19 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 1,61.55 लाख, ₹ 16,28.96 लाख, ₹ 29,60.68 लाख, ₹ 25,95.72 लाख तथा ₹ 16,04.48 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17 प्रतिशत से 75.19 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,45.58		
अ.	7,47.91	3,48.06	
पु.	- 11,45.43	3,48.06	..

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,47.91 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 11,45.43 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 011 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	59.64		
अ.	59.84	10.83	14.96
पु.	- 1,08.65		+ 4.13

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 59.84 लाख का प्रावधान प्रतिशतता व्यय के समायोजन की प्रत्याशा हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,08.65 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीकी			

मू.	5,51.50		
अ.	28.50	3,03.93	3,03.93
पु.	- 2,76.07		..

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 28.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 2,76.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
 2041. वाहन कर,
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,60,32,01	8,50,68,44	7,81,16,76	- 69,51,68
अनुपूरक	2,90,36,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				71,98,59
प्रभारित				
मूल	4	5,21	4,91	- 30
अनुपूरक	5,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				29
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,00,99,99	1,00,99,99	7,49,96	- 93,50,03
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				93,50,03

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 69,51.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,90,36.43 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 69,51.68 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 71,98.59 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
03. पंजीकरण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) जिला संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	38,79.52	33,79.00	33,76.48
पु.	- 5,00.52		

₹ 5,00.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में कार्मिकों का स्थिरीकरण न होने तथा बकाया का भुगतान न होने, (ii) वर्ष 2017-18 के दौरान ई-पंजीकरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने तथा मशीन विद मैन की कम आवश्यकता होने, (iii) एक उप महानिरीक्षक तथा 12 उप पंजीयक कार्यालयों के शुरू न होने के कारण रेक्सो के माध्यम से संविदा पर कार्य करने वालों की कम मांग होने तथा (iv) समस्त उप पंजीयकों का वसूली अभियान के तहत बकाया राशि की वसूली से संबंधित कार्यों में लिप्यता के कारण ऑन स्पार्ट निरीक्षण शुल्क के बिलों के प्रस्तुतीकरण न करने को आरोपित की गयी।

2041. वाहन कर
101. संग्रहण प्रभार
(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण

मू.	18,19.56	14,84.16	14,84.16	..
पु.	- 3,35.40			

31 मार्च 2018 को ₹ 3,35.40 लाख की निधियों को अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
101. संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर
(01) जोड़िए-शीर्ष 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	1,35.10	21.11	21.11	..
पु.	- 1,13.99			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,13.99 लाख का प्रावधान बिक्री कर, विद्युत् कर, मनोरंजन कर एवं माल तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) की वास्तविक राजस्व प्राप्ति के संग्रहण के अनुपात में व्यय होने के अनुसार संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3055. सड़क परिवहन
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वी.जी.एफ. के लिए अनुदान

मू.	20,00.00
पु.	- 20,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	81,97.00		
अ.	9,82.85	37,13.97	37,13.96
पु.	- 54,65.88		- 0.01

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,82.85 लाख का प्रावधान समर्पित सड़क सुरक्षा निधि हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 54,65.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
01. स्टाम्प- न्यायिक			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,00.00		
पु.	1,43.07	2,43.07	2,43.07
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,43.07 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय प्रेस नासिक तथा हैदराबाद के बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. स्टाम्प- न्यायिकेतर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
(01) स्टाम्प विक्रय			
[01] अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन-प्रतिबद्ध			
मू.	10,60.00		
अ.	3,08.34	17,59.90	20,03.95
पु.	3,91.56		+ 2,44.05

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,91.56 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायिकेतर स्टाम्पों की बिक्री के अनुसार विक्रेताओं को कमीशन के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,44.05 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) संचालन परिवहन-प्रतिबद्ध			
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,55.56	9,74.01	9,52.72
पु.	1,18.35		- 21.29

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,18.35 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 21.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क			
(03) शीर्ष 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध			

मू. 10,84.11

16,79.17

16,79.17

..

पु. 5,95.06

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,95.06 लाख की अतिरिक्त निधियां बिक्री कर, विद्युत् कर, मनोरंजन कर एवं माल तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) की राजस्व प्राप्ति के संग्रहण के अनुपात में व्यय के अनुसार संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 3,00,00.03 लाख, ₹ 1,49,00.06 लाख, ₹ 2,01,00.02 लाख तथा ₹ 93,50.03 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 49.67 प्रतिशत से 92.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(07) सुधार सम्बद्ध योजना (रिफार्म लिंकड प्लान) राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूँजी			
मू.	1,00,00.00
पु.	- 1,00,00.00		

अनुदान संख्या 012 – (समाप्त)

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 93,50.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,49.99 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान समस्त प्रावधान अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
पु.	6,49.99	6,50.00	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क
पूँजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,51,11,87	1,57,69,11	1,41,81,86	- 15,87,25
अनुपूरक	6,57,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				15,87,22
प्रभारित				
मूल	1	51	50	- 1
अनुपूरक	50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

पूँजी

दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- अक्टूबर, 2017 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 6,57.23 लाख) में लिया गया ₹ 6,57.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	30,02.67	22,83.68	22,83.70	+ 0.02
अ.	1,05.01			
पु.	- 8,24.00			

₹ 1,05.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,05.00 लाख का प्रावधान वाहनों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 8,24.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 013 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निरोधक दल-प्रतिबद्ध			
मू.	76,12.41		
अ.	4,00.00	73,78.05	- 0.04
पु.	- 6,34.36	73,78.01	

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 6,34.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 014 – बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार
पूंजी – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	11,12,36,30			
अनुपूरक	68,50,73	11,80,87,03	10,00,40,40	- 1,80,46,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,80,46,64
प्रभारित				
मूल	2	94	88	- 6
अनुपूरक	92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	..	2	..	- 2
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

- अक्टूबर, 2017 (₹ 0.62 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 68,50.11 लाख) में लिया गया ₹ 68,50.73 लाख अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	44,76.72	39,80.45	39,80.43	- 0.02
पु.	- 4,96.27			

अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)

₹ 4,96.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) ₹ 13,40.00 लाख का प्रावधान सदस्य सचिवों तथा राज्य के वित्त मंत्रियों की एम्पावर समिति की सिफारिशों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) को राज्यांश के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 11,65.00 लाख जो कि राज्य सरकार द्वारा चुकाना निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 को ₹ 1,75.00 लाख की बचत अभ्यर्पित की गयी तथा (iii) में विप्रो द्वारा ₹ 66.51 लाख के बिल प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मैं. टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) द्वारा गलत रिफंड जारी किये जाने की पुलिस जांच लंबित होने के कारण टी.सी.एस. के भुगतान पर रोक लगाये जाने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[01] मजदूरी/रोजगार अनुदान			
मू.	16,80.00		
पु.	- 11,96.83	4,83.17	4,83.17
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	70,00.00		
पु.	- 68,23.35	1,76.65	1,76.65

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 80,20.18 लाख का प्रावधान वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) लागू होने के बाद राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना-2003 पर नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि			
मू.	5,83,98.98		
पु.	- 2,14,22.44	3,69,76.54	3,69,76.54

31 मार्च 2018 को ₹ 2,14,22.44 लाख का प्रावधान वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) लागू होने के बाद राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना-2010 पर नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 79,08.51 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,35,13.93 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) जल संरक्षण उपकर निधि-प्रतिबद्ध			
मू.	2,00,00.00		
अ.	68,50.09	2,89,56.00	2,89,56.00
पु.	21,05.91		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,05.91 लाख की अतिरिक्त निधियां जल संरक्षण उपकर की राशि को निधि में हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 014 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि			
मू.	12,83.00		
पु.	7,49.24	20,32.24	20,32.24
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,49.24 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछले वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा वर्ष के दौरान ईकाईयों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[07] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि (रिप्स-2014)			
मू.	14,93.00		
पु.	5,05.64	19,98.64	19,98.64
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,05.64 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछले वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा नई ईकाईयों/लाभार्थियों के जुड़ने से बढ़े हुए व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत वैट का पुनर्भरण-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
पु.	1,00.40	1,00.41	1,00.41
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.40 लाख की अतिरिक्त निधियां अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत वैट के पुनर्भरण हेतु दावा राशि के निपटारे हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर सग्रहण प्रभार			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय			
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध			
अ.	0.19		
पु.	10,61.78	10,61.97	10,61.97
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,61.78 लाख की अतिरिक्त निधियां वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में उपयोगकर्ता प्रभार के अग्रिम भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 014 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शीर्ष 2040 बिक्री कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय			
[01] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण-प्रतिबद्ध			
अ .	0.01		
		29,45.15	29,45.15
पु .	29,45.14		..
101. संग्रहण प्रभार			
(02) शीर्ष 2040 बिक्री कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय			
[01] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण-प्रतिबद्ध			
अ .	0.01		
		47,57.79	47,57.79
पु .	47,57.78		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 77,02.92 लाख की अतिरिक्त निधियां बिक्री कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर तथा वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण पर हुए संयुक्त स्थापना व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 015 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,41,62,70,95	1,49,50,42,20	1,39,19,97,32	- 10,30,44,88
अनुपूरक	7,87,71,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				9,02,84,36
प्रभारित				
मूल	7,00,04	10,00,04	5,29,80	- 4,70,24
अनुपूरक	3,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,01,80

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,87,71.25 लाख का प्रावधान मुख्यतः पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ तथा अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के भुगतान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 10,30,44.88 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,27,60.52 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत (जो अनुदान के अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते				
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध				
मू.	74,00,00.00	71,50,69.66	70,36,13.02	- 1,14,56.64
पु.	- 2,49,30.34			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,49,30.34 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया। अनुमानित प्रावधान में कटौती पेंशनर्स की मृत्यु, उनकी पेंशन पारिवारिक पेंशन में परिवर्तित होने तथा कोषालयों द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों के कर्मचारियों की पेंशन के वर्गीकरण को सही करने से हुए प्रभाव के कारण भी की गई।

₹ 1,14,56.64 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

अनुदान संख्या 015 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
102. पेंशन का सांराशीकृत मूल्य			
(01) पेंशन का सांराशीकृत मूल्य			
[01] कर्मचारियों की पेंशन का सांराशीकृत मूल्य-प्रतिबद्ध			
मू.	7,80,00.00		
अ.	1,20,00.00	7,58,34.34	- 2,08.64
पु.	- 1,41,65.66		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,20,00.00 लाख का प्रावधान पेंशन के सांराशीकृत मूल्य के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,41,65.66 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा पेंशन विभाग के पास पेंशन के सांराशीकृत मूल्य का वास्तविक भुगतान करने के लिए राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के वास्तविक वेतन की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,08.64 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल			
104. उपदान			
(01) राज्य कर्मचारियों को उपदान-प्रतिबद्ध			
मू.	18,50,00.00		
अ.	50,00.00	16,39,81.69	- 2,76.60
पु.	- 2,60,18.31		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान उपदान के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 2,60,18.31 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए, उपदान के वास्तविक भुगतान हेतु पेंशन विभाग में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के वास्तविक मूल वेतन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं होने तथा नये वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थरीकरण नही होने के कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपदान का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,60,18.06 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 0.25 लाख) किया गया।

₹ 2,76.60 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल			
104. उपदान			
(02) कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	10,00.00		
अ.	2,00.00	8,93.37	..
पु.	- 3,06.63		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुये मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 3,06.63 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया। क्योंकि कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान के वास्तविक भुगतान विभागीय स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

अनुदान संख्या 015 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
105. परिवार पेंशन			
(01) कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन			
[01] कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन –प्रतिबद्ध			
मू.	19,00,00.00		
अ.	50,00.00	18,60,47.64	18,50,41.65
पु.	- 89,52.36		- 10,05.99

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान परिवार पेंशन के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 89,52.36 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया। अनुमानित प्रावधान में कटौती पारिवारिक पेंशनर्स की मृत्यु तथा कोषालयों द्वारा जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के कर्मचारियों की परिवार पेंशन के वर्गीकरण को सही करने से हुए प्रभाव के कारण भी की गई।

₹ 10,05.99 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल			
115. छुट्टी नगदीकरण हित लाभ			
(01) सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हितलाभ			
[01] कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हितलाभ –प्रतिबद्ध			
मू.	10,50,00.00		
अ.	1,00,00.00	11,14,55.80	11,13,83.51
पु.	- 35,44.20		- 72.29

फरवरी 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हितलाभ के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 35,44.20 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, निर्माण विभाग द्वारा अंतिम व्यय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं करने तथा सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का अनुमान से कम भुगतान हुआ क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश के शेष को सुनिश्चित तथा अनुमानित नहीं किया जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 72.29 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध			
मू.	7,70,00.00		
अ.	4,32,70.00	10,83,29.01	10,83,29.01
पु.	- 1,19,40.99		..

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,32,70.00 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के क्रियान्विति पर वेतन में वृद्धि के कारण निर्धारित अंशदान योजना में सरकार के अंशदान तथा परीविक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों के अंशदान की कटौती हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,19,40.99 लाख का प्रावधान एन.एस.डी.एल. द्वारा प्रशिक्षुओं को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 015 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
200. अन्य पेंशन			
(01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	10,00.00		
.		7,94.48	7,92.48
पु.	- 2,05.52		- 2.00

31 मार्च 2018 को ₹ 2,05.52 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा मृतक/अशक्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों के भुगतान का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सिविल
800. अन्य व्यय
(01) पेंशन हित लाभ भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का भुगतान-प्रतिबद्ध

मू.	2,00.00			
.		88.66	88.66	..
पु.	- 1,11.34			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,11.34 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा विभागीय स्तर पर ब्याज के भुगतान का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

प्रभारित

- फरवरी, 2018 को द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 4,70.24 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 68.44 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार			
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार (प्रभृत) -प्रतिबद्ध			
मू.	7,00.00		
अ.	3,00.00	5,98.24	5,29.80
पु.	- 4,01.76		- 68.44

फरवरी, 2018 को द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 4,01.76 लाख का प्रावधान फरवरी, 2018 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा विभागीय स्तर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधी प्रभार का वास्तविक भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 68.44 लाख की अंतिम बचत पेंशनर्स द्वारा राज्य के बाहर पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -	
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	51,11,32,24	51,11,32,24	47,27,61,41	- 3,83,70,83
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,81,53,87
प्रभारित				
मूल	4	76,87	76,80	- 7
अनुपूरक	76,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				7

पूंजी

दत्तमत				
मूल	92,97,38	92,97,38	63,37,06	- 29,60,32
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				29,60,31

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,83,70.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,16.96 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2055. पुलिस				
104. विशेष पुलिस (01) सिपाही दल-प्रतिबद्ध				
मू.	7,87,33.70	7,39,83.29	7,38,03.75	- 1,79.54
पु.	- 47,50.41			

₹ 47,50.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये वेतनमान में कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,79.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[03] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वारंट/ वाहनों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	13,00.00	1,73.43	1,73.43
पु.	- 11,26.57		..

31 मार्च 2018 को ₹ 11,26.57 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से यात्रा खर्च पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[01] सामान्य पुलिस-प्रतिबद्ध			
मू.	5,79,89.25	5,33,83.88	5,33,83.87
पु.	- 46,05.37		- 0.01

109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[04] यातायात पुलिस-प्रतिबद्ध			
मू.	88,04.00	79,57.94	79,57.94
पु.	- 8,46.06		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 54,51.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये वेतनमान में कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड्स के पदों की तैनातगी के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

109. जिला पुलिस			
(11) सामान्य पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	27,64,93.45	25,09,19.63	25,07,60.88
पु.	- 2,55,73.82		- 1,58.75

₹ 2,55,73.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये वेतनमान में कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध तैनात होम गार्ड्स के पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 1,58.75 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

116. न्यायालयिक विज्ञान			
(01) विधि विज्ञान शाला-प्रतिबद्ध			
मू.	22,88.50	19,73.61	19,73.60
पु.	- 3,14.89		- 0.01

₹ 3,14.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, फर्म द्वारा कम्प्यूटर की आपूर्ति नहीं होने तथा मशीनरी तथा उपकरण की कम खरीद को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस 800. अन्य व्यय (01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	15,99.98	4,77.65	4,77.65
पु.	- 11,22.33		

31 मार्च 2018 को ₹ 11,22.33 लाख का प्रावधान मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं 106. सिविल रक्षा (03) सिविल सुरक्षा [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,66.31	7,87.16	7,87.17
पु.	- 2,79.15		

₹ 2,79.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 189 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 109 पदों के रिक्त रहने, (ii) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद होने तथा (iii) संभागीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा ईकाईयों द्वारा जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र पर जिला त्वरित कार्यवाही दल एवं प्रत्येक जिले के नागरिक सुरक्षा सेवकों के लिए कम पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित किये जाने को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस 001. निदेशन और प्रशासन (03) निदेशन एवं अधीक्षण [01] मुख्यालय एवं रैंज कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	33,79.86	43,79.39	43,79.38
पु.	9,99.53		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.53 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के यात्रा वारंटों के भुगतान, नये वेतनमान में वेतन निर्धारण से वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा बिलों के पुर्नभरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

109. जिला पुलिस (01) सामान्य पुलिस [04] रेलवे वारंट-प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00	5,93.43	6,19.20
पु.	2,93.43		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,93.43 लाख की अतिरिक्त निधियां रेलवे वारंट के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 25.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 016 – (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रहे आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गई) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू.	42,53.70	12,39.27	12,39.27
पु.	- 30,14.43		..

31 मार्च 2018 को ₹ 30,14.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 017 – कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,46,40,76	1,73,85,63	1,69,88,52	- 3,97,11
अनुपूरक	27,44,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				3,95,28
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,97.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 27,44.87 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(02) जिला जेल-प्रतिबद्ध			
मू.	35,27.96	33,99.74	33,99.68
अ.	2,00.00		
पु.	- 3,28.22		
- 0.06			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 3,28.22 लाख की प्रत्याशित बचत (i) गार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (ii) पदों के रिक्त रहने तथा (iii) कैदियों की कम संख्या के कारण भोजन पर व्यय कम को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	73,30,00	74,35,59	68,88,23	- 5,47,36
अनुपूरक	1,05,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
5,47,43				
प्रभारित				
मूल	1	14	13	- 1
अनुपूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
1				

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,05.59 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पुस्तकालय एवं पुस्तिकाओं के लिए ली गयी राशि ₹ 1,05.58 लाख अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना एवं प्रचार			
60. अन्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशालय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	60,65.91	57,02.77	57,02.84
अ.	1,05.59		
पु.	- 4,68.73		
			+ 0.07

अक्टूबर, 2017 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 1,05.58 लाख) में लिया गया ₹ 1,05.59 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 4,68.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सरकार के चार वर्षों के कार्यकलाप पूर्ण होने पर जिलाधीशों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार पर कम व्यय करने एवं प्रचार से सम्बन्धित बिलों का भुगतान हेतु समय पर प्राप्त न होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 018 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना एवं प्रचार			
60. अन्य			
106. क्षेत्र प्रचार			
(01) जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रचार			
[01] जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रचार -प्रतिबद्ध			
मू.	7,82.83		
		7,20.85	
पु.	- 61.98		
		7,20.85	..

₹ 61.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 019 – लोक निर्माण कार्य

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य
 पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों
 तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	4,67,27,01		
अनुपूरक	..	4,67,27,01	4,19,90,55 - 47,36,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			47,18,11
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	4,61	4,62	4,60 - 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	15,09,83,09		
अनुपूरक	4	15,09,83,13	8,84,68,01 - 6,25,15,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			6,30,51,35

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 47,36.46 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 18.35 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 48,95.42 लाख, ₹ 46,72.03 लाख, ₹ 38,04.05 लाख, ₹ 67,32.32 लाख तथा ₹ 47,36.46 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.65 प्रतिशत से 14.33 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	53,84.74	48,95.60	48,90.02
पु.	- 4,89.14		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,29,65.03	2,05,20.29	2,05,14.44
पु.	- 24,44.74		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 29,33.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,43.00	10,96.22	10,95.83
पु.	- 2,46.78		

₹ 2,46.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध			
मू.	5,00.00		
		2,97.72	- 0.27
पु.	- 2,02.28	2,97.45	
31 मार्च 2018 को ₹ 2,02.28 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव के कार्य का निष्पादन समय पर न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	10,00.00		
		6,56.36	- 0.22
पु.	- 3,43.64	6,56.14	
31 मार्च 2018 को ₹ 3,43.64 लाख का प्रावधान खनन पर प्रतिबन्ध के कारण बजरी की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(21) कार्मिक विभाग, सचिवालय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,00.00		
		3,67.06	..
पु.	- 1,32.94	3,67.06	
31 मार्च 2018 को ₹ 1,32.94 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,00.00		
		2,56.59	..
पु.	- 1,43.41	2,56.59	
31 मार्च 2018 को ₹ 1,43.41 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

4. **उचन्त** – लघु शीर्ष “उचन्त” अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, “उचन्त” में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** – इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष “खरीद” भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।

- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** – इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, अपलिखित न की गयी रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

- (iii) **वर्कशाप उचन्त** – सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तंकित किये जाते हैं।

2017-18 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अन्त शेष
	नामे (+) जमा (-)	नामे	जमा	नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 4,53.61	(+) 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,23.57	..	0.24	(+) 2,23.33
योग	(+) 6,77.18	..	0.24	(+) 6,76.94

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 6,25,15.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 6,30,51.35 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,77,73.48 लाख, ₹ 6,88,03.68 लाख, ₹ 3,19,13.49 लाख, ₹ 8,98,16.59 लाख तथा ₹ 6,25,15.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 27.94 प्रतिशत से 55.52 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी। 2016-17 के दौरान बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,90.34		
पु.	- 1,12.23	1,78.11	+ 8.60
31 मार्च 2018 को ₹ 1,12.23 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 8.60 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,19,82.30		
पु.	- 78,56.53	41,25.77	- 24.64
₹ 1,19,82.30 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बताये गये अनुसार नये कार्यों के निष्पादन तथा बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यों का कम निष्पादन करने के कारण 31 मार्च 2018 को ₹ 78,56.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 24.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	13,72.09		
पु.	- 2,69.64	11,02.45	- 0.29
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू.	35,00.00		
पु.	- 15,00.00	20,00.00	..

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू.	2,61.45		
पु.	- 2,61.45		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	77,95.71		
पु.	- 7,27.94	70,67.77	70,67.54
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलें)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	38,66.18		
पु.	- 17,49.38	21,16.80	21,15.66
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	29,75.04		
पु.	- 3,31.37	26,43.67	26,38.63
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,69.19		
पु.	- 1,66.47	2.72	2.72

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 50,06.25 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4059-80-051(05) [01]" के अंतर्गत ₹ 5.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
मू.	8,27.07		
पु.	- 1,71.14	6,55.93	6,55.93
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	54,07.98		
पु.	- 34,27.88	19,80.10	19,80.10
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू.	2,29.32		
पु.	- 2,08.00	21.32	21.32
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवन का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	4,08.12		
पु.	- 2,03.99	2,04.13	2,04.14
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक विभाग का निर्माण कार्य (सचिवालय)			
मू.	4,79.18		
पु.	- 1,77.43	3,01.75	3,01.74
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	9,28.86		
पु.	- 5,10.76	4,18.10	4,18.10

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(46) सामान्य भवन (पेंशन विभाग के लिए भवन)			
मू.	3,33.63	1,02.04	1,02.04
पु.	- 2,31.59		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(54) निदेशालय गोपालन			
मू.	3,35.40	2,20.66	2,20.66
पु.	- 1,14.74		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(57) राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का भवन निर्माण			
[01] कार्यालय भवन का निर्माण			
मू.	10,00.00	6,50.00	6,50.00
पु.	- 3,50.00		
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 53,95.53 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	19,22.19	13,72.85	13,72.85
पु.	- 5,49.34		
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,53.77	23.75	28.14
पु.	- 1,30.02		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 6,79.36 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4202-01-202(01) [91]" के अंतर्गत ₹ 4.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	64,60.18		
पु.	- 44,61.24	19,98.94	19,65.82
			- 33.12
31 मार्च 2018 को ₹ 44,61.24 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
₹ 33.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,16.81		
पु.	- 3,82.24	1,34.57	1,59.92
			+ 25.35
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[93] सड़क व सेतू हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,93.81		
पु.	- 1,43.35	50.46	59.97
			+ 9.51
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 5,25.59 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 34.86 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेकनिक)			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,12.78		
पु.	- 1,62.62	1,50.16	1,50.16
			..
₹ 1,62.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	34,82.30	16,82.39	16,82.39
पु.	- 17,99.91		..

31 मार्च 2018 को ₹ 17,99.91 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	2,78.58	45.83	69.98	+ 24.15
पु.	- 2,32.75			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,32.75 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 24.15 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर
[90] निर्माण कार्य

मू.	17,27.16	13,13.88	12,47.46	- 66.42
पु.	- 4,13.28			

31 मार्च 2018 को ₹ 4,13.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 66.42 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा
[90] निर्माण कार्य

मू.	18,94.52	9,99.19	9,99.19	..
पु.	- 8,95.33			

31 मार्च 2018 को ₹ 8,95.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(02) खण्डीय एवं जिला कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,28.20		
पु.	- 2,89.82	38.38	38.38
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,89.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	6,97.96		
पु.	- 4,40.46	2,57.50	2,57.50
			..
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,74.49		
पु.	- 1,10.11	64.38	64.38
			..
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	2,61.73		
पु.	- 1,65.17	96.56	96.56
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 7,15.74 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,22.27		
पु.	- 3,56.82	8,65.45	8,65.45
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,56.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(07) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों के भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,38.94		
पु.	- 2,30.51	10,08.43	10,08.43

31 मार्च 2018 को ₹ 2,30.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(06) खनिज भवन			
[90] निर्माण कार्य			

मू.	4,95.62		
पु.	- 3,76.87	1,18.75	1,18.51

- 0.24

31 मार्च 2018 को ₹ 3,76.87 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)-प्रतिबद्ध			
मू.	77.88		
पु.	98.13	1,76.01	2,33.27
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू.	8,84.95		
पु.	1,53.72	10,38.67	10,38.64

- 0.03

अनुदान संख्या 019 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(35) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,42.48	23,66.26	23,66.26
पु.	19,23.78		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,75.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4059-80-001(04) [91] " के अंतर्गत ₹ 57.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	32,15.52	13,18.06	15,62.34
पु.	- 18,97.46		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	12,05.84	4,94.27	5,85.88
पु.	- 7,11.57		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 26,09.03 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,35.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	8,03.89	3,29.51	3,90.59
पु.	- 4,74.38		

31 मार्च 2018 को ₹ 4,74.38 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 61.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 020 - आवास

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास
पूँजी - 4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	57,59,93	61,07,54	55,93,94	- 5,13,60
अनुपूरक	3,47,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,14,81
प्रभारित				
मूल	1	1	1	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	32,71,78	32,71,78	18,01,83	- 14,69,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				15,08,91

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सरकारी आवासीय भवनों के मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 3,47.61 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 5,13.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 5,14.81 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था

अनुदान संख्या 020 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	15,04.55	13,13.73	13,13.44
पु.	- 1,90.82		
			- 0.29

₹ 1,90.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

05. साधारण पूल आवास
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(02) न्याय विभाग
[02] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	7,30.00	6,20.45	6,19.16
पु.	- 1,09.55		
			- 1.29

31 मार्च 2018 को ₹ 1,09.55 लाख का प्रावधान न्याय विभाग के रख-रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

05. साधारण पूल आवास
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध

मू.	10,00.00	9,11.21	9,10.50
अ.	97.61		
पु.	- 1,86.40		- 0.71

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 97.61 लाख का प्रावधान पुलिस विभाग के रिहायशी भवनों की मरम्मत व रखरखाव हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,86.40 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 14,69.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 15,08.91 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 18,70.07 लाख, ₹ 3,07.62 लाख, ₹ 8,36.59 लाख तथा ₹ 14,69.95 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 31.50 प्रतिशत से 74.23 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 020 – (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	14,61.27		
पु.	- 11,43.76		
		3,17.51	3,16.93
			- 0.58

31 मार्च 2018 को ₹ 11,43.76 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित (₹ 11,08.32 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 35.44 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	1,16.90		
पु.	- 93.56		
		23.34	25.40
			+ 2.06

31 मार्च 2018 को ₹ 93.56 लाख का प्रावधान कार्य की लागत के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
(05) V एवं VI श्रेणी तथा अन्य आवास
[90] निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध

मू.	1,76.99		
पु.	- 78.18		
		98.81	98.81
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 78.18 लाख का प्रावधान सवेंदकों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 021 - सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3054. सड़क तथा सेतु
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	20,17,88,70		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)		20,17,88,70	17,00,22,17 - 3,17,66,53
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	1,96,41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)		1,96,42	1,94,07 - 2,35
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	41,64,69,94		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)		41,64,69,94	39,77,81,21 - 1,86,88,73
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			

1. ₹ 3,17,66.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,47,26.23 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[04] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (अतिरिक्त परिचालन लागत)			
मू.	1,68.00		
पु.	- 1,24.08	43.92	43.93 + 0.01
31 मार्च 2018 को ₹ 1,24.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
मू.	10,00.00		
पु.	- 1,88.17	8,11.83	8,11.83 ..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,88.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	5,00,00.00		
पु.	- 75,00.00	4,25,00.00	4,25,00.00 ..
31 मार्च 2018 को ₹ 75,00.00 लाख का प्रावधान पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर उपकर को राज्य सड़क विकास निधि को कम अन्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)			
मू.	8,00,00.00		
पु.	- 2,10,42.50	5,89,57.50	5,89,57.50 ..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,10,42.50 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि को कम राशि, जो भारत सरकार से प्राप्त हुई, का हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,04,55.35 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,05,87.15 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] जिला सड़कें-प्रतिबद्ध			
मू.	55,09.85	61,12.37	61,11.74
पु.	6,02.52		
			- 0.63

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,02.52 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त जिला सड़कों पर मरम्मत कार्य के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,50.00	3,49.43	3,49.43
पु.	1,99.43		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.43 लाख की अतिरिक्त निधियां अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के अनुसार क्षतिग्रस्त जिला सड़कों पर मरम्मत कार्य के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	2,04,47.65	2,90,49.85	2,90,44.12
पु.	86,02.20		
			- 5.73

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 86,02.20 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों पर प्राथमिकता आधार पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 5.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)			
मू.	6,00.00	9,72.36	9,72.36
पु.	3,72.36		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,72.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

4. **केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:**— मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 5,89,57.50 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 7,68,57.48 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2018 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 7,74.02 लाख का शेष था।

2017-18 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 1,86,88.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राशि ₹ 1,90,35.65 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 8,81,42.84 लाख, ₹ 6,05,49.40 लाख, ₹ 12,63,40.86 लाख तथा ₹ 1,86,88.73 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.49 प्रतिशत से 36.45 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू.	38,36.00	41,40.00	- 16,70.00
पु.	3,04.00		

₹ 38,36.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित किया गया था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,04.00 लाख की अतिरिक्त निधियां इसी कारण से उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,70.00 लाख की अंतिम बचत रही।

- राज्य राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
- (01) निर्माण

मू.	83,64.16	48,67.77	48,63.49	- 4.28
पु.	- 34,96.39			

31 मार्च 2018 को ₹ 34,96.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 11,07.53 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 23,88.86 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 4.28 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू.	80,79.20		
		21,38.85	
पु.	- 59,40.35	21,38.85	..
31 मार्च 2018 को ₹ 59,40.35 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,25,84.96		
		1,56,96.65	
पु.	- 68,88.31	1,55,88.08	- 1,08.57
31 मार्च 2018 को ₹ 68,88.31 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 1,08.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	18,06.79		
		2,79.45	
पु.	- 15,27.34	3,64.54	+ 85.09
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,51.70		
		69.86	
पु.	- 3,81.84	91.14	+ 21.28
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	6,77.55		
		1,04.79	
पु.	- 5,72.76	1,36.70	+ 31.91

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 24,81.94 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,38.28 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	5,63.45		
पु.	– 37.60	5,25.85	4,58.45
			– 67.40
31 मार्च 2018 को ₹ 37.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 67.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	30,85.44		
पु.	– 16,19.24	14,66.20	14,66.20
			..
₹ 16,19.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	12,74,51.33		
पु.	– 2,06,59.27	10,67,92.06	10,66,85.16
			– 1,06.90
31 मार्च 2018 को ₹ 2,06,59.27 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 1,06.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	74,71.46		
पु.	– 31,01.01	43,70.45	39,70.45
			– 4,00.00
31 मार्च 2018 को ₹ 31,01.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,97.72		
पु.	– 3,79.95	2,17.77	3,09.64
			+ 91.87

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतित्मः)			
मू.	30,39.38	61,71.52	61,71.52
पु.	31,32.14		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतित्मः)			
मू.	3,03,18.58	3,32,49.29	3,32,34.09
पु.	29,30.71		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[19] सड़क उन्नयन परियोजना (तृयोविंशतित्मः)			
मू.	72,86.99	1,25,43.67	1,25,34.93
पु.	52,56.68		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,20,58.74 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
शीर्ष "5054-04-800(11) [18] तथा [19] " के अंतर्गत ₹ 23.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	6,75,21.00	7,22,93.48	7,22,93.48
पु.	47,72.48		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 47,72.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[01] रिडकोर को कर्ज			
मू.	0.01	41,68.00	41,68.00
पु.	41,67.99		

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	53,47.55	53,47.56	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95,15.54 लाख की अतिरिक्त निधियां रिडकोर तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन/कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्मः)			
मू.	3,03.94		
पु.	46.65	1,49.19	- 2,01.40
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 46.65 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 2,01.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,76,05.57		
पु.	- 30,76.21	1,45,29.36	1,63,17.83
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	66,02.07		
पु.	- 11,53.56	54,48.51	60,51.95
+ 6,03.44			

अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	44,01.40		
		36,32.34	39,63.04
पु.	- 7,69.06		+ 3,30.70

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 49,98.83 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 27,22.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	20,85,14	20,85,14	18,12,41	- 2,72,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,72,69
प्रभारित				
मूल	3	3,40	..	- 3,40
अनुपूरक	3,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,40
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,48,68,02	4,48,68,02	3,73,50,44	- 75,17,58
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				74,34,97
प्रभारित				
मूल	4	1,41	79	- 62
अनुपूरक	1,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[05] जल प्रबन्धन जनसहभागिता			
मू.	65.00		
पु.	- 64.40	0.60	0.60

31 मार्च 2018 को ₹ 64.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

107. गंग नहर परियोजना

- (01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से
[01] निदेशन एवं प्रशासन

मू.	5,00.52	4,43.81	4,43.81	..
पु.	- 56.71			

₹ 56.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 75,17.58 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 82.61 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 1,02,24.32 लाख, ₹ 90,45.39 लाख, ₹ 74,49.71 लाख, ₹ 37,12.97 लाख तथा ₹ 75,17.58 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 10.56 प्रतिशत से 25.98 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक आयोजना सीमा में कमी था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	92,66.40	27,57.03	27,57.03
पु.	- 65,09.37		

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

31 मार्च 2018 को ₹ 65,09.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 23,73.42 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 41,35.95 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	31,71.81		
पु.	- 13,90.06	17,81.75	17,31.09
			- 50.66

₹ 13,90.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 50.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त
के माध्यम से
[01] मुख्यालय

मू.	4,27.21			
पु.	- 4,09.78	17.43	17.42	- 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 4,09.78 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त
के माध्यम से
[02] भूमि विकास कार्य

मू.	2,76.93			
पु.	- 1,31.11	1,45.82	1,45.81	- 0.01

₹ 1,31.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त
के माध्यम से
[04] जल प्रबन्धन एवं जन सहभागिता

मू.	3,70.01			
पु.	- 3,70.01

31 मार्च 2018 को ₹ 3,70.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

वर्ष 2016-17 के दौरान भी, ₹ 3,70.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
107. गंग नहर परियोजना				
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से				
[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)				
मू.	30,81.47	27,60.38	27,46.74	– 13.64
पु.	– 3,21.09			
<p>₹ 3,21.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 177 पदों में से 83 पदों के रिक्त रहने, (ii) विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय जो कि जल उपभोग संगठनों द्वारा मांग के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर, जैसलमेर तथा जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा किया जाता है तथा (iii) भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा साख-पत्र की द्वितीय तथा तृतीय किश्त को समय पर जारी नहीं किये जाने के परिणामतः ठेकेदारों द्वारा कार्य रोका गया तथा उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार किये जाने को आरोपित की गयी।</p>				
<p>₹ 13.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।</p>				
107. गंग नहर परियोजना				
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से				
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से) फेज- II				
मू.	16,05.45	12,74.37	12,65.87	– 8.50
पु.	– 3,31.08			
<p>₹ 3,31.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा साख-पत्र की द्वितीय तथा तृतीय किश्त को समय पर जारी नहीं किये जाने के परिणामतः ठेकेदारों द्वारा कार्य रोका गया तथा उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार किये जाने को आरोपित की गयी।</p>				
<p>₹ 8.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।</p>				
108. भाखरा सिंचाई परियोजना				
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से				
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)				
मू.	41,85.08	38,21.33	38,12.13	– 9.20
पु.	– 3,63.75			
<p>₹ 3,63.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा साख-पत्र की द्वितीय तथा तृतीय किश्त को समय पर जारी नहीं किये जाने के परिणामतः ठेकेदारों द्वारा कार्य रोका गया तथा उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार किये जाने को आरोपित की गयी।</p>				
<p>₹ 9.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।</p>				

अनुदान संख्या 022 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,09,37.20	1,34,60.80	..
पु.	25,23.60	1,34,60.80	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,23.60 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. **मण्डी विकास निधि** – चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2018 को निधि में जमा शेष ₹ 3.12 लाख था जो कि वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा
 6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,58,20,41	5,78,86,23	5,54,68,40	– 24,17,83
अनुपूरक	20,65,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				24,15,46
प्रभारित				
मूल	4	7,36	7,32	– 4
अनुपूरक	7,32			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4

पूंजी

दत्तमत				
मूल	51,79,90	51,79,91	24,34,47	– 27,45,44
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				27,45,44

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20,65.82 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	16,14.33	14,10.09	14,08.87	– 1.22
पु.	– 2,04.24			

₹ 2,04.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(10) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुविधा एवं सूचना केन्द्र			
[01] असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुविधा एवं सूचना केन्द्र			
मू.	1,20.00		
पु.	- 1,17.14	2.86	2.86

31 मार्च 2018 को ₹ 1,17.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. रोजगार सेवाएं
101. रोजगार सेवाएं
(06) नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट (मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज)
[01] मॉडल कैरियर सेन्टर

मू.	0.03		
अ.	2,45.89	58.40	58.40
पु.	- 1,87.52		

₹ 0.03 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहायता की नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत तीन मॉडल कैरियर सेन्टर्स की स्थापना और 29 रोजगार नियोजनों के इंटरलिंकिंग हेतु अनुमानित किया गया था। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान रोजगार मेले आयोजन, रिफर्बिशिंग, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर्स के क्रय पर व्यय किया जाना था आगे फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,45.89 लाख इसी उद्देश्य से भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिये गये जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,87.52 लाख का प्रावधान कम्प्यूटर्स की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2018 के अन्त में जारी की गयी थी।

03. प्रशिक्षण
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
(06) मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना

मू.	3,23.47		
पु.	- 2,49.89	73.58	73.58

31 मार्च 2018 को ₹ 2,49.89 लाख का प्रावधान सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में क्रमोन्नत के तहत मॉडल आई.टी.आई., उदयपुर हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूँजी

दत्तमत

- 1 वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,86.58 लाख, ₹ 2,87.68 लाख, ₹ 24,48.39 लाख, ₹ 25,72.90 लाख तथा ₹ 27,45.44 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 50.13 प्रतिशत से 71.29 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का निष्पादन अनुमान से कम होने के कारण बताया गया।

अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	42,13.67	15,79.78	15,79.78
पु.	- 26,33.89		..

₹ 42,13.67 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा नई आई.टी.आई. की स्थापना के लिए मशीनरी एवं उपकरण के क्रय हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 26,33.89 लाख का प्रावधान मशीनरी और उपकरण की खरीद के बिलों के समय पर प्राप्त न होने से भुगतान के बकाया रहने के कारण अभ्यर्पित (₹ 20,99.26 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,34.63 लाख) किया गया।

203. रोजगार

(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.

[01] संयंत्र और उपकरण

मू.	9,19.91	3,16.47	3,16.47
पु.	- 6,03.44		..

₹ 9,19.91 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के आई.टी.आई. के लिये मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 6,03.44 लाख का प्रावधान (i) आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने, (ii) फर्मों द्वारा सामग्री की समस्त आपूर्ति न करने तथा (iii) बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान बकाया रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज			
60. अन्य			
800. अन्य कर्ज			
(08) राजस्थान पर्यटन प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर को उधार			
अ.	0.01	5,00.00	5,00.00
पु.	4,99.99		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर को उधार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2202. सामान्य शिक्षा,

2203. तकनीकी शिक्षा,

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,27,78,93,88		
अनुपूरक	6,96,60,32	2,34,75,54,20	2,26,65,12,25 – 8,10,41,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			8,08,23,07
प्रभारित			
मूल	20		
अनुपूरक	46,75,28	46,75,48	43,63,57 – 3,11,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			3,11,89
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	4,93,26,89		
अनुपूरक	2	4,93,26,91	3,49,23,95 – 1,44,02,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			1,41,83,50

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 6,96,60.32 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,96,60.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 8,10,41.95 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,18.88 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	3,65.51		
पु.	- 1,04.67	2,60.84	2,58.41
			- 2.43

₹ 1,04.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा 46 नये ब्लॉक कार्यालयों के फर्नीचर तथा कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गई।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- (07) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय
- [01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	65,90.41		
पु.	- 50,68.34	15,22.07	15,21.46
			- 0.61

₹ 50,68.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जनवरी, 2018 से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्य कम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों को वेतन तथा भत्ते के भुगतान जारी करने के सम्बन्ध में लागू की गयी नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन में कठिनाई, 2012 में भर्ती हुए अध्यापकों के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने के कारण चिकित्सा दावों के भुगतान नही होने को आरोपित की गयी।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- (08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय
- [01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	20,67.33		
पु.	- 7,93.61	12,73.72	12,73.71
			- 0.01

₹ 7,93.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जनवरी, 2018 से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्य कम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों को वेतन तथा भत्ते के भुगतान जारी करने के सम्बन्ध में लागू की गयी नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन में कठिनाई तथा 2012 में भर्ती हुए अध्यापकों के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता
- (13) शिक्षा कर्मी बोर्ड-प्रतिबद्ध

मू.	64,96.00		
पु.	- 10,81.65	54,14.35	54,14.35
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 10,81.65 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा शिक्षा कर्मी बोर्ड को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
105. अनौपचारिक शिक्षा			
(04) विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा			
[01] संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,20.76		
पु.	- 1,53.07	67.69	67.68
			- 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 1,53.07 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,43,52.01		
पु.	- 8,85,92.93	6,57,59.08	6,57,53.54
			- 5.54

₹ 8,85,92.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के बकाया तथा 2012 में भर्ती अध्यापकों के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गई।

₹ 5.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,30,33.21		
पु.	- 99,75.43	1,30,57.78	1,30,51.34
			- 6.44

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,00,47.52		
पु.	- 1,45,32.00	55,15.52	55,15.31
			- 0.21

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,45,07.43 लाख का प्रावधान जनवरी, 2018 से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्य कम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों को वेतन तथा भत्ते के भुगतान जारी करने के सम्बन्ध में लागू की गयी नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन में कठिनाई तथा 2012 में भर्ती हुए अध्यापकों के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2202-01-197(02) [02]" के अंतर्गत ₹ 6.44 लाख की अंतिम बचत कोषालय द्वारा आक्षेपित बिल पारित नहीं करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	74,41.78		
पु.	- 8,45.04	65,96.74	65,96.40
			- 0.34

31 मार्च 2018 ₹ 8,45.04 लाख का प्रावधान जनवरी, 2018 से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्य कम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों को वेतन तथा भत्ते के भुगतान जारी करने के सम्बन्ध में लागू की गयी नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन में कठिनाई, 2012 में भर्ती हुए अध्यापकों के एरियर का भुगतान नहीं होने तथा बकाया यात्रा तथा चिकित्सा बिल दावों का ऑनलाईन भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(14) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान
[01] विद्यालय संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	26,09,50.00			
पु.	- 2,11,66.07	23,97,83.93	23,97,83.85	- 0.08

31 मार्च 2018 को ₹ 2,11,66.07 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के बकाया तथा 2012 में भर्ती किये गये अध्यापकों के बकाया भुगतान नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,66,09.71 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 45,56.36 लाख) किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
800. अन्य व्यय
(05) मदरसा स्कूल

मू.	73,35.00			
पु.	- 25,92.00	47,43.00	47,43.00	..

31 मार्च 2018 को ₹ 25,92.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2018)।

02. माध्यमिक शिक्षा
107. छात्रवृत्तियाँ
(11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

मू.	45,20.53			
पु.	- 45,20.53

31 मार्च 2018 को ₹ 45,20.53 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र तथा छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रत्याशित बचत ₹ 45,20.53 लाख में से ₹ 43,41.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(03) व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	39,42.04	29,12.02	29,12.02
पु.	- 10,30.02		..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,30.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः <i>व्यावसायिक शिक्षा योजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[01] बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय			
मू.	30,02.93	10,62.54	10,62.54
पु.	- 19,40.39		..
31 मार्च 2018 को ₹ 19,40.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य निधि कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(18) आई.सी.टी.			
मू.	34,80.80	28,54.30	28,54.30
पु.	- 6,26.50		..
₹ 6,26.50 लाख का प्रावधान आई.सी.टी. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक विद्यालय			
मू.	49,00.00	33,00.00	33,00.00
पु.	- 16,00.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 16,00.00 लाख का प्रावधान सैनिक विद्यालय, झुन्झुनू के निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के परिणामस्वरूप पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को अनुदान			
मू.	8,13.50	6,38.50	6,38.50
पु.	- 1,75.00		..
₹ 1,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को अनुदान			
मू.	8,00.00		
		2,68.73	
पु.	- 5,31.27	2,68.73	..
31 मार्च 2018 को ₹ 5,31.27 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं परीक्षा भवन के निर्माण के लिए कार्य आदेश देरी से जारी होना तथा किराया, बिजली एवं सुरक्षा कर्मियों के बिल समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को अनुदान			
मू.	8,36.00		
		4,88.00	
पु.	- 3,48.00	4,88.00	..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,48.00 लाख का प्रावधान (i) शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण कम अनुदान (वेतन) जारी करना, (ii) राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) द्वारा कार्यों का कम निष्पादन करना तथा (iii) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण आर.एस.आर.डी.सी. के खाते में जारी अग्रिम (₹ 1,64.00 लाख) का लेखों में सम्मिलित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	15,30.96		
		13,68.00	
पु.	- 1,62.96	13,68.00	..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,62.96 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,08.80		
		5,13.77	
पु.	- 1,95.03	5,13.19	- 0.58
31 मार्च 2018 को ₹ 1,95.03 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(13) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
[01] राजकीय महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,84,49.93		
पु.	- 81,05.77	5,03,44.16	5,03,40.08
			- 4.08
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(14) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रीयों के लिये)			
[01] राजकीय महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,55,25.39		
पु.	- 23,74.24	1,31,51.15	1,31,49.88
			- 1.27
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,04,80.01 लाख की प्रत्याशित बचत सातवें वेतन आयोग में कॉलेज स्टाफ की वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि महाविद्यालय में सहायक लेखाधिकारियों के पद रिक्त थे।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,80.01		
पु.	- 1,80.01
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,80.01 लाख का प्रावधान महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	20,00.00		
पु.	- 3,95.46	16,04.54	16,04.54
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,95.46 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निर्धारित समय सीमा में ऑन लाईन फार्म की अनुपलब्धता तथा अधूरे आवेदन पत्र हुए।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(02) साक्षर भारत अभियान			
मू.	22,56.41		
पु.	- 5,26.68	17,29.73	17,29.73
			..
₹ 5,26.68 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(03) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू.	6,10.08		
पु.	- 1,50.72		
	4,59.36	4,59.36	..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,50.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(08) निदेशालय			
[01] संस्थापना व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	9,71.43		
पु.	- 1,45.97		
	8,25.46	8,25.38	- 0.08
₹ 1,45.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 54 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(09) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] संस्थापना व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	28,20.48		
पु.	- 3,52.02		
	24,68.46	24,68.46	..
₹ 3,52.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 87 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(03) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	36,62.17		
पु.	- 3,15.76		
	33,46.41	33,46.26	- 0.15
₹ 3,15.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा इस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ई-प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(13) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धौलपुर को अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(14) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांरा को अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(15) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, करौली को अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु महाविद्यालयों को अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय
(01) साधारण व्यय

मू.	4,27.80	1,31.11	1,31.11	..
पु.	- 2,94.69			

₹ 2,94.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 61 स्वीकृत पदों में से 52 पदों के रिक्त रहने तथा ई-जर्नल एवं ई-बुक पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी।

105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प
(पॉलिटेक्निक) विद्यालय

मू.	13,85.00	11,27.47	11,27.48	+ 0.01
पु.	- 2,57.53			

₹ 2,57.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 555 स्वीकृत पदों में से 377 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं

101. व्यायाम शिक्षा

(04) शारीरिक शिक्षा विद्यालय

[01] शारीरिक शिक्षा विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	7,77.98	5,19.75	5,19.73	- 0.02
पु.	- 2,58.23			

₹ 2,58.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजकीय सार्दूल स्पोर्ट्स विद्यालय/ गुरु नानक भवन संस्थान तथा जिला शिक्षा कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने, (ii) सातवें वेतन आयोग में वेतन का स्थिरीकरण नहीं होने तथा (iii) राजकीय सार्दूल स्पोर्ट्स विद्यालय, बीकानेर में छात्रावास विद्यार्थियों के लिए मैस पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[03] बड़ी शाखाएं-निदेशालय-प्रतिबद्ध			
मू.	19,61.81		
अ.	0.01	17,66.57	17,64.75
पु.	- 1,95.25		- 1.82

₹ 1,95.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

104. खेल-कूद			
(05) पाइका योजना			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 के दौरान भी ₹ 11,47.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(13) रविन्द्र मंच			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(15) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण-प्रतिबद्ध			
मू.	25,55.69		
पु.	- 2,15.41	23,40.28	23,40.28

₹ 2,15.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान धरोवर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	17,50.86		
पु.	- 10,57.93	6,92.93	6,92.93

31 मार्च 2018 को ₹ 10,57.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति 103. पुरातत्व विज्ञान (02) संग्रहालय एवं स्मारक			
मू.	8,18.72		
पु.	- 2,83.15	5,35.57	5,35.58 + 0.01

₹ 2,83.15 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी गति को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

103. पुरातत्व विज्ञान (05) साधारण व्यय [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,76.73		
पु.	- 2,63.08	10,13.65	10,13.48 - 0.17

₹ 2,63.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

105. सार्वजनिक पुस्तकालय (02) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से [01] पुस्तकालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,91.41		
पु.	- 1,25.11	9,66.30	9,66.31 + 0.01

₹ 1,25.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 01. प्रारम्भिक शिक्षा 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण [01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	70,00.00		
पु.	9,98.79	79,98.79	79,98.79 ..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,98.79 लाख की अतिरिक्त निधियां राजकीय विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक सीबीएसई पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद पुस्तकों के वितरण से गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	63,43.02		
पु.	10,30.92	73,73.94	73,73.05
			– 0.89
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,30.92 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के अधिलाभों के भुगतान तथा 2012 में नियुक्त अध्यापकों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(06) सार्वजनिक पाठशालाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	8,04.94		
पु.	1,79.04	9,83.98	9,83.96
			– 0.02
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,79.04 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के अधिलाभों के भुगतान तथा 2012 में नियुक्त अध्यापकों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम			
मू.	28,43,88.07		
अ.	6,96,60.23	36,51,84.53	36,51,64.01
पु.	1,11,36.23		– 20.52
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11,36.23 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
₹ 20.52 लाख की अंतिम बचत कोषालय द्वारा आक्षेपित बिल पारित नहीं करने के कारण रही।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	13,22.00		
पु.	89,75.44	1,02,97.44	1,02,94.96
			– 2.48
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,01.00		
पु.	8,63.81	10,64.81	10,63.98
			– 0.83

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	3,00.02	17,83.57	17,82.86
पु.	14,83.55		- 0.71

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,13,22.80 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के अधिलाभों के भुगतान तथा 2012 में नियुक्त अध्यापकों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) निरीक्षण
[01] स्थापना व्यय

मू.	33,54.20	40,79.88	40,79.37	- 0.51
पु.	7,25.68			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,25.68 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान तथा मंहगाई भत्ता एरथिर और बकाया दायित्वों हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा
001. निदेशन तथा प्रशासन
(03) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण
[01] माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा

मू.	50,00.00	74,98.33	74,98.33	..
पु.	24,98.33			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,98.33 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण योजना के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तक मण्डल के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय
(01) लड़कों के विद्यालय

मू.	26,02,30.00	28,89,95.41	28,89,29.40	- 66.01
पु.	2,87,65.41			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,87,65.41 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) लड़कों के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के बाद वेतन एवं भत्तों का भुगतान, (ii) सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद बढ़े हुए वेतन और भत्तों का भुगतान, (iii) गत वर्षों में क्रमोन्नत विद्यालयों की रिकोनाइज्ड फीस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जमा कराने तथा (iv) बकाया चिकित्सा दावों का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 66.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(02) बालिका के विद्यालय			
मू.	3,25,29.51	3,95,28.83	3,95,24.97
पु.	69,99.32		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69,99.32 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बालिका विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के बाद वेतन एवं भत्तों का भुगतान, (ii) सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद बढ़े हुए वेतन और भत्तों का भुगतान तथा (iii) बकाया चिकित्सा दावों का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	3,45,00.03	3,87,68.30	3,87,61.26
पु.	42,68.27		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,68.27 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग से पदों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी होने से भुगतान तथा <i>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 7.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) माडल स्कूल			
[01] माडल स्कूल-सामान्य व्यय			
मू.	70,70.15	98,90.97	98,90.97
पु.	28,20.82		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,20.82 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में			
अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण			
मू.	72,79.88	1,16,57.94	1,16,57.94
पु.	43,78.06		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,78.06 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>निःशुल्क साइकिल वितरण योजना</i> के अन्तर्गत गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(12) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में			
अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा			
मू.	7,59.00	10,35.00	10,35.00
पु.	2,76.00		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,76.00 लाख की अतिरिक्त निधियां ट्रांसपोर्ट वाउचर्स के लिए लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (20) गार्गी पुरस्कार	मू. 27,60.00 पु. 5,87.98	33,47.98	33,47.98 ..
₹ 27,60.00 लाख का प्रावधान कक्षा 10 तथा 12 की छात्राएं जिन्होंने 75% और अधिक अंक अर्जित किये हो, को गार्गी पुरस्कार हेतु अनुमानित था। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,87.98 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (23) लैपटॉप वितरण	मू. 21,40.00 पु. 31,50.62	52,90.62	52,90.62 ..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,50.62 लाख की अतिरिक्त निधियां मेघावी छात्रों के लिए नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (27) लड़कों के विद्यालय [01] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध	मू. 74,04,09.28 पु. 1,02,74.71	75,06,83.99	75,06,34.92 - 49.07
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,02,74.71 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) रिक्त पदों को भरने के बाद वेतन एवं भत्तों का भुगतान, (ii) सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद बढ़े हुए वेतन एवं भत्तों का भुगतान, (iii) बकाया चिकित्सा दावों का भुगतान, (iv) राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार स्पिन फेड के कर्मचारियों को छः माह की मजदूरी का भुगतान तथा (v) न्यायालय के निर्णय के अनुसार सहायता प्राप्त संस्थानों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 49.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेघावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार [02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण	अ. 0.01 पु. 1,08.87	1,08.88	1,08.88 ..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,08.87 लाख की अतिरिक्त निधियां मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा 110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (06) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता [01] सैनिक स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान-प्रतिबद्ध	मू. 1,75.00 पु. 5,50.00	7,25.00	7,25.00 ..

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सैनिक स्कूल, चित्तोड़गढ़ के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा सैनिक स्कूल झुन्झनू में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ करने पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(01) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	75,00.01	95,00.00	95,00.00
पु.	19,99.99		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां गैर शैक्षिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
102. विश्वविद्यालयों को सहायता
(17) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान
[01] जगतगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	2,70.01	4,00.00	4,00.00	..
पु.	1,29.99			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,29.99 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्वविद्यालय के संवेतन हेतु अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
(02) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)

मू.	34,79.01	38,18.20	38,15.10	- 3.10
पु.	3,39.19			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,39.19 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
(03) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए)

मू.	8,85.51	11,31.72	11,31.74	+ 0.02
पु.	2,46.21			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,46.21 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
003. प्रशिक्षण
(04) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	20,01.72	23,52.58	23,52.38	- 0.20
पु.	3,50.86			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,50.86 लाख की अतिरिक्त निधियां कक्षा V तथा VIII की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए मानदेय के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(03) विद्या भवन रूरल कालेज, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
		1,70.44	
पु.	1,70.43	1,70.44	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.43 लाख की अतिरिक्त निधियां माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विद्या भवन समिति के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजो तथा संस्थानों को सहायता			
(19) अभियांत्रिकी कॉलेज, अजमेर			
[01] अभियांत्रिकी कॉलेज अजमेर को सहायताार्थ अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
		2,75.00	
पु.	2,74.99	2,75.00	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,74.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(05) राजस्थान भारत स्काउट्स और गाइड			
[01] राजस्थान भारत स्काउट्स और गाइड को सहायताार्थ अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	6,45.00		
		7,48.75	
पु.	1,03.75	7,48.75	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,03.75 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	2,00.00		
		3,32.00	
पु.	1,32.00	3,32.00	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,32.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

प्रभारित

- ₹ 46,75.48 लाख के कुल अनुपूरक विनियोजन में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 7,27.24 लाख का प्रावधान ₹ 3,11.91 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 1,44,02.96 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,19.46 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 47,96.61 लाख, ₹ 28,46.92 लाख, ₹ 3,10.85 लाख, ₹ 22,99.19 लाख तथा ₹ 1,44,02.96 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.47 प्रतिशत से 60.55 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(12) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	2,09,99.98		
पु.	- 1,83,39.25	26,60.73	26,60.73
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,83,39.25 लाख का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 77,38.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,06,00.31 लाख) किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			
मू.	25,59.19		
पु.	- 25,59.19
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 25,59.19 लाख का प्रावधान मॉडल स्कूलों में निर्माण कार्य के लिए सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	10,36.22		
पु.	- 8,58.59	1,77.63	0.03
			- 1,77.60

31 मार्च 2018 को ₹ 8,58.59 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान पॉलिटेक्निक्स को क्रमोन्नत तथा 15 नये पॉलिटेक्निक्स के लिये मशीनरी तथा उपकरण कम खरीदने तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा 3 डी मुद्रण तथा रोबोटिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिये निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,77.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	18,82.51	14,04.60	..
पु.	- 4,77.91		

31 मार्च 2018 को ₹ 4,77.91 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से बजट घोषणा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के अभ्यर्पित किया गया।

04. कला तथा संस्कृति
106. संग्रहालय
(02) पुरातत्व एवं सर्वेक्षण (50:50)

मू.	25,00.00	19,00.00	19,00.00	..
पु.	- 6,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. कला तथा संस्कृति
800. अन्य व्यय
(01) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान

मू.	5,47.63	4,20.58	3,78.72	- 41.86
पु.	- 1,27.05			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,27.05 लाख का प्रावधान दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थो, शरीयत रिकार्ड एवं प्राचीन तथा अनुपम रिकार्ड के डिजिटलईजेशन हेतु अनुमोदित पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू (पी.पी.आर.) के अनुसार राजकोम्प इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पी.डी. खातों में निधियों के हस्तान्तरण किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 41.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. कला तथा संस्कृति
800. अन्य व्यय
(02) प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान

मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम द्वारा गत वर्ष की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रु.लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(13) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	1,35,99.98		
		1,49,75.44	1,49,75.44
पु.	13,75.46		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,75.46 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(16) विद्यालयों के जर्जर भवन			
[01] माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवनों का पुररूद्धार			
अ .	0.01		
		23,40.43	23,40.43
पु.	23,40.42		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,40.42 लाख की अतिरिक्त निधियां जर्जर भवनों के नवीनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(17) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII के तहत निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत कार्य			
अ .	0.01		
		49,60.00	49,60.00
पु.	49,59.99		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,59.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,70,69,96	2,79,53,52	2,52,26,10	- 27,27,42
अनुपूरक	8,83,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				27,26,69
प्रभारित				
मूल	3	38	36	- 2
अनुपूरक	35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,83.56 लाख का प्रावधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वितीय चरण के तहत कोषालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को भुगतान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
097. खजाना स्थापना				
(05) खजाना				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,38,71.28	1,28,82.68	1,28,82.24	- 0.44
पु.	- 9,88.60			

₹ 9,88.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोषालयों में 225 कनिष्ठ लेखाकार जो नियमित वेतनमान से वेतन आहरित कर रहे थे, की जगह नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को परिवीक्षा पर पदस्थापन के दौरान निर्धारित वेतन के भुगतान के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय क्योंकि 342 स्वीकृत पदों के विपरीत 317 मैन विथ मशीन कार्यरत होने तथा कुछ कोषालयों/उपकोषालयों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से इनकी कार्य की दर कम होने से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(02) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण-प्रतिबद्ध			
मू. 20,76.13	18,72.62	18,72.33	- 0.29
पु. - 2,03.51			

₹ 2,03.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 82 पदों के रिक्त रहने तथा पेंशनरों के परिचय पत्र तैयार नहीं होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना
[01] विश्व बैंक द्वारा पोषित

मू. 40,50.00	12,97.92	12,97.91	- 0.01
पु. - 27,52.08			

₹ 27,52.08 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से ₹ 14,81.55 लाख, फर्मों द्वारा बिलों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2018 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। शेष ₹ 12,70.53 लाख की रही, बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण			
मू. 11,86.00	33,85.92	33,85.92	..
अ. 8,83.56			
पु. 13,16.36			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,16.36 लाख की अतिरिक्त निधियां एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वितीय चरण के तहत कोषालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ,
2211. परिवार कल्याण और
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूँजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय और
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	70,44,26,55		
अनुपूरक	11,03,60,92	81,47,87,47	76,57,62,25 – 4,90,25,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			4,89,24,92
प्रभारित			
मूल	82,15		
अनुपूरक	11,25	93,40	83,06 – 10,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			10,34
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	2,94,85,68		
अनुपूरक	2	2,94,85,70	1,70,94,30 – 1,23,91,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			1,23,91,38

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,90,25.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 11,03,60.92 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 4,90,25.22 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,00.30 लाख की राशि अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[44] पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	5,95.25	4,72.96	4,72.34
पु.	- 1,22.29		

₹ 1,22.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 122 स्वीकृत पदों में से 60 पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[49] न्यू जनाना अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	20,33.71	18,14.07	18,14.06
पु.	- 2,19.64		

₹ 2,19.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महिला चिकित्सालय की 18 द्वितीय श्रेणी नर्सों के प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के बाद वेतन अन्य लेखा शीर्ष से आहरण करने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय
[01] सामान्य अस्पताल

मू.	57,83.06	51,95.12	51,93.43
पु.	- 5,87.94		

₹ 5,87.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय
[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध

मू.	5,66,36.08	5,62,17.90	5,62,10.34
अ.	38,00.00		
पु.	- 42,18.18		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 38,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 42,18.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, (ii) रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कम मांग के कारण मशीनरी तथा उपकरणों, मरम्मत, वर्दी तथा सफाई व्यवस्था पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 7.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियां-प्रतिबद्ध			
मू.	80,74.10		
पु.	- 5,88.26	74,85.84	74,85.63 - 0.21
₹ 5,88.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने तथा चिकित्सा पुनर्भरण दावे कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	16,85.72		
पु.	- 2,71.30	14,14.42	14,14.42 ..
₹ 2,71.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	1,40,76.03		
पु.	- 9,42.38	1,31,33.65	1,31,32.00 - 1.65
₹ 9,42.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	4,37,43.71		
अ.	31,00.00	4,26,99.53	4,26,94.69 - 4.84
पु.	- 41,44.18		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 31,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 41,44.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, (ii) रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कम मांग के कारण वर्दी, संविदा सेवाओं तथा औषधी तथा भेषज पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	5,34,16.95		
		5,00,01.86	4,99,98.64
पु.	- 34,15.09		- 3.22
₹ 34,15.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, (ii) रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कम मांग के कारण औषधि, भेषज, वर्दी तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[05] स्वास्थ्य उप केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	51,87.80		
		45,21.66	45,21.64
पु.	- 6,66.14		- 0.02
₹ 6,66.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, (ii) रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कम मांग के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय ग्रामीण-प्रतिबद्ध			
मू.	7,28.10		
		4,90.63	4,90.62
पु.	- 2,37.47		- 0.01
31 मार्च 2018 को ₹ 2,37.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 132 स्वीकृत पदों में से 49 पदों के रिक्त रहने, (ii) चिकित्सा अधिकारी जो दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके, के स्थायी करण के आदेश जारी नहीं होने के कारण बढ़ी दर से वेतन का भुगतान नहीं करने तथा (iii) सातवें वेतन आयोग में समय पर वेतन का निर्धारण नहीं किये जाने के कारण बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[22] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	2,26,56.44		
		2,11,68.23	2,11,68.23
पु.	- 14,88.21		..
₹ 14,88.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(05) झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
[02] टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
मू.	22,50.00		
		25.00	25.00
पु.	- 22,25.00		..

31 मार्च 2018 को ₹ 22,25.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
800. अन्य व्यय
(02) निःशुल्क दवा योजना
[04] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर

मू.	3,70.00			
		2,69.65	2,69.66	+ 0.01
पु.	- 1,00.35			

₹ 1,00.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत ई-निविदाओं के अन्तर्गत दवाओं की कम दर प्राप्त होने के कारण औषधी तथा भेषज पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मू.	4,51.52			
		2,52.74	2,52.56	- 0.18
पु.	- 1,98.78			

₹ 1,98.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं सातवें वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य
800. अन्य व्यय
(04) जन स्वास्थ्य बीमा योजना
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से

मू.	2,59,99.89			
अ.	4,33,66.63	5,13,85.64	5,13,85.64	..
पु.	- 1,79,80.88			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा जन स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु लिया गया ₹ 4,33,66.63 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,79,80.88 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा वस्तु एवं सेवा कर से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में छूट के कारण राज्य निधि से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.04 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,79,80.84 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	29,39.32	24,04.75	24,04.75
पु.	- 5,34.57		..

31 मार्च 2018 को ₹ 5,34.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
[02] ग्रामीण उप केन्द्र

मू.	4,83,05.03	4,87,90.31	4,87,83.26	- 7.05
अ.	46,00.00			
पु.	- 41,14.72			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 46,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 41,14.72 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) अधीनस्थ कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने तथा (iii) पदों के रिक्त रहने के कारण वर्दी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक

मू.	14,00.00	7,97.61	7,97.61	..
पु.	- 6,02.39			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,02.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक की कम आपूर्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विस (ई.एम.आर.आई.)
(50:50)

मू.	61,95.20	39,92.13	39,92.13	..
पु.	- 22,03.07			

₹ 22,03.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) 108 एम्बुलेन्स के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण आपूर्तिकर्ता एजेन्सी द्वारा कम सेवाएं उपलब्ध कराने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	10,33,88.52		
अ.	3,45,35.30	12,78,87.21	12,78,87.21
पु.	- 1,00,36.61		..

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 3,45,35.30 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00,36.61 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	51,44.01		
पु.	- 51,44.01

31 मार्च 2018 को ₹ 51,44.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[05] समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंधन			
मू.	1,99.92		
पु.	- 1,90.80	9.12	9.12

31 मार्च 2018 को ₹ 1,90.80 लाख का प्रावधान व्यय नहीं होने की सम्भावना में अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कार्यक्रम योजना चरण में था।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) प्रधान कार्यालय			
[01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	29,56.44		
पु.	2,16.42	31,72.86	31,72.87
			+ 0.01

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,16.42 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय होने, चिकित्सा पुनर्भरण दावे अधिक प्राप्त होने तथा डोडा पोस्ट नशा मुक्ति कार्यक्रम "नया सवेरा" पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर			
मू.	7,35.05		
		10,36.56	10,36.56
पु.	3,01.51		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,01.51 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान हेतु वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय तथा मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आक्सीजन गैस, गॉज बेंडेज तथा शल्य चिकित्सा में काम आने वाली कीटाणु रहित औषधियों की ज्यादा खरीददारी की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[14] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर

मू.	1,65.04		
		3,26.08	3,26.08
पु.	1,61.04		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,61.04 लाख की अतिरिक्त निधियां निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की द्वितीय श्रेणी की अधिशेष नर्सों के बकाया वेतन के भुगतान तथा अस्पताल में नई ईकाई की शुरुआत होने के कारण ऑक्सीजन गैस की अतिरिक्त आपूर्ति पर व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करवायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[24] महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर

मू.	17,33.82		
		20,21.73	20,21.86
पु.	2,87.91		+ 0.13

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,87.91 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के लाभ का भुगतान करने तथा औषधी तथा भेषज के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[33] नवीन चिकित्सालय, कोटा

मू.	13,47.40		
		16,04.35	16,04.34
पु.	2,56.95		- 0.01

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,56.95 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग के परिणामों का भुगतान, (ii) सुपर स्पेशलिटी इमारत में विद्युत् कनेक्शन के लिए मांग पत्र जमा करवाने एवं ज्यादा बिजली का उपभोग करने तथा (iii) अस्पताल के विस्तार के बाद उपभोज्य प्रयोगशाला मर्दों, भेषज आदि की खरीददारी हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[43] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,58,64.72	1,76,74.35	1,76,74.34
पु.	18,09.63		- 0.01

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,09.63 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान करने, (ii) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं का विस्तार, (iii) संविदा सेवाओं के बकाया दायित्वों का भुगतान, (iv) मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉइन्ट में वृद्धि, (v) नये शल्य क्रिया गृह, ट्रोमा केन्द्र तथा धन्वन्तरि अस्पताल में तीन अतिरिक्त तलों की शुरुआत के कारण विद्युत पर व्यय में वृद्धि होने तथा (vi) मशीनरी के पार्ट्स का प्रतिस्थापन करने पर हुए व्यय की वृद्धि की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[48] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	19,77.61	21,77.70	21,77.69	- 0.01
पु.	2,00.09			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.09 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान तथा (ii) अस्पताल में नई ईकाई के शुरू करने से बिजली एवं संविदा सेवाओं पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[55] मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध

मू.	25,71.13	28,08.82	28,08.82	..
पु.	2,37.69			

₹ 2,37.69 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(06) आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान
[02] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को
अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	1,34.00	2,79.00	2,79.00	..
पु.	1,45.00			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को वेतन के लिए अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	13,52.10		
पु.	6,80.74	20,32.84	20,32.85 + 0.01
<p>31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,80.74 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने, (ii) कनिष्ठ लेखाकारों के छः पदों को भरने, (iii) 53 पदों की द्वितीय ग्रेड नर्स से प्रथम ग्रेड नर्स में पदोन्नति तथा (iv) वेतन में वृद्धि के कारण वरिष्ठ रेजीडेन्ट चिकित्सकों के वजीफा भुगतान में बढ़ोत्तरी होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	8,06.52		
पु.	3,59.53	11,66.05	11,66.04 - 0.01
<p>31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,59.53 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के परिलाभों का भुगतान, (ii) अनुमोदन शुल्क का भुगतान, (iii) सफाई तथा सुरक्षा की निविदा दरों में वृद्धि तथा (iv) नये औषधालयों में संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[28] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू.	46,87.07		
पु.	4,38.80	51,25.87	51,24.09 - 1.78
<p>31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,38.80 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के परिलाभों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	14,50.03		
पु.	9,74.58	24,24.61	24,24.60 - 0.01

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,74.58 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के परिलाभों के भुगतान, (ii) मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के परीक्षण के लिए मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी, (iii) निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के मरीजों के लिए दवाइयों की खरीद जिनकी राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति नहीं की गई तथा (iv) कम्प्यूटर एवं सफाई कार्य के लिए लगे हुए कर्मियों को भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	5,55.02		
पु.	1,97.25	7,52.27	7,51.82
			- 0.45

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,97.25 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के परिलाभों का भुगतान करने तथा निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत लगाई गयी मशीनरी के रखरखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	6,76.13		
पु.	2,09.10	8,85.23	8,85.23
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,09.10 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के परिलाभों के भुगतान करने तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के संचालन हेतु सामग्री की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[01] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	9,16.00		
पु.	3,98.63	13,14.63	13,14.63
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,98.63 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत स्वाइन फ्लू, डेंगू चिकनगुनिया आदि के मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण निःशुल्क दवाओं के वितरण जिसमें अस्पताल द्वारा खरीदी गई आवश्यक दवाओं जिनकी आपूर्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा नहीं की गई, पर व्यय की आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	2,18,50.02		
अ.	94,00.00	3,80,49.99	..
पु.	67,99.97	3,80,49.99	

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र के संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

प्रभारित

- ₹ 10.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 11.25 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 42,79.78 लाख, ₹ 1,22,96.68 लाख, ₹ 2,02,28.86 लाख, ₹ 1,80,46.32 लाख तथा ₹ 1,23,91.40 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 23.01 प्रतिशत से 59.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य			
विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,06,42.89		
पु.	- 68,27.38	38,15.51	..
		38,15.51	
₹ 68,27.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता, (ii) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (iii) अतिक्रमण तथा (iv) न्यायालय स्थगन आदेश होने को आरोपित की गयी।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण			
मू.	19,50.00		
पु.	- 3,12.50	16,37.50	..
		16,37.50	

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	70,27.00	28,71.00	28,71.00
पु.	- 41,56.00		
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	27,54.52	16,90.39	16,90.39
पु.	- 10,64.13		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 55,32.63 लाख का प्रावधान (i) कुछ स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता, (ii) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (iii) अतिक्रमण, (iv) न्यायालय स्थगन आदेश तथा (v) निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	18,68.02	17,50.68	17,50.67
पु.	- 1,17.34		
₹ 1,17.34 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ उपकरणों की निविदा प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	4,25.02	24.55	24.55
पु.	- 4,00.47		

₹ 4,25.02 लाख का प्रावधान बजट भाषण 2016-17 में की गई घोषणा की अनुपालना में चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में 4 शल्य क्रिया गृहों को मॉड्यूलर शल्य चिकित्सा गृहों में बदलने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 4,00.47 लाख का प्रावधान 2017-18 के दौरान बोली लगाने वाली फर्म मैसर्स मेडिकल प्रोडक्ट सर्विस, नई दिल्ली द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	12,19.44		
		5,64.04	5,64.04
पु.	- 6,55.40		..

31 मार्च 2018 को ₹ 6,55.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	3,33.42		
		1,39.13	1,39.13
पु.	- 1,94.29		..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,94.29 लाख का प्रावधान उपकरणों की निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	6,50.02		
		21,31.39	21,31.39
पु.	14,81.37		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,81.37 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से टर्सरी कैंसर केयर केन्द्र के लिए निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	34,01,12,90	35,49,72,73	32,99,11,66	– 2,50,61,07
अनुपूरक	1,48,59,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,46,90,92
प्रभारित				
मूल	5,00	1,46,49	1,40,38	– 6,11
अनुपूरक	1,41,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,11
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	39,01,51,11	39,01,51,12	32,18,48,95	– 6,83,02,17
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,75,44,70

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,48,59.83 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 2,50,61.07 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,70.15 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(02) जलपूर्ति योजना, अलवर-प्रतिबद्ध			
मू.	40,99.22		
	34,94.27	34,94.27	..
पु.	- 6,04.95		

₹ 6,04.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	21,99.95		
	17,74.25	17,70.38	- 3.87
पु.	- 4,25.70		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9,20.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा बिजली के बिलों में विरोधाभास को आरोपित की गई।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	50,57.40		
	44,60.39	44,52.34	- 8.05
पु.	- 5,97.01		

₹ 5,97.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, (ii) संवेदकों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा (iii) प्राकृतिक जल पर व्यय के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने को आरोपित की गई।

₹ 8.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	83,13.00		
पु.	- 5,72.59	77,40.41	77,38.83

₹ 5,72.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	59,28.50		
पु.	- 18.97	59,09.53	56,74.17

₹ 18.97 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2,35.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	5,76,60.19		
अ.	40,00.00	5,61,16.53	5,60,82.22
पु.	- 55,43.66		- 34.31

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 40,00.00 लाख का प्रावधान विद्युत् व्यय पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 55,43.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, बिजली बिलों में विरोधाभास तथा वर्दी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 34.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	13,95,50.01		
अ.	1,00,00.00	13,87,26.48	13,86,67.98
पु.	- 1,08,23.53		- 58.50

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान विद्युत् व्यय पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,08,23.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, (ii) संवेदकों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा (iii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वर्दी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 58.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, साहवा गंधेली-प्रतिबद्ध			
मू.	63,98.60	45,73.61	45,72.68
पु.	- 18,24.99		

₹ 18,24.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास तथा (iii) प्राकृतिक जल पर व्यय के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
(07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)
[36] वाहनों का किराया

मू.	8,88.00	6,16.25	6,16.25	..
पु.	- 2,71.75			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,71.75 लाख का प्रावधान वाहनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. मल जल तथा सफाई
001. निदेशन तथा प्रशासन
(02) पर्यवेक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	42,36.03	36,51.16	36,51.15	- 0.01
पु.	- 5,84.87			

₹ 5,84.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य लेखा शीर्ष में होने को आरोपित की गई।

02. मल जल तथा सफाई
001. निदेशन तथा प्रशासन
(04) शिल्पशाला

मू.	47,71.81	35,04.10	35,01.26	- 2.84
पु.	- 12,67.71			

31 मार्च 2018 को ₹ 12,67.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा खुदाई कार्य के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) निदेशन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	34,52.94		
		31,06.81	31,06.61
पु.	- 3,46.13		- 0.20

₹ 3,46.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा बिजली बिलों में विरोधाभास को आरोपित की गयी।

02. मल जल तथा सफाई
001. निदेशन तथा प्रशासन
(11) निष्पादन
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,53,15.04		
		2,16,00.81	2,15,89.50
पु.	- 37,14.23		- 11.31

₹ 37,14.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी।

₹ 11.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. मल जल तथा सफाई
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(01) मल निकासी योजनाओं का संधारण
[01] नगर पालिकाओं को सहायता-प्रतिबद्ध

मू.	6,60.00		
		4,40.07	4,40.07
पु.	- 2,19.93		..

31 मार्च 2018 को ₹ 2,19.93 लाख का प्रावधान सीवरेज कर के संग्रहण के अनुसार मल निकासी योजनाओं के संधारण हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) जलपूर्ति योजना, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,54,14.51		
		1,72,13.56	1,72,12.97
पु.	17,99.05		- 0.59

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,99.05 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) विद्युत् शुल्क की दरों में बढ़ोतरी तथा योजना का विस्तार, (ii) संविदा सेवाओं के बकाया दायित्वों का भुगतान करने, (iii) पाइप लाइनों की मरम्मत तथा (iv) विरंजन, एलम और अन्य रसायनों के बकाया के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू.	62,98.91	71,12.15	71,09.32
पु.	8,13.24		- 2.83

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,13.24 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) विद्युत् शुल्क की दरों में बढ़ोतरी तथा योजना का विस्तार, (ii) ई-मित्र समितियों के बकाया दायित्वों का भुगतान, (iii) पाइप लाइनों, पम्प तथा मशीनरी की मरम्मत तथा (iv) संविदा सेवाओं पर अधिक व्यय क्योंकि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा योजनाओं का हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 6,83,02.17 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7,57.47 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,00,41.29 लाख, ₹ 2,65,69.23 लाख, ₹ 4,81,46.76 लाख, ₹ 8,96,22.10 लाख तथा ₹ 6,83,02.17 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.43 प्रतिशत से 23.12 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान विभिन्न शीर्षों में बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू.	4,00.00	2,58.67	2,58.67
पु.	- 1,41.33		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालौर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू.	10,30.50	4,12.19	4,12.19
पु.	- 6,18.31		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	24,04.50		
पु.	- 18,56.02	5,48.48	5,47.83
			- 0.65
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चूरू-झुन्झुनू जलप्रदाय योजना (आपणी योजना फेज- II)			
मू.	44,52.50		
पु.	- 13,84.06	30,68.44	30,68.44
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज- I			
मू.	10,00.00		
पु.	- 5,07.36	4,92.64	4,92.64
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	22,48.00		
पु.	- 3,47.08	19,00.92	19,00.92
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना			
मू.	4,12.20		
पु.	- 3,21.38	90.82	90.82
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना फेज- II			
मू.	96,18.00		
पु.	- 16,35.32	79,82.68	79,82.68
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू.	13,67.50		
पु.	- 2,83.45	10,84.05	10,84.05
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेन्स इत्यादि			
मू.	20,50.00		
पु.	- 20,20.31	29.69	29.69
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	8,11.80		
पु.	- 4,53.89	3,57.91	3,57.91
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	13,74.00		
पु.	- 3,43.50	10,30.50	10,30.50
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल-धोलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	15,67.50		
पु.	- 15,67.50

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[92] पुनरुद्धार शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ़ कस्बे की			
मू.	13,67.50		
पु.	- 3,40.99	10,26.51	10,26.51
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[94] पुनरुद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	20,48.00		
पु.	- 3,44.49	17,03.51	17,03.51
उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,21,64.99 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू.	1,04,42.40		
पु.	- 41,93.04	62,49.36	62,57.02 + 7.66
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	85,61.05		
पु.	- 36,72.04	48,89.01	37,87.98 - 11,01.03
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 78,65.08 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(08) मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जल पूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार-प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,50.78	49.22	49.22
31 मार्च 2018 को ₹ 2,50.78 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	22,51.70		
पु.	- 9,33.72	13,17.98	13,17.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	10,00.01		
पु.	- 9,80.53	19.48	19.48
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[43] रेवा जलपूर्ति योजना			
मू.	3,50.59		
पु.	- 1,25.73	2,24.86	2,24.86
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुढामलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	19,66.30		
पु.	- 3,95.92	15,70.38	15,70.38
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम			
मू.	5,89.63		
पु.	- 5,89.63
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[54] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	6,86.90		
पु.	- 5,15.17	1,71.73	1,71.73

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	4,80.82
पु.	- 4,80.82		
उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 40,21.52 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	1,60,48.97	1,40,48.97	1,40,48.97
पु.	- 20,00.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रोरेटा शुल्क के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	5,00.00	1,64.96	1,64.96
पु.	- 3,35.04		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	82,75.00	57,34.03	57,33.05
पु.	- 25,40.97		- 0.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू.	20,00.00	8,14.02	8,14.02
पु.	- 11,85.98		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	30,00.00		
पु.	- 12,15.18	17,84.82	17,84.45
			- 0.37
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	35,67.60		
पु.	- 16,75.60	18,92.00	18,92.00
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू.	28,33.40		
पु.	- 17,57.58	10,75.82	10,75.82
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चूरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फेज-II)			
मू.	29,99.30		
पु.	- 4,10.34	25,88.96	25,88.96
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(25) नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत			
मू.	60,00.00		
पु.	- 20,03.50	39,96.50	39,96.21
			- 0.29
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(34) सलाहकार के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी			
मू.	3,50.00		
पु.	- 1,94.34	1,55.66	1,55.66
			..

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरवास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	18,62.52		
पु.	- 11,60.08	7,02.44	7,02.44
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजना के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण रिजुविनेशन			
मू.	40,00.00		
पु.	- 18,78.11	21,21.89	21,21.89
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	33,40.94		
पु.	- 4,84.03	28,56.91	28,56.91
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	20,53.36		
पु.	- 6,69.32	13,84.04	13,84.04
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	20,00.00		
पु.	- 9,42.24	10,57.76	10,57.76
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(97) राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला झालावाड़			
मू.	10,30.50		
पु.	- 1,30.86	8,99.64	8,99.64

उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,65,83.17 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	7,70.92		
पु.	- 5,11.78	2,59.14	2,59.14
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम			
मू.	15,25.00		
पु.	- 12,70.77	2,54.23	2,54.23
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू.	37,64.37		
पु.	- 35,01.91	2,62.46	2,56.95
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(54) फतेहपुर- लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	66,41.51		
पु.	- 36,65.03	29,76.48	29,76.48
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-II पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	26,85.87		
पु.	- 19,27.29	7,58.58	7,58.58
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	22,89.64		
पु.	- 5,10.86	17,78.78	17,78.78

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	56,93.37		
पु.	- 22,93.21	34,00.16	34,00.15
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	63,17.31		
पु.	- 28,13.66	35,03.65	35,00.89
			- 2.76
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	22,39.56		
पु.	- 11,86.09	10,53.47	10,47.33
			- 6.14
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(94) चम्बल-बूंदी जलप्रदाय परियोजना (क्लस्टर वितरण) ग्रामीण			
मू.	5,68.67		
पु.	- 4,34.35	1,34.32	52.22
			- 82.10
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	56,70.34		
पु.	- 15,58.17	41,12.17	41,12.17
			..

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,96,73.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4215-01-102(50),(86) तथा (94)" के अंतर्गत ₹ 93.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(98) आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	1,17,81.68		
पु.	- 13,43.79	1,04,37.89	1,04,31.87
			- 6.02

31 मार्च 2018 को ₹ 13,43.79 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 6.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति
- (01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
- [23] बीसलपुर बांध से टोंक-उनियारा एवं देवली जलपूर्ति परियोजना

मू.	51,91.23			
पु.	- 24,73.80	27,17.43	27,17.43	..

31 मार्च 2018 को ₹ 24,73.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24,73.79 लाख) किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति
- (01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
- [25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)

मू.	20,00.01			
पु.	- 8,64.65	11,35.36	11,35.36	..

₹ 8,64.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति
- (38) नागौर लिफ्ट कैनाल

मू.	33,65.51			
पु.	- 22,88.68	10,76.83	10,76.83	..

31 मार्च 2018 को ₹ 22,88.68 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22,88.67 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर -दूदू परियोजना-चाकसू-फागी एवं बरसी			
मू.	96,87.04	67,25.71	67,25.71
पु.	- 29,61.33		..
31 मार्च 2018 को ₹ 29,61.33 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,46.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 23,14.42 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(71) चम्बल -भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	1,77,01.47	1,60,30.12	1,59,94.63
पु.	- 16,71.35		- 35.49
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	68,31.80	54,33.19	54,33.19
पु.	- 13,98.61		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 30,69.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
शीर्ष "4215-01-102(71)" के अंतर्गत ₹ 35.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	65,97.84	41,68.25	41,68.24
पु.	- 24,29.59		- 0.01
31 मार्च 2018 को ₹ 24,29.59 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 8,53.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,76.13 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गाँव)			
मू.	41,14.36	24,19.71	24,19.71
पु.	- 16,94.65		..
₹ 16,94.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
799. उच्चत			
(01) स्टॉक			
मू.	1,55,50.00		
पु.	- 86,56.86	68,93.14	68,89.53
			- 3.61

31 मार्च 2018 को ₹ 86,56.86 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. जलपूर्ति
799. उच्चत
(02) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम

मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	1,68,00.00		
पु.	20,20.66	1,88,20.66	1,87,91.15
			- 29.51
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	19,23.60		
पु.	11,05.49	30,29.09	30,09.59
			- 19.50

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,26.15 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 49.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू.	0.01		
पु.	3,43.49	3,43.50	3,43.50
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना			
मू.	1,20.23		
पु.	5,78.10	6,98.33	6,98.33
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	47,44.39		
पु.	19,18.69	66,63.08	66,63.08
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[95] अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (शहरी)			
मू.	1,71.75		
पु.	8,22.45	9,94.20	9,94.20
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	7,00.00		
पु.	1,21.36	8,21.36	8,19.77

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37,84.09 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[24] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	0.02		
पु.	1,91.05	1,91.07	1,91.07
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[50] अटरु शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)			
मू.	1,71.75	8,97.19	8,97.19
पु.	7,25.44		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	51,14.33	1,05,69.08	1,05,69.08
पु.	54,54.75		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[58] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
अ.	0.01	9,61.80	9,61.80
पु.	9,61.79		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73,33.03 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यो की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	29,83.80	37,29.16	37,29.16
पु.	7,45.36		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[56] चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (ग्रामीण)			
मू.	1,37.38	6,29.50	6,29.50
पु.	4,92.12		

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[57] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (विस्तार चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना (ग्रामीण))			
मू.	2,74.76	4,61.51	4,61.51
पु.	1,86.75		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,24.23 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	95,00.00	1,03,04.29	1,02,98.99
पु.	8,04.29		- 5.30
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	53,47.20	1,11,63.98	1,11,59.76
पु.	58,16.78		- 4.22
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	17,17.51	26,88.14	26,88.14
पु.	9,70.63		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाडा जलपूर्ति योजना (ई.ए.पी.)			
मू.	1,88.94	10,60.04	10,60.04
पु.	8,71.10		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(47) नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	91.29	3,73.08	3,73.08
पु.	2,81.79		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(59) निंवाई एवं टोक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	7,16.83		
पु.	2,83.41	10,00.24	10,00.24
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(60) नर्मदा परियोजना (डी. आर.)			
मू.	1,71.76		
पु.	3,43.89	5,15.65	5,15.65
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,29.02		
पु.	18,12.52	19,41.54	19,41.54
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	31,22.01		
पु.	3,68.57	34,90.58	34,90.58
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बांरा क्लस्टर परियोजना			
मू.	3,43.51		
पु.	4,91.28	8,34.79	8,34.79
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	8,24.41		
पु.	1,70.94	9,95.35	9,95.35
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(82) राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से बावड़ीकलां-खारा एवं जलोड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	0.02		
पु.	3,24.72	3,24.74	3,24.74

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(90) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पीलवा-सागरी-जम्बेश्वर नगर आर.जी.एल.सी. से आर.डी.111 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	11,98.40	13,45.41	13,45.41
पु.	1,47.01		..

उपरोक्त तेरह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,26,86.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4215-01-102(21) और (39)" के अंतर्गत ₹ 9.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(96) नर्मदा नहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि

मू.	8,16.76	18,56.18	18,56.18	..
पु.	10,39.42			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,39.42 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कमी अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागोर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	3,84,72.00	3,18,62.96	3,24,86.48
पु.	- 66,09.04		+ 6,23.52

31 मार्च 2018 को ₹ 66,09.04 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 6,23.52 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

6. **उच्चत लेन-देन** : 2017-18 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उच्चत" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उच्चत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उच्चत" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		<i>(₹ लाख में)</i>		
स्टॉक	(+) 24,64.17	68,89.53	53,03.78	(+) 40,49.92
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 32,38.45	(+) 32,38.45
योग	(+) 57,02.62	68,89.53	53,03.78	(+) 72,88.37

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	8,79,13,64	9,34,93,36	7,70,67,79
अनुपूरक	55,79,72		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 1,64,25,57
प्रभारित			
मूल	1	1	..
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,74,00,00	3,42,50,00	3,42,50,00
अनुपूरक	68,50,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 55,79.72 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना तथा फोर वाटर कन्सेप्ट योजना हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 30,38.95 लाख, ₹ 2,84,40.43 लाख, ₹ 2,44,23.66 लाख, ₹ 2,08,23.19 लाख तथा ₹ 1,64,25.57 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.57 प्रतिशत से 58.43 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।

अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जलग्रहण के प्रबन्धन के परिणामों में सुधार/ आई.डब्ल्यू.एम.पी. का सुदृढीकरण			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	1,92.30		
पु.	- 1,14.88	77.42	77.42
			..

₹ 1,92.30 लाख का प्रावधान *नीराचंल परियोजना* में जलग्रहण योजना द्वारा आधारभूत संरचना, तकनीकी सहायता तथा समाहित जनशक्ति की क्षमता बढ़ाना था। वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा जुलाई, 2017 में अनुमोदित की गयी तथा भारत सरकार से स्वीकृति दिसम्बर, 2017 से प्राप्त हुई। तदनुसार भारत सरकार से दिसम्बर, 2017 में प्रथम किश्त ₹ 47.50 लाख प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 में अनुमोदित गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं हुआ तथा परिणामतः भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी नहीं की। अतः 31 मार्च 2018 को ₹ 1,14.88 लाख अभ्यर्पित किये गये।

05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड घटक			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	3,70,46.71		
पु.	- 1,55,43.51	2,15,03.20	2,15,03.20
			..

₹ 3,70,46.71 लाख का प्रावधान भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने, रोजगार सृजन द्वारा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासी लाभार्थियों के सामाजिक उत्थान के लिए अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,55,43.51 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,45,28.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,14.57 लाख) किया गया।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	23,33.50		
पु.	- 11,75.82	11,57.68	11,57.68
			..

₹ 11,75.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 028 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.01		
अ.	5,04.72	9,26.57	..
पु.	4,21.84		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,21.84 लाख की अतिरिक्त निधियां माइक्रो स्टोरेज टैंकों के जलग्रहण उपचार हेतु उपलब्ध कराई गईं।

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और
3055. सड़क परिवहन
पूँजी – 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय ,
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय,
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	44,37,25,68	49,84,89,22	38,81,27,99	- 11,03,61,23
अनुपूरक	5,47,63,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				11,03,60,77
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	13,71,38,43	15,01,58,45	9,50,74,01	- 5,50,84,44
अनुपूरक	1,30,20,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,31,80,79
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. अक्टूबर, 2017 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,47,63.54 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,11,37.65 लाख, ₹ 5,65,51.93 लाख, ₹ 5,41,67.28 लाख, ₹ 6,26,53.32 लाख तथा ₹ 11,03,61.23 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.86 प्रतिशत से 22.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	5,86.91
पु.	- 5,86.91
31 मार्च 2018 को ₹ 5,86.91 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर संवेतन) जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2016-17 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी			
[01] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00
31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर संवेतन) में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2016-17 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,59,99.96	1,02,00.00	1,02,00.00
पु.	- 57,99.96		..

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	1,59,99.96		
पु.	- 56,99.96	1,03,00.00	1,03,00.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,14,99.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,59,99.96		
पु.	- 1,59,99.96
			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,59,99.96		
पु.	- 1,59,99.96
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 3,19,99.92 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,70,28.26		
पु.	- 15,07.77	1,55,20.49	1,55,20.49
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 15,07.77 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	8,92.77	4,45.81	4,45.81
पु.	- 4,46.96		..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,46.96 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम प्रोत्साहन अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	10,30.05
पु.	- 10,30.05		..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,30.05 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(35) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	57,22.88
पु.	- 57,22.88		..
31 मार्च 2018 को ₹ 57,22.88 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	68,00.00	5,27.54	5,27.54
पु.	- 62,72.46		..
31 मार्च 2018 को ₹ 62,72.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	4,29,23.48		
		3,91,22.40	3,91,22.40
पु.	- 38,01.08		..
31 मार्च 2018 को ₹ 38,01.08 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	22,31.15		
		6,89.59	6,89.59
पु.	- 15,41.56		..
31 मार्च 2018 को ₹ 15,41.56 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम प्रोत्साहन अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.) (10:10:80)			
[01] विकास कार्य			
मू.	51,44.62		
	
पु.	- 51,44.62		..
31 मार्च 2018 को ₹ 51,44.62 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(37) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,43,07.12		
	
पु.	- 1,43,07.12		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,43,07.12 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	1,02,00.00		
पु.	- 99,95.17	2,04.83	2,04.83

₹ 99,95.17 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
अ.	2,74,29.14
पु.	- 2,74,29.15		

अक्टूबर, 2017 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,74,29.14 लाख का प्रावधान राजस्थान शहरी विकास निधि को हस्तान्तरित करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2018 को ₹ 2,74,29.15 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 30,58.33 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,43,70.62 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	97,53.84		
अ.	2,73,34.40	2,53,99.99	2,53,99.62
पु.	- 1,16,88.25		- 0.37

अक्टूबर, 2017 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,73,34.40 लाख का प्रावधान स्थानीय निकायों को गौरव पथ के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,16,88.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(10) मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं			
[01] नगर नियोजन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,97.91		
पु.	- 2,13.62	3,84.29	3,84.29

₹ 2,13.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) के पास गत वर्ष की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण विभागीय कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर तथा प्रशिक्षण का भुगतान आर.आई.एस.एल. को नहीं करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(16) नगर तथा देशी आयोजन संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,47.12		
		11,22.60	- 0.02
पु.	- 1,24.52		

₹ 1,24.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, समर्पित अवकाश स्वीकृत नहीं होने, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं का नियमित पदों पर पदस्थापन तथा कुछ कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं होने आदि के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	12,47.61		
		23,37.34	..
पु.	10,89.73		
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	68.68		
		2,63.77	..
पु.	1,95.09		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,84.82 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत जयपुर तथा कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	30,56.97	50,78.39	50,78.39
पु.	20,21.42		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,21.42 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(03) विशेष अनुदान

मू.	0.01	5,37.11	5,37.11
पु.	5,37.10		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,37.10 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी योजनाओं की क्रियान्विति तथा चालू योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(33) सार्वजनिक रोशनी
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध

मू.	60,00.00	1,74,29.15	1,74,29.15
पु.	1,14,29.15		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,14,29.15 लाख की अतिरिक्त निधियां नगरीय निकायों से विद्युत् कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक रोशनी के विद्युत् बिलों के किये गये दावे के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(39) स्वच्छ भारत मिशन
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	62,06.57	1,19,62.64	1,19,62.64
पु.	57,56.07		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 57,56.07 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	13,73.84		
		30,90.70	
पु.	17,16.86		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,16.86 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत परिवहन विभाग को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 5,50,84.44 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 19,03.65 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- अक्टूबर, 2017 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,30,20.02 लाख प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 4,14,99.19 लाख, ₹ 5,73,42.54 लाख, ₹ 3,22,58.37 लाख, ₹ 7,83,22.71 लाख तथा ₹ 5,50,84.44 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 28.42 प्रतिशत से 44.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	17,03.45		
		8,11.12	
पु.	- 8,92.33		

31 मार्च 2018 को ₹ 8,92.33 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के लिये निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[05] विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य			
मू.	3,59.63		
पु.	- 1,37.00	2,22.63	2,22.63
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,37.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों की अवशेष निधियां उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये			
मू.	48,07.00		
पु.	- 6,35.49	41,71.51	41,71.51
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 6,35.49 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,18,66.65		
पु.	- 86,29.59	2,32,37.06	2,32,37.06
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 86,29.59 लाख का प्रावधान अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	48,06.24		
पु.	- 43,62.24	4,44.00	4,44.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 43,62.24 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00	..	- 1,00.00
			- 1,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान बीसलपुर जल प्रदाय योजना और अजमेर में सीवरेज कार्य के अंतिम बिलों के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बीसलपुर जल प्रदाय योजना की लम्बित जांच तथा अजमेर सीवरेज कार्य हेतु समयावधि विस्तार स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,00.00 लाख का ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र के कार्य के पेटे जोधपुर विकास प्राधिकरण से ऋण की किश्त प्राप्त होने के कारण रहा जो जोधपुर क्षेत्र फेज प्रथम के कार्य के लिए दिया गया था।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं

050. भूमि

(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य

मू.	4,50,00.00	2,24,71.32	2,19,20.26	- 5,51.06
पु.	- 2,25,28.68			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,25,28.68 लाख का प्रावधान (i) सड़क मरम्मत कार्य की धीमी गति के परिणामतः पाली, टोंक, श्रीगंगानगर, झुझुनू तथा भीलवाड़ा में सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का कार्य रोका गया, (ii) कार्य योजना, सर्वे, डिजाइन, ड्राइंग्स, मोविलाइजेशन आदि का समय पर अन्तिमीकरण नहीं होने के परिणामतः व्यय नहीं हो सका, (iii) सड़को के सुदृढीकरण कार्य में देरी के कारण सीवरेज और पाइप लाइन बिछाने का कार्य धीमा रहने तथा (iv) पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,42,33.22 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 82,95.46 लाख) किया गया।

₹ 5,51.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं

050. भूमि

(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास

[01] प्रोग्राम लोन

मू.	1,50,00.00	79,00.23	80,31.92	+ 1,31.69
पु.	- 70,99.77			

₹ 1,50,00.00 लाख का प्रावधान बीकानेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, माउण्ट आबू तथा कोटा के लिए जलपूर्ति, सीवरेज और नाली निर्माण कार्य के लिए अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 70,99.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) हनुमानगढ़ में कार्य देरी से दिये जाने, (ii) सफल निविदा दाता द्वारा बीकानेर में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल होने एवं निष्पादन प्रतिभूति देने के परिणामस्वरूप निविदा निरस्त कर दी गई और नवीन निविदा आमंत्रित करने के परिणामतः कार्य जुलाई, 2017 में प्रारम्भ हो सका, (iii) झालावाड़ में, कार्य का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पूरा होने पर अगस्त 2017 में कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् शुरु हुआ, (iv) कोटा में न्यायालय स्थगन होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, (v) प्रशिक्षण/सेमीनारों के कम आयोजित करने तथा (vi) पदों के रिक्त रहने के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।

₹ 1,31.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[01] एशियन विकास बैंक ऋण			
मू.	2,79,99.99		
		1,13,69.87	1,14,33.40
पु.	- 1,66,30.12		+ 63.53

31 मार्च 2018 को ₹ 1,66,30.12 लाख का प्रावधान जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 63.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
191. नगर निगमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] नगर निगम, जोधपुर			
अ .	0.01		
		8,19.00	8,19.00
पु .	8,18.99		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,18.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत नगर निगम, जोधपुर को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	10,00.00		
		35,00.00	35,00.00
पु .	25,00.00		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	39,99.84		
पु.	49,74.72		
		89,74.56	75,26.75 - 14,47.81

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,74.72 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी, (ii) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतान, (iii) बढ़ी दर से मंहगाई भत्तों का भुगतान तथा (iv) कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में मध्यस्थता फीस के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 14,47.81 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	88,56,96,77			
अनुपूरक	18,43,36,46	1,07,00,33,23	93,63,32,42	- 13,37,00,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
प्रभारित				
मूल	9			
अनुपूरक	48,20	48,29	39,71	- 8,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
8,58				

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	36,45,45,19	36,45,45,37	30,17,18,80	- 6,28,26,57
अनुपूरक	18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,36,93,12

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 13,37,00.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 18,43,36.46 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,43,36.35 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 13,37,00.81 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 3,67.67 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 3,06,28.42 लाख, ₹ 12,22,56.63 लाख, ₹ 12,07,51.37 लाख, ₹ 17,34,07.01 लाख तथा ₹ 13,37,00.81 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.60 प्रतिशत से 19.25 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)				
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज				
मू.	11,78.00	2,20.00	2,20.00	..
पु.	- 9,58.00			
31 मार्च 2018 को ₹ 9,58.00 लाख का प्रावधान माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 एवं 2014 पर नीतिगत निर्णय का पुनरीक्षण नहीं लिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन				
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति				
[02] अनुसूचित जनजाति के बच्चों के हेतु				
मू.	17,50.00	15,03.53	15,03.53	..
पु.	- 2,46.47			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,46.47 लाख का प्रावधान लाभार्थियों द्वारा निर्धारित शर्तों की पात्रता पूरी नहीं करने जैसे, बैंक खाते की अनुपलब्धता, आधार अद्यतन नहीं होने इत्यादि, के परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति के कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू.	5,78,98.69		
अ.	1,73,22.66	6,68,00.59	6,67,96.22
पु.	- 84,20.76		- 4.37
<p>फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,73,22.66 लाख का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>₹ 84,20.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2012 में नियुक्त अध्यापकों के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।</p>			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,30,24.02		
पु.	- 96,96.31	33,27.71	33,27.49
			- 0.22
<p>31 मार्च 2018 को ₹ 96,96.31 लाख का प्रावधान 2012 में नियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में बकाया का तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,02.96		
पु.	- 8,08.75	4,94.21	4,94.21
			..
<p>31 मार्च 2018 को ₹ 8,08.75 लाख का प्रावधान 2012 में नियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में बकाया का तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[03] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	51,80.77		
पु.	- 6,66.77	45,14.00	45,14.00
			..
<p>31 मार्च 2018 को ₹ 6,66.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।</p>			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) प्राथमिक विद्यालयों के लिए			
[01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,61.21
पु.	- 2,61.21		
31 मार्च 2018 को ₹ 2,61.21 लाख का समस्त प्रावधान 2012 में नियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में बकाया का तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	68,00.00	24,78.92	24,78.92
पु.	- 43,21.08		..
31 मार्च 2018 को ₹ 43,21.08 लाख का प्रावधान पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा कक्षा IX तथा X के लाभार्थी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे लाभ हस्तान्तरण योजना के द्वारा किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा कक्षा VI से VIII के छात्रों को छात्रवृत्ति लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार दी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[03] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	4,57.71	1,99.20	1,99.20
पु.	- 2,58.51		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,58.51 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	2,30,73.96	2,13,00.44	2,12,99.27
पु.	- 17,73.52		- 1.17
31 मार्च 2018 को ₹ 17,73.52 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,51,07.60		
		3,32,94.02	3,32,92.61
			- 1.41
पु.	- 1,18,13.58		

31 मार्च 2018 को ₹ 1,18,13.58 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने, सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा यात्रा व्यय के दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(10) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा

मू.	10,63.20			
		5,67.65	5,67.65	..
पु.	- 4,95.55			

₹ 4,95.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने को आरोपित की गयी।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)

मू.	11,06.51			
		8,56.06	8,45.02	- 11.04
पु.	- 2,50.45			

₹ 2,50.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज स्टाफ की वेतन का निर्धारण नहीं हुआ क्योंकि महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारियों के पद रिक्त थे तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विधवा तथा परित्यक्ता औरतों के लिये छात्रवृत्तियों हेतु कम आवेदन प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

₹ 11.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

मू.	12,50.00			
		5,38.04	5,38.04	..
पु.	- 7,11.96			

31 मार्च 2018 को ₹ 7,11.96 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि समय पर ऑन लाइन आवेदन पत्र की अनुपलब्धता तथा अपूर्ण आवेदन प्राप्त हुए।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
[01] सरकारी महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	34,76.51		
अ.	0.01	26,54.50	26,53.82
पु.	- 8,22.02		- 0.68

31 मार्च 2018 को ₹ 8,22.02 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज स्टाफ की वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारियों के पद रिक्त थे।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	7,50.00		
पु.	- 4,72.50	2,77.50	2,77.50

31 मार्च 2018 को ₹ 4,72.50 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	20,12.04		
पु.	- 3,26.99	16,85.05	16,83.02

31 मार्च 2018 को ₹ 3,26.99 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	7,43.53		
पु.	- 2,09.31	5,34.22	5,34.22

₹ 2,09.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संविदा सेवाओं के लिए प्रस्तावों के कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	16,16.39		
		14,37.48	14,37.42
पु.	- 1,78.91		- 0.06
₹ 1,78.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू.	5,00.01		
		2,93.02	2,93.02
पु.	- 2,06.99		..
₹ 5,00.01 लाख का प्रावधान पी.पी.पी. मोड पर 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुमानित था एवं भुगतान उनके द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के अनुपात में किया जाना है। यद्यपि, वर्ष के दौरान 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये गये तथा उनके द्वारा कम सेवाएं दिये जाने के परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 2,06.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	11,80.00		
		9,40.96	9,40.95
पु.	- 2,39.04		- 0.01
31 मार्च 2018 को ₹ 2,39.04 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशासित कर्मचारियों/ अधिकारियों की वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	19,89.71		
		17,89.71	17,89.71
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	14,91.64	13,30.63	13,30.64
पु.	- 1,61.01		
			+ 0.01

₹ 1,61.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	18,42.54	15,26.88	15,26.89
पु.	- 3,15.66		
			+ 0.01

₹ 3,15.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	12,08.37	9,43.60	9,43.60
पु.	- 2,64.77		
			..

₹ 2,64.77 लाख की प्रत्याशित बचत 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदाय अभिकरण द्वारा उनके कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कम सेवाएं उपलब्ध कराये जाने को आरोपित की गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	22,90.84
पु.	- 22,90.84		
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 22,90.84 लाख का समस्त प्रावधान योजनान्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	33,41.68		
पु.	- 2,95.89	30,45.79	30,45.79

31 मार्च 2018 को ₹ 2,95.89 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगर निगमों को अनुदान में कमी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय
[03] सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट

मू.	2,02.50			
पु.	- 2,02.50

31 मार्च 2018 को ₹ 2,02.50 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण जोधपुर नगर निगम द्वारा मांग नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना
[03] सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

मू.	14,00.00			
पु.	- 12,96.47	1,03.53	1,03.53	..

31 मार्च 2018 को ₹ 12,96.47 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के लिए भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

मू.	84,23.62			
पु.	- 7,46.07	76,77.55	76,77.55	..

31 मार्च 2018 को ₹ 7,46.07 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान में कमी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	4,59.36	1,35.36	1,35.36
पु.	- 3,24.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,24.00 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं किये जाने के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)			
[03] विकास कार्य			
मू.	10,09.80
पु.	- 10,09.80		..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,09.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन अमृत योजना में शामिल करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	21,00.00	40.20	40.20
पु.	- 20,59.80		..
31 मार्च 2018 को ₹ 20,59.80 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) छात्रावासियों को साइकिल वितरण योजना			
[01] छात्रावासियों को साइकिल वितरण योजना			
मू.	1,50.00
पु.	- 1,50.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान छात्रावासों में रहने वाले कक्षा VI से XII के छात्रों के लिए साइकिलों की खरीद नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[51] पशु पालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	17,41.76	8,42.00	8,42.00
पु.	- 8,99.76		
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	24,00.00	9,99.99	9,99.99
पु.	- 14,00.01		
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[55] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	4,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 3,00.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 25,99.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुंओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता			
मू.	4,41.18
पु.	- 4,41.18

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[18] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	3,60.00
पु.	- 3,60.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 8,01.18 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2016-17 के दौरान भी इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[01] कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	3,70.00	1,70.58	1,70.58
पु.	- 1,99.42		..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[04] पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	4,50.00	1,09.00	1,09.00
पु.	- 3,41.00		..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 7,90.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2016-17 के दौरान भी इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू.	21,60.00	17,32.97	17,32.97
पु.	- 4,27.03		
31 मार्च 2018 को ₹ 4,27.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास हेतु अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	3,60.94	0.52	0.52
पु.	- 3,60.42		
31 मार्च 2018 को ₹ 3,60.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	4,49.38	1,72.79	1,72.79
पु.	- 2,76.59		
31 मार्च 2018 को ₹ 2,76.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] मौं-बाडी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	10,19.36	8,39.15	8,39.15
पु.	- 1,80.21		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,80.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	23,65.00	19,43.23	19,43.24
पु.	- 4,21.77		
₹ 4,21.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	14,60.92	6,51.23	6,51.23
पु.	- 8,09.69		
₹ 8,09.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	3,50.00	1,97.49	1,97.49
पु.	- 1,52.51		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,52.51 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता के लिए लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	30,57.98	25,00.00	25,00.00
पु.	- 5,57.98		
31 मार्च 2018 को ₹ 5,57.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[07] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00		
₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना को लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2014-15 से 2016-17 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	3,80,00.00	3,64,98.30	3,62,97.44
पु.	- 15,01.70		
			- 2,00.86
31 मार्च 2018 को ₹ 15,01.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
₹ 2,00.86 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा राजकीय खाते में अवितरित पेंशन की राशि को जमा कराने के कारण रही।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[08] सहयोगिनियों को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,40.00	12,58.40	12,58.40
पु.	- 1,81.60		
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,81.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	9,81.18	2,95.77	2,95.76
पु.	- 6,85.41		
			- 0.01
₹ 6,85.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता			
[01] जनजाति क्षेत्र के मंदिर			
मू.	5,74.75	2,50.00	2,50.00
पु.	- 3,24.75		
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,24.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	4,90.00	1,46.03	1,46.03
पु.	- 3,43.97		
₹ 4,90.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, जिप्सम, रसायन, मोटे अनाजों का प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 3,43.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[21] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	5,67.78	3,80.02	3,80.01
पु.	- 1,87.76		
₹ 5,67.78 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, उपकरण का वितरण, पौध संरक्षण के लिए जिप्सम तथा रसायन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 1,87.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	5,67.18	1,71.19	1,71.19
पु.	- 3,95.99		
₹ 5,67.18 लाख का प्रावधान ऑन लाइन आवेदनों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
31 मार्च 2018 को ₹ 3,95.99 लाख का प्रावधान ऑन लाइन आवेदनों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	5,78.48	3,98.16	3,98.16
पु.	- 1,80.32		
₹ 5,78.48 लाख का प्रावधान मुख्य परियोजना परम्परागत राष्ट्रीय कृषि मिशन के घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के घटक के विस्तार हेतु अनुमानित था। योजना के अन्तर्गत, जैविक खेती को क्लस्टर दृष्टिकोण तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली (पी.जी.एस.) प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गाँवों को अपनाकर प्रोत्त किया जाता है।			
31 मार्च 2018 को ₹ 1,80.32 लाख का प्रावधान विभिन्न घटकों/गतिविधियों जैसे कि अवशेष जैविक उत्पाद के नमूनों का संग्रहण एवं जांच कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण, तरल बायो पेस्टीसाइड का उपयोग, पैकिंग मैटेरियल विद पी.जी.एस. लोगो एवं होलोग्राम प्रिंटिंग की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	18,93.95	7,78.22	7,78.22
पु.	- 11,15.73		..

31 मार्च 2018 को ₹ 11,15.73 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बून्द-बून्द संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित दर से कम होने के कारण कृषकों की योजना में रुचि कम होने से कृषकों से कम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने तथा (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातिय कृषकों के लिए विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं होने के कारण भी व्यय कम किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान

मू.	9,80.00	2,98.47	2,98.47	..
पु.	- 6,81.53			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,81.53 लाख का प्रावधान सौर ऊर्जा पम्प सेट की खरीद के लिए निविदा पर कोर्ट स्टे के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने से अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड

मू.	10,12.50	5,40.00	5,40.00	..
पु.	- 4,72.50			

31 मार्च 2018 को ₹ 4,72.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना

मू.	32,02.50	12,16.12	12,16.12	..
पु.	- 19,86.38			

31 मार्च 2018 को ₹ 19,86.38 लाख का प्रावधान (i) कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, सोलर पम्प, ग्रीन हाउस, मशीनी एवं उपकरण, तरल उर्वरक, बीज, मल्टि हेतु पॉलीथीट के प्रोक्योरमेन्ट में देरी के कारण कम व्यय, (ii) पशुपालन विभाग से संबंधित गतिविधियों जैसे कुट्टी मशीन वितरण, पशु खाद्य हेतु बर्तन, बकरी वितरण, अजोला प्रदर्शन, क्लीन मिल्क किट इत्यादि तथा ग्रामीण हाट बाजार एवं ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं होने, (iii) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर कृषि प्रतिस्पर्धा योजना में विश्व बैंक के सुझाव अनुसार दिसम्बर, 2017 तक संशोधन किया गया जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने, (iv) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रोक्योरमेन्ट प्लान की निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (v) भू-जल विभाग की गतिविधियों के निष्पादन से तकनीकी संस्थाओं को हटाया जाना क्योंकि उन्होंने अनुबन्ध के अनुसार कार्य नहीं किया तथा विभाग द्वारा पीजोमीटर लगाने का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	47,65.19		
पु.	- 31,57.30	16,07.89	16,07.88
			- 0.01
₹ 31,57.30 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कम निधियां जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	15,87.95		
पु.	- 12,83.46	3,04.49	3,04.50
			+ 0.01
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] भू संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से			
मू.	27,02.01		
पु.	- 16,45.16	10,56.85	10,56.85
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 29,28.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[02] अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	9,80.31		
पु.	- 3,55.82	6,24.49	6,24.49
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,55.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) नये संस्थानों में जल एवं विद्युत् के कनेक्शन नहीं होने तथा (iii) नये संस्थानों में फर्नीचर तथा मशीनरी की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[29] पशुधन नस्ल सुधार योजना हेतु अनुदान			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,93.59	3,06.41	3,06.41
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,93.59 लाख का प्रावधान पशुधन विकास बोर्ड से दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू. 21,24.63	14,76.00	14,76.00	..
पु. - 6,48.63			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,48.63 लाख का प्रावधान अपेक्स बैंक से सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान के समस्त दावे प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू. 46,47.00	28,12.00	28,12.00	..
पु. - 18,35.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 18,35.00 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों से ब्याज अनुदान हेतु दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू. 72,70.23	6,82.23	6,82.23	..
पु. - 65,88.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 65,88.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू. 4,67,45.40	14,44,64.58	14,44,64.58	..
अ. 16,70,13.46			
पु. - 6,92,94.28			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 16,70,13.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 6,92,94.28 लाख का प्रावधान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार से द्वितीय किशत प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,60,17.71 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,32,76.57 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	3,19,20.00		
पु.	- 14,93.28	3,04,26.72	3,04,26.72 ..
₹ 3,19,20.00 लाख का प्रावधान एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मांग के अनुसार, साथ ही ठोस एवं टिकाऊ सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 14,93.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	6,49.95		
पु.	- 3,15.30	3,34.65	3,34.65 ..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,15.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,93,63.96		
पु.	- 1,08,55.53	1,85,08.43	1,85,08.43 ..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,08,55.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II (नहर)-प्रतिबद्ध			
मू.	14,46.83		
पु.	- 2,65.94	11,80.89	11,79.40 - 1.49
₹ 2,65.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन का निर्धारण नहीं होने से वेतन एवं भत्तों तथा मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से			
मू.	2,10.01	22.75	22.75
पु.	- 1,87.26		..
₹ 2,10.01 लाख का प्रावधान यूरोपियन यूनियन योजना के एण्ड लाइन सर्वे तथा विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के भुगतान हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को कुल ₹ 1,87.26 लाख की राशि समय पर गतिविधियों के पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	5,00.00	2,47.00	2,47.00
पु.	- 2,53.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,53.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	3,18.51
पु.	- 3,18.51		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,18.51 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	90,00.00	59,50.00	59,50.00
पु.	- 30,50.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 30,50.00 लाख का प्रावधान वित्तीय संस्थानों से ऋण कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	3,17.91
पु.	- 3,17.91
31 मार्च 2018 को ₹ 3,17.91 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू.	44,58.05	39,34.91	39,34.91	..
पु.	- 5,23.14			

31 मार्च 2018 को ₹ 5,23.14 लाख का प्रावधान *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन* के अन्तर्गत अंत्योदय परिवार के अतिरिक्त परिवारों हेतु खाद्यों के संग्रहण, परिवहन तथा वितरण पर कम व्यय होने तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(01) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)				
[02] ब्याज अनुदान				
मू.	8,78.06	11,79.36	11,79.36	..
पु.	3,01.30			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,01.30 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2202. सामान्य शिक्षा
01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(15) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,75,30.00	2,34,09.79	2,34,09.79	..
पु.	58,79.79			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 58,79.79 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन के लिए अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिकाओं के विद्यालय			
मू.	21,02.03		
पु.	2,53.50	23,55.53	23,55.42
			- 0.11
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,53.50 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया तथा रिक्त पदों को भरने से वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	11,84.57		
पु.	9,67.20	21,51.77	21,51.77
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,67.20 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	17,53.50		
पु.	4,60.89	22,14.39	22,14.39
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,60.89 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) लेपटॉप वितरण			
मू.	8,10.00		
पु.	2,26.25	10,36.25	10,36.25
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,26.25 लाख की अतिरिक्त निधियां मेघावी छात्रों को निःशुल्क लेपटॉप वितरण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	16,35.00	19,50.99	19,50.99
पु.	3,15.99		
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,15.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	3,55.20	6,40.10	6,40.10
पु.	2,84.90		
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,84.90 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं –अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू.	8,00.00	18,00.00	18,00.00
पु.	10,00.00		
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान			
मू.	39,30.02	77,29.99	77,29.99
पु.	37,99.97		
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	60,00.04		
पु.	46,83.01	1,06,83.05	1,06,83.05
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46,83.01 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना</i> के अन्तर्गत न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा बीमा प्रीमियम की दर में ₹ 370 प्रति परिवार वार्षिक से ₹ 1,263 की वृद्धि किये जाने के कारण अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (15:85)			
मू.	2,00,90.93		
पु.	77,11.86	2,78,02.79	2,78,02.79
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 77,11.86 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,39.20		
पु.	3,39.16	4,78.36	4,78.36
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,39.16 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को बसों के संचालन में हुई हानियों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	5,99.91		
पु.	3,96.70	9,96.61	9,96.61
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,96.70 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>स्वच्छ भारत मिशन</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	12,18.00	23,47.57	23,47.57
पु.	11,29.57		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,29.57 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	3,00.00	6,29.90	6,29.90
पु.	3,29.90		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,29.90 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त सहायता दिये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	25,00.00	28,49.99	28,49.99
पु.	3,49.99		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थी बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) प्रशासन			
[02] आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास			
मू.	36.80	6,31.56	6,31.56
पु.	5,94.76		

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[53] स्वरोजगार हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	3,00.00		
पु.	2,50.00		
	5,50.00	5,50.00	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,44.76 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं को लागू करने तथा चालू योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[57] विभागीय योजनाओं का सर्वे एवं मूल्यांकन			
मू.	0.01		
पु.	5,16.96		
	5,16.97	5,16.97	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,16.96 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	2,78.00		
पु.	1,57.64		
	4,35.64	4,35.64	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,57.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	2,18.21		
पु.	1,68.63		
	3,86.84	3,86.83	- 0.01
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,68.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	22,00.00	24,57.89	24,57.89
पु.	2,57.89		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,57.89 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू.	1,00.01	6,33.01	6,33.01
पु.	5,33.00		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,33.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[06] प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग तथा एम.आई.एस. हेतु अनुदान			
मू.	0.01	2,00.00	2,00.00
पु.	1,99.99		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	2,90.00	4,48.36	4,48.36
पु.	1,58.36		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,58.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	0.01	6,39.29	6,39.29
पु.	6,39.28		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,39.28 लाख की अतिरिक्त निधियां बीमा कम्पनियों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	63,13.16	69,26.96	68,87.02
पु.	6,13.80		- 39.94

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,13.80 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जनजातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 39.94 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा राजकीय खाते में अवितरित पेंशन की राशि को जमा कराने के कारण रही।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	10,08.86	11,89.13	11,79.97
पु.	1,80.27		- 9.16

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,80.27 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई, 2017 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की दर में वृद्धि तथा अनुसूचित जनजातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 9.16 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा राजकीय खाते में अवितरित पेंशन की राशि को जमा कराने के कारण रही।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	57,00.00	67,41.89	67,02.39
पु.	10,41.89		- 39.50

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,41.89 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई, 2017 से मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन की दर में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 39.50 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा राजकीय खाते में अवितरित पेंशन की राशि को जमा कराने के कारण रही।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	26,00.00		
पु.	9,55.32	35,55.32	35,41.39
			- 13.93

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,55.32 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई, 2017 से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की दर में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 13.93 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा राजकीय खाते में अतिरिक्त पेंशन की राशि को जमा कराने के कारण रही।

2401. फसल कृषि-कर्म

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(28) फसल बीमा (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)

मू.	91,00.02		
पु.	13,40.05	1,04,40.07	1,04,40.07

₹ 91,00.02 लाख का प्रावधान खरीफ फसल 2016 से राज्य के किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 13,40.05 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)

[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से

मू.	3,23.35		
पु.	4,43.45	7,66.80	7,66.80

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,43.45 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2403. पशु पालन

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से

[31] पशु चिकित्सा केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू.	40,14.30		
पु.	5,41.53	45,55.83	45,53.31

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,41.53 लाख की अतिरिक्त निधियाँ सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान तथा अन्य लेखा शीर्षों से कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण भी वेतन एवं भत्तों में बढ़े हुए व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	14,30.00	20,99.30	20,99.30
पु.	6,69.30		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,69.30 लाख की अतिरिक्त निधियां गौ-शाला की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.01	2,17.67	2,17.67
पु.	2,17.66		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,17.66 लाख की अतिरिक्त निधियां सूक्ष्म स्टोरेज टैंकों के जलग्रहण उपचार हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान			
मू.	17,00.00	29,40.00	29,40.00
पु.	12,40.00		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,40.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना			
(डीडीयू-जीकेवाई)			
[02] अनुदान			
मू.	9,15.33	20,24.75	20,24.75
पु.	11,09.42		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,09.42 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
796. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(07) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,69.60	6,06.40	..
पु.	3,36.80	6,06.40	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,36.80 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन में हुए नुकसान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	14,03.35	18,41.36	- 0.30
पु.	4,38.01	18,41.06	- 0.30

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,38.01 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन के विकास के लिए प्रचार कार्य द्वारा आक्रामक विपणन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 6,28,26.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 6,36,93.12 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,22,83.65 लाख, ₹ 6,15,84.56 लाख, ₹ 7,09,15.99 लाख, ₹ 3,34,35.00 लाख तथा ₹ 6,28,26.57 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.14 प्रतिशत से 22.54 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,30.40	87.29	+ 17.53
पु.	- 3,43.11	1,04.82	+ 17.53

31 मार्च 2018 को ₹ 3,43.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 17.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा विभाग)			
[01] भवन निर्माण			
मू.	2,20.03		
पु.	- 1,41.47	78.56	69.52
			- 9.04

31 मार्च 2018 को ₹ 1,41.47 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 9.04 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)
[02] अन्य भवन

मू.	6,43.14			
पु.	- 6,37.98	5.16	5.16	..

31 मार्च 2018 को ₹ 6,37.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोजना)

मू.	20,09.26			
पु.	- 15,33.90	4,75.36	4,75.36	..

31 मार्च 2018 को ₹ 15,33.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)

मू.	18,09.73			
पु.	- 13,76.78	4,32.95	4,32.95	..

31 मार्च 2018 को ₹ 13,76.78 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,38.94	6,34.41	6,34.41
पु.	- 6,04.53		..
31 मार्च 2018 को ₹ 6,04.53 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	53,99.98	6,31.29	6,31.29
पु.	- 47,68.69		..
31 मार्च 2018 को ₹ 47,68.69 लाख का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान -निर्माण कार्य			
मू.	25,34.98	21,96.39	21,96.39
पु.	- 3,38.59		..
₹ 3,38.59 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल -निर्माण कार्य			
मू.	4,75.27
पु.	- 4,75.27		..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,75.27 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू. 7,19.23	3,30.65	3,30.66	+ 0.01
पु. - 3,88.58			
₹ 7,19.23 लाख का प्रावधान उदयपुर तथा केलवाड़ा में पॉलिटैक्निक के निर्माण, चालू पॉलिटैक्निक्स के नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण तथा 3 डी प्रिंटिंग तथा रोबोटिक लैब हेतु भवन के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 3,88.58 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा 3 डी प्रिंटिंग तथा रोबोटिक लैब हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं की प्राप्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू. 7,45.79	3,00.00	3,00.00	..
पु. - 4,45.79			
31 मार्च 2018 को ₹ 4,45.79 लाख का प्रावधान स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू. 7,54.81	19.62	19.62	..
पु. - 7,35.19			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू. 16,21.00	5,23.23	5,23.23	..
पु. - 10,97.77			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	6,86.87	3,15.00	3,15.00
पु.	- 3,71.87		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 22,04.83 लाख का प्रावधान (i) कुछ स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता, (ii) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (iii) अतिक्रमण तथा (iv) न्यायालय के स्टे ऑर्डर के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	24,17.02	2,26.80	2,36.51
पु.	- 21,90.22		+ 9.71
31 मार्च 2018 को ₹ 21,90.22 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से यू.जी. सीटों में 150 से 200 की वृद्धि किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एस.आर. छात्रावास के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, (iii) मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण की धीमी गति तथा (iv) नये लैक्चर थियेटर हेतु फर्नीचर तथा अन्य संस्थापनों की खरीद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	18,93.00	10,47.58	10,47.58
पु.	- 8,45.42		..
31 मार्च 2018 को ₹ 8,45.42 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन, (ii) कार्यकारी एजेंसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा 30 रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण कार्यों के कम निष्पादन, (iii) कमेटी द्वारा आइ.सी.यू. बैंड के खरीद की निविदा रद्द किये जाने तथा (iv) चिकित्सा महाविद्यालय तथा पी.बी.एम. अस्पताल के जीर्णोद्धार पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	27,02.85	3,49.93	3,49.93
पु.	- 23,52.92		..

31 मार्च 2018 को ₹ 27,02.85 लाख का प्रावधान यू.जी. सीटों को 150 से 250 तक बढ़ाने हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को कुल ₹ 23,52.92 लाख की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान नये निर्माण कार्यों के निष्पादित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 8,50.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,02.84 लाख) किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर

मू.	32,01.26	16,00.90	16,00.90	..
पु.	- 16,00.36			

31 मार्च 2018 को ₹ 16,00.36 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय तथा मशीनों की कम खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

मू.	8,30.01	3,22.01	3,22.02	+ 0.01
पु.	- 5,08.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 5,08.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन तथा मशीनों एवं उपकरणों की खरीद नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
01. जलपूर्ति
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिये संधारण-प्रतिशतता व्यय (ओ.एण्ड एम.)

मू.	36,50.90	30,50.90	30,50.90	..
पु.	- 6,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	78,93.63		
पु.	- 12,59.12	66,34.51	66,16.98
01. जलपूर्ति			- 17.53
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	5,40.50		
पु.	- 2,60.79	2,79.71	2,79.71
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[15] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय योजना			
मू.	8,96.73		
पु.	- 3,40.97	5,55.76	5,55.76
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	75,60.00		
पु.	- 12,98.70	62,61.30	62,61.30
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[18] बोरावास मंडाना जलप्रदाय परियोजना			
मू.	3,72.13		
पु.	- 1,89.51	1,82.62	1,82.62
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	18,75.67		
पु.	- 12,32.16	6,43.51	6,43.51
01. जलपूर्ति			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-प्रथम			
मू.	13,77.51		
पु.	- 9,23.64	4,53.87	4,53.87
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[26] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	6,89.50		
पु.	- 3,80.83	3,08.67	3,08.67
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2			
मू.	10,21.27		
पु.	- 9,56.75	64.52	64.52
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	4,91.00		
पु.	- 3,19.84	1,71.16	1,71.16
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	6,01.33		
पु.	- 4,40.00	1,61.33	1,61.33
01. जलपूर्ति			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[37] ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	8,92.35		
पु.	- 5,41.76	3,50.59	3,50.59
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	18,73.93		
पु.	- 13,97.92	4,76.01	4,76.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[47] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	6,61.74		
पु.	- 3,42.25	3,19.49	3,19.49
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	13,27.00		
पु.	- 3,10.62	10,16.38	10,16.38
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[59] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	15,55.24		
पु.	- 9,45.98	6,09.26	6,09.26
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[60] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	6,19.86		
पु.	- 4,23.49	1,96.37	1,96.37

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[68] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	11,64.98	5,47.89	5,47.89
पु.	- 6,17.09		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[71] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	37,08.19	27,87.41	27,87.41
पु.	- 9,20.78		..
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,31,02.20 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
शीर्ष "4215-01-796(01) [01]" के अंतर्गत ₹ 17.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	34,09.84	19,40.54	19,40.54
पु.	- 14,69.30		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[44] चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय योजना-क्लस्टर			
मू.	59,55.78	44,24.52	44,21.09
पु.	- 15,31.26		- 3.43
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 30,00.56 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	8,13.40		
पु.	- 3,29.58	4,83.82	4,83.82
			..
₹ 3,29.58 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	42,00.00		
पु.	- 5,28.06	36,71.94	36,71.94
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	4,72.50		
पु.	- 3,64.50	1,08.00	1,08.00
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	20,52.00		
पु.	- 8,23.52	12,28.48	12,28.48
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II			
मू.	18,90.00		
पु.	- 3,23.13	15,66.87	15,66.87
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू.	4,87.50		
पु.	- 1,80.31	3,07.19	3,07.19
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	2,39.00		
पु.	- 1,94.54	44.46	44.46
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[28] चुरू-झुंझुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	13,12.50		
पु.	- 7,09.53	6,02.97	6,02.97
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[37] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	7,40.00		
पु.	- 3,81.25	3,58.75	3,58.75
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट - II (शहरी)			
मू.	3,87.50		
पु.	- 3,87.50

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[52] पुनरुद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ कस्बे की			
मू.	8,40.00	6,57.07	6,57.07
पु.	- 1,82.93		..
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 40,75.27 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.)			
मू.	22,98.02	6,28.10	4,42.44
पु.	- 16,69.92		- 1,85.66
31 मार्च 2018 को ₹ 16,69.92 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
₹ 1,85.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	3,37.50	1,60.69	1,60.69
पु.	- 1,76.81		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,76.81 लाख का प्रावधान जन दाताओं से जन सहभागी अंशदान प्राप्त नहीं होने तथा स्थानीय निकायों से प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	9,45.00	3,85.57	3,85.57
पु.	- 5,59.43		..
31 मार्च 2018 को ₹ 5,59.43 लाख का प्रावधान रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	62,53.65	45,60.12	45,60.12
पु.	- 16,93.53		..

31 मार्च 2018 को ₹ 16,93.53 लाख का प्रावधान अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 90.65 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,02.88 लाख) किया गया।

04. गन्दी बस्तियों का विकास
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु

मू.	9,43.20	83.65	83.65	..
पु.	- 8,59.55			

31 मार्च 2018 को ₹ 8,59.55 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय
60. अन्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) भवन निर्माण
[90] निर्माण कार्य

मू.	1,82.48
पु.	- 1,82.48			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,82.48 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत
भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)
[04] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त
अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण

मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	11,00.00
पु.	- 11,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[18] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	10,34.91	4,30.00	4,30.00
पु.	- 6,04.91		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 17,04.91 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[08] जनजाति भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	4,00.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 24,50.00			
पु. - 12,50.00	12,00.00	12,00.00	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू. 10,00.00			
पु. - 6,00.00	4,00.00	4,00.00	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू. 5,00.01			
पु. - 5,00.01
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू. 18,00.00			
पु. - 10,85.00	7,15.00	7,15.00	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 34,35.01 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जन जाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[21] पब्लिक स्कूल भवन निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	9,00.00
पु.	- 9,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू.	4,50.00	2,85.45	2,85.45
पु.	- 1,64.55		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	1,60.00
पु.	- 1,60.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	3,40.00	45.66	45.66
पु.	- 2,94.34
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 15,18.89 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	6,00.00	2,18.18	2,18.18
पु.	- 3,81.82
31 मार्च 2018 को ₹ 3,81.82 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता और अधिग्रहण के लिए विवादित भूमि का चयन किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	5,60.01	1.42	1.42
पु.	- 5,58.59
31 मार्च 2018 को ₹ 5,58.59 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण, जीर्णोद्धार तथा उन्नयन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	8,93.99		
पु.	- 4,70.82	4,23.17	4,23.17

31 मार्च 2018 को ₹ 4,70.82 लाख का प्रावधान मशीनरी की कम खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	18,22.50		
पु.	- 12,80.25	5,42.25	5,42.25

31 मार्च 2018 को ₹ 12,80.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	7,26.50		
पु.	- 5,78.33	1,48.17	1,48.14

31 मार्च 2018 को ₹ 5,78.33 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	5,35.43		
पु.	- 5,33.82	1.61	1.16

31 मार्च 2018 को ₹ 5,33.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य			
मू.	1,70,00.00		
पु.	- 43,42.53	1,26,57.47	1,26,02.09
			- 55.38
31 मार्च 2018 को ₹ 43,42.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 55.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य			
मू.	27,99.88		
पु.	- 20,99.88	7,00.00	7,00.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 20,99.88 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य			
मू.	8,44.80		
पु.	- 7,94.87	49.93	49.93
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 7,94.87 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	4,90.00		
पु.	- 4,17.15	72.85	72.85
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,17.15 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (12) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट) [01] निर्माण कार्य			
मू.	39,10.35		
पु.	- 9,12.12	29,98.23	29,89.80
			- 8.43
31 मार्च 2018 को ₹ 9,12.12 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 8.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	5,26.87		
पु.	- 2,57.90	2,68.97	2,68.97
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,57.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	69,30.00		
पु.	- 24,86.05	44,43.95	44,43.95
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 24,86.05 लाख का प्रावधान निगम द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	43,80.00		
पु.	- 6,29.85	37,50.15	37,50.15
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 6,29.85 लाख का प्रावधान निगम द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	20,74.03		
पु.	- 2,56.78	18,17.25	18,17.25
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	20,19.02		
पु.	- 5,11.82	15,07.20	15,07.20
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	13,81.96	12,30.00	12,30.00
पु.	- 1,51.96		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 9,20.56 लाख का प्रावधान जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	40,00.00	7,23.76	7,23.76
पु.	- 32,76.24		
31 मार्च 2018 को ₹ 32,76.24 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागमन सड़कों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	17,30.53	3,90.86	3,90.86
पु.	- 13,39.67		
31 मार्च 2018 को ₹ 13,39.67 लाख का प्रावधान सड़क तथा पुल निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,00.38 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 3,39.29 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	15,87.17	2,38.43	2,38.43
पु.	- 13,48.74		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	46,72.57	29,44.34	29,44.34
पु.	- 17,28.23		
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	1,07,84.00	76,53.37	76,53.37
पु.	- 31,30.63		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	2,51,48.67	2,17,84.60	2,17,70.76
पु.	- 33,64.07		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 95,71.67 लाख का प्रावधान सड़क तथा पुल निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
शीर्ष "5054-04-796(07)" के अंतर्गत ₹ 13.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[11] सड़क उन्नयन परियोजना (दशविंशतितमः)			
मू.	59,64.60	49,77.75	49,75.16
पु.	- 9,86.85		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	16,10.62	4,18.33	4,18.33
पु.	- 11,92.29		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	13,43.01		
पु.	- 5,60.39	7,82.62	7,78.22
			- 4.40
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	7,72.62		
पु.	- 7,32.62	40.00	40.00
			..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 34,72.15 लाख का प्रावधान सड़क तथा पुल निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	6,75.00		
पु.	- 3,80.00	2,95.00	2,95.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,80.00 लाख का प्रावधान (i) जयसमन्द झील, उदयपुर में तैरते मरीना के संचालन का कार्य शुरू नहीं किये जाने, (ii) सज्जनगढ़ महल, उदयपुर में एल.ई.डी. लाइट के भुगतान नहीं किये जाने तथा (iii) मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, उदयपुर में कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] स्वान वरटीकल (स्टेट शेयर)			
मू.	1,65.72		
पु.	- 1,65.72
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,65.72 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन			
मू.	9,24.00
पु.	- 9,24.00

31 मार्च 2018 को ₹ 9,24.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2016-17 के दौरान, ₹ 3,33.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	28,51.24	13,03.11	13,03.11
पु.	- 15,48.13		..

31 मार्च 2018 को ₹ 15,48.13 लाख का प्रावधान राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना			
मू.	20,60.10	37,27.12	37,27.12
पु.	16,67.02		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	27.86	10,91.52	10,91.52
पु.	10,63.66		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	13,02.89		
पु.	2,93.15	15,96.04	15,96.04
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	6.75		
पु.	6,75.00	6,81.75	6,81.75
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[69] नर्मदा नहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	1,65.40		
पु.	2,97.02	4,62.42	4,62.42
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II पार्ट-डी			
मू.	10,29.50		
पु.	10,71.90	21,01.40	21,01.40
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[79] अंता-मांगरोल तहसील जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
अ.	0.01		
पु.	1,88.99	1,89.00	1,89.00

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52,56.74 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[14] चम्बल भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना			
मू.	23.63		
पु.	4,61.84	4,85.47	4,85.47
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	3,78.00		
पु.	2,00.69	5,78.69	5,78.69
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[50] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ कस्बे की			
मू.	4,87.50		
पु.	2,57.96	7,45.46	7,45.46
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[53] अटरू शेरगढ पेयजल परियोजना जिला बांरा (शहरी)			
मू.	33.75		
पु.	5,79.50	6,13.25	6,13.25

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	5,00.00		
पु.	5,55.98	10,55.98	10,55.98
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू.	5,00.00		
पु.	21,00.00	26,00.00	26,00.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01		
पु.	8,99.99	9,00.00	9,00.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[11] खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01		
पु.	4,25.15	4,25.16	4,25.16
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू.	15,00.00		
पु.	14,39.91	29,39.91	29,39.91

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू .	1,00.00	3,27.50	3,27.50
पु .	2,27.50		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,48.53 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू .	12,00.00	20,75.49	20,75.49
पु .	8,75.49		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[07] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजना अन्तर्गत जनजाति भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
अ .	0.01	2,00.00	2,00.00
पु .	1,99.99		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[09] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजना अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास एवं नवीनीकरण			
अ .	0.01	3,05.69	3,05.69
पु .	3,05.68		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,81.16 लाख की अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	25,57.19		
		27,97.71	
पु.	2,40.52	27,97.71	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,40.52 लाख की अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	7,67.50		
		12,06.78	
पु.	4,39.28	12,06.78	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,39.28 लाख की अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	54,00.00		
		67,50.00	
पु.	13,50.00	67,50.00	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियाँ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए प्रति विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि राशि ₹ 2,00.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 2,25.00 लाख किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	21,60.00		
		26,76.97	
पु.	5,16.97	26,76.97	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,16.97 लाख की अतिरिक्त निधियाँ भारत सरकार द्वारा योजना के फण्डिंग पैटर्न को पुनरीक्षण के पश्चात 100% केन्द्रीय सहायता को केन्द्र एवं राज्य के बीच 60:40 अनुपात में किये जाने के लिए राज्यांश के मैचिंग अंशदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7,00.00		
पु.	4,61.45	11,61.45	11,59.65
			- 1.80
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,61.45 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	3,65.62		
पु.	2,09.54	5,75.16	5,75.05
			- 0.11
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	4,34.40		
पु.	11,09.30	15,43.70	15,43.70
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,18.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	50,06.75		
पु.	11,45.22	61,51.97	60,66.58
			- 85.39
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,45.22 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 85.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[03] राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
मू.	0.01		
पु.	30,26.04	30,26.05	30,26.05
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,26.04 लाख की अतिरिक्त निधियां यूरोपियन संघ-राज्य भागीदारी कार्यक्रम (ई.यू.-एस.पी.पी.) से बकाया अनुदान की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए पंचायती राज विभाग को जारी की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	40.00		
पु.	2,19.99	2,59.99	2,59.99
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,19.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितमः)			
मू.	5,96.46		
पु.	6,18.00	12,14.46	12,14.46
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (तृयोविंशतितमः)			
मू.	14,31.50		
पु.	27,96.50	42,28.00	42,28.00
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,14.50 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] ई-आफिस			
मू.	9,18.54	18,42.54	18,42.54
पु.	9,24.00		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,24.00 लाख की अतिरिक्त निधियां चालू योजनाओं के विस्तार तथा नई योजनाओं को लागू करने के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) भामाशाह योजना, 2014
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	7,49.00	57,49.00	57,49.00
पु.	50,00.00		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ए.टी.एम. सेवाओं तथा ई-मित्र की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)

मू.	23,51.45	34,78.78	34,78.78
पु.	11,27.33		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,27.33 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,73.80	30.20	55.74
पु.	- 3,43.60		

+ 25.54

अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	34,84.73		
पु.	- 11,13.38		
		23,71.35	30,84.02 + 7,12.67
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	13,06.78		
पु.	- 4,17.52		
		8,89.26	11,56.51 + 2,67.25
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	8,71.17		
पु.	- 2,78.33		
		5,92.84	7,70.74 + 1,77.90

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 21,52.83 लाख का प्रावधान कार्यो पर कम व्यय की प्रत्याशा में आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, संशोधित अनुमानों से व्यय अधिक किये जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11,83.36 लाख का अंतिम आधिक्य पाया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 – नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,36,66,08			
अनुपूरक	..	3,36,66,08	2,21,40,00	- 1,15,26,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,15,25,71
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	73	75	73	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	7,30,07			
अनुपूरक	..	7,30,07	1,64,74	- 5,65,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,65,33
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3456. सिविल पूर्ति				
102. सिविल पूर्ति योजना				
(02) खाद्यान्न वितरण				
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन				
मू.	11,11.83			
पु.	- 10,69.01	42.82	42.82	..

31 मार्च 2018 को ₹ 10,69.01 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	2,41,11.45	1,42,12.38	1,42,12.38
पु.	- 98,99.07		..

31 मार्च 2018 को ₹ 98,99.07 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के अतिरिक्त परिवारों को गेहूँ परिवहन, संग्रहण एवं वितरण पर कम व्यय होने तथा (ii) भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 97,77.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,21.99 लाख) किया गया।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

106. भार और माप का विनियमन

(01) उपभोक्ता मामले विभाग

[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग

मू.	1,18.00
पु.	- 1,01.55

16.45

16.45

..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,01.55 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मशीनरी क्रय नहीं करने तथा तीन व्हेब्रिज व्हीकल में से एक के खराब होने के कारण डीजल पर कम खर्च होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	6,30.04	1,64.74	1,64.74
पु.	- 4,65.30		..

31 मार्च 2018 को ₹ 4,65.30 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला मंचों के नये भवनों के निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. नागरिक आपूर्ति

(11) भार एवं माप

[01] उपभोक्ता मामले

मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00

..

..

..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान भूमि का निश्चय नहीं होने तथा चलित लेबोरेट्री व्हीकल का क्रय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान भी ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व –2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी – 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	49,68,16,60	51,39,87,30	49,02,68,19
अनुपूरक	1,71,70,70		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 2,37,19,11
प्रभारित			
मूल	50	72,16	71,99
अनुपूरक	71,66		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 17

पूंजी

दत्तमत			
मूल	2,08,07,94	2,37,63,15	1,88,23,95
अनुपूरक	29,55,21		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 49,39,20

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,71,70.70 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी ₹ 1,71,70.69 लाख की राशि अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 2,37,19.11 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 20,62.79 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,00,06.06 लाख, ₹ 2,33,27.05 लाख, ₹ 8,08,08.91 लाख, ₹ 2,64,09.69 लाख तथा ₹ 2,37,19.11 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.89 प्रतिशत से 13.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचतों के लिए विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	9,34.52		
		6,37.14	6,37.13
पु.	- 2,97.38		- 0.01

₹ 2,97.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) छात्रावास अधीक्षकों के 23 स्वीकृत पदों में से 16 पदों के रिक्त रहने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावासों में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (iii) छात्रावासों में छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय कम होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	16,44.15		
		14,84.63	14,84.52
पु.	- 1,59.52		- 0.11

₹ 1,59.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन निर्धारण कार्य पूर्ण नहीं करने को आरोपित की गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[05] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	8,01.00		
		6,91.96	6,91.96
पु.	- 1,09.04		..

₹ 1,09.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) छ: देवनारायण आवासीय विद्यालयों में 142 स्वीकृत पदों में से 115 पदों के रिक्त रहने, (ii) युसुफपुरा (टोंक) आवासीय विद्यालय द्वारा गैर आवर्ती सामग्री के लिए आवंटित निधि का उपयोग नहीं करना तथा (iii) आवासीय विद्यालयों में छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय कम होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू.	2,50.32		
पु.	- 1,04.77	1,45.55	1,45.55

31 मार्च 2018 को ₹ 1,04.77 लाख का प्रावधान देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित 10 माध्यमिक विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू.	9,65.48		
पु.	- 2,60.17	7,05.31	7,05.31

31 मार्च 2018 को ₹ 2,60.17 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन अनुमान से कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	19,00.00		
पु.	- 2,85.67	16,14.33	16,14.33

31 मार्च 2018 को ₹ 2,85.67 लाख का प्रावधान गुरुकुल योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों द्वारा अनुदान के लिए दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति तथा वजीफा			
मू.	1,11,76.67		
पु.	- 27,35.66	84,41.01	84,41.01

31 मार्च 2018 को ₹ 27,35.66 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,78.05 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22,57.61 लाख) किया गया ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00		
31 मार्च 2018 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	4,23.07	1,71.87	1,71.87
पु.	- 2,51.20		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,51.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	6,00.01	4,60.22	4,70.87 + 10.65
पु.	- 1,39.79		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,39.79 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम तथा अपूर्ण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 10.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	8,16.00	5,14.54	5,14.54
पु.	- 3,01.46		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,01.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	10,60.00
पु.	-10,60.00		
₹ 10,60.00 लाख का प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 10,60.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2014-15 से 2016-17 के दौरान भी, समस्त प्रावधान क्रमशः अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित तथा अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(05) राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान			
[01] राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	4,30.00	2,15.00	2,15.00
पु.	- 2,15.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,15.00 लाख का प्रावधान राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[10] समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम			
मू.	3,96.36	1,42.83	1,42.83
पु.	- 2,53.53		..
₹ 2,53.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[23] बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ			
मू.	2,31.40
पु.	- 2,31.40		
31 मार्च 2018 को ₹ 2,31.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	1,25,38.98	1,00,00.00	1,00,00.00
पु.	- 25,38.98		..
31 मार्च 2018 को ₹ 25,38.98 लाख की निधियां का अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	5,00.00	94.06	94.06
पु.	- 4,05.94		..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,05.94 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत सहायता			
मू.	55,00.00	38,00.00	38,00.00
पु.	- 17,00.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान सड़क एवं रेल दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा इत्यादि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा वर्ष के दौरान सहायता हेतु कम संख्या में प्रकरण आने के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,05.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,94.97 लाख) किया गया।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(22) लावारिस लाशों का दाहसंस्कार हेतु योजना			
[01] लावारिस लाशों का दाहसंस्कार हेतु योजना			
मू.	2,00.00	3.79	3.79
पु.	- 1,96.21		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,96.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	56,31.43		
		51,13.21	51,13.13
पु.	- 5,18.22		- 0.08

₹ 5,18.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान मंहगाई भत्तों की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितिकरण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों की अन्तर राशि का भुगतान न होने, (iii) फर्म द्वारा सोलर संयंत्र के लिए संविदा का निष्पादन नहीं करने के कारण राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एवं उपकरण लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.) को शेष राशि का भुगतान नहीं करने तथा (iv) रेक्सको द्वारा सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं कराने को आरोपित की गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

मू.	16,00.01		
		11,89.70	12,08.65
पु.	- 4,10.31		+ 18.95

31 मार्च 2018 को ₹ 4,10.31 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा कम संख्या में पेंशन आहरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 18.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

मू.	1,31,29.59		
		1,22,74.08	1,21,65.21
पु.	- 8,55.51		- 1,08.87

31 मार्च 2018 को ₹ 8,55.51 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

₹ 1,08.87 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा अवितरित पेंशन की राशि को राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रही।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन

मू.	6,19.32		
		4,74.51	4,70.82
पु.	- 1,44.81		- 3.69

31 मार्च 2018 को ₹ 1,44.81 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार निशक्त पेंशन के भुगतान तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	21,50,00.00		
पु.	- 71,84.68	20,78,15.32	20,61,48.03 - 16,67.29
31 मार्च 2018 को ₹ 71,84.68 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
₹ 16,67.29 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा अवितरित पेंशन की राशि को राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रही।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और विमानिकों के बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	10,59.38		
पु.	- 1,05.78	9,53.60	9,50.39 - 3.21
1,05.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	18,50.00		
पु.	- 2,34.19	16,15.81	16,15.52 - 0.29
31 मार्च 2018 को ₹ 2,34.19 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं की संख्या में उनकी मृत्यु के कारण कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	13,88.53		
पु.	- 1,82.74	12,05.79	12,05.79 ..
₹ 1,82.74 लाख की प्रत्याशित बचत नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा अप्रैल, 2017 से स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (पी.आर.ए.एन.) के संधारण शुल्क, संव्यवहार शुल्क तथा खोलने/ पुनः जारी करने के सम्बन्ध में शुल्क की दरों में कमी करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	30,00.00		
		15,85.10	16,27.74
			+ 42.64
पु.	- 14,14.90		

₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन के भुगतान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2018 को ₹ 14,14.90 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा कम संख्या में पेंशन आहरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 42.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,12,54.47		
अ.	26,79.66	97,95.47	97,92.85
पु.	- 41,38.66		- 2.62

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 26,79.66 लाख प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 41,38.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] सशर्त मातृत्व लाभ योजना			
मू.	25,00.00		
अ.	0.06	5,94.28	5,94.27
पु.	- 19,05.78		- 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 19,05.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[16] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,30.00		
		10,03.20	10,03.20
पु.	- 2,26.80		..

31 मार्च 2018 को ₹ 2,26.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[08] शिशु गृह/क्रेच का संचालन			
मू.	1,70.00
पु.	- 1,70.00
31 मार्च 2018 को ₹ 1,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[12] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध

मू.	90,00.00	78,58.54	78,58.54	..
पु.	- 11,41.46			
31 मार्च 2018 को ₹ 11,41.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।				

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
001. निर्देशन और प्रशासन				
(01) निर्देशन एवं प्रशासन				
[01] निदेशालय स्तर का संस्थापन-प्रतिबद्ध				
मू.	13,29.16	14,80.37	14,79.20	- 1.17
पु.	1,51.21			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51.21 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान तथा बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर की 126 वीं जयंती के राज्य स्तरीय उत्सव के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	54,50.00	66,87.22	66,87.22
पु.	12,37.22		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,37.22 लाख की अतिरिक्त निधियां 2016-17 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर-मेट्रिक छात्रवृत्ति पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) देवनारायण योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)			
[01] उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन			
मू.	4,54.97	5,55.85	5,55.86
पु.	1,00.88		
			+ 0.01

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.88 लाख की अतिरिक्त निधियां उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद बकाया तथा बड़े वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
01. श्रम			
112. बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास			
(02) बन्धक मजदूरों को राहत			
मू.	20.00	2,96.50	2,96.50
पु.	2,76.50		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,76.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	1,87.93	4,29.20	4,30.63
पु.	2,41.27		
			+ 1.43

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,41.27 लाख की अतिरिक्त निधियां दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर, 2017 के विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु तथा विभागीय योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक जिला कार्यालयों में दो मशीन विद मैन नियुक्त करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	16,71.46	21,90.43	21,90.40
पु.	5,18.97		
			- 0.03

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,18.97 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए अधिक व्यय तथा अधिवक्ताओं के मानदेय वृद्धि से हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[15] सामूहिक विवाह अनुदान योजना हेतु अनुदान			
मू.	2,88.00	9,27.28	9,26.53
पु.	6,39.28		
			- 0.75

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,39.28 लाख की अतिरिक्त निधियां सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिये अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	8,30.00	12,32.57	12,32.57
पु.	4,02.57		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,02.57 लाख की अतिरिक्त निधियां प. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर, 2017 के अन्तर्गत विशेष कैम्प आयोजित कर अंग उपकरण वितरित किये जाने तथा बजट घोषणा की पालना में अस्थि विकलांग व्यक्तियों को मोटरसाइकिल ट्राई साइकिल के निःशुल्क वितरण किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) विकलांगों का चिन्हीकरण			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	10.01	3,40.48	3,40.48
पु.	3,30.47		
			..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,30.47 लाख की अतिरिक्त निधियां प. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर, 2017 के माध्यम से 10 लाख विशेष योग्यजन द्वारा ई-मित्र के माध्यम से चिन्हीकरण एवं उपकरण वितरण हेतु पंजीयन करवाने पर ई-मित्र को भुगतान किये जाने तथा ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं सम्भाग स्तर पर शिविर आयोजित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[02] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	7,00.00		
पु.	1,99.93	8,99.93	8,99.93
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.93 लाख की अतिरिक्त निधियां विशेष योग्यजनों के लिए कार्य कर रही गैर-राजकीय संस्थाओं की संख्या में वृद्धि के कारण संस्थाओं को अनुदान जारी करने तथा गत वर्षों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[04] बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु अनुदान			
मू.	8,35.00		
पु.	5,75.79	14,10.79	14,10.79
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,75.79 लाख की अतिरिक्त निधियां बढ़ी हुई प्रीमियम राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] ब्लॉक स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	0.06		
पु.	4,25.77	4,25.83	4,25.84
			+ 0.01
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,25.77 लाख की अतिरिक्त निधियां विभाग में नये ब्लॉक स्तरीय कार्यालय खोलने के कारण कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	25,24.67		
पु.	3,71.67	28,96.34	28,80.53
			- 15.81
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,71.67 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई, 2017 से विधवा पेंशन की दरों में वृद्धि तथा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 15.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(02) बलवों के प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	25.00		
पु.	2,59.50	2,84.50	2,84.50
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,59.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(11) पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर हेतु अनुदान			
[01] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुदान			
मू.	13,00.00		
पु.	4,99.88	17,99.88	17,94.38
₹ 13,00.00 लाख का प्रावधान भंगकर एवं घृणित अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित अथवा जो घायल या जान गंवा चुके उनके आश्रितों तथा जिन्हें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना-2011 के अन्तर्गत पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया। तत्पश्चात् 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.88 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) द्वारा योजना के बारे में जानकारी के कारण योजना के लाभ का उपयोग करने हेतु आगे आने वाले पीड़ितों की संख्या में वृद्धि से निरन्तर बढ़ते हुए व्यय की मांग की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 5.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	2,00,00.00		
पु.	16,76.68	2,16,76.68	2,16,75.17
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,76.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[10] आई.सी.डी.एस. – IV (विश्व बैंक)			
मू.	15,53.87		
पु.	27,58.10	43,11.97	43,11.42
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,58.10 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 29,55.21 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 11,21.22 लाख, ₹ 2,55,97.66 लाख, ₹ 1,44,06.05 लाख, ₹ 57,84.86 लाख तथा ₹ 49,39.20 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 13.29 प्रतिशत से 84.81 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू. 7,00.00	4,09.39	4,09.39	..
पु. - 2,90.61			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,90.61 लाख का प्रावधान नये छात्रावासों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया तथा भूमि आवंटन में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू. 25,95.00	21,67.99	21,67.99	..
पु. - 4,27.01			

31 मार्च 2018 को ₹ 4,27.01 लाख का प्रावधान नये आवासीय विद्यालयों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया तथा भूमि आवंटन में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 5,00.00	61.82	61.82	..
पु. - 4,38.18			

31 मार्च 2018 को ₹ 4,38.18 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(16) वन स्टॉप सेंटर निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,70.00		
पु.	- 1,69.01	0.99	0.99
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,69.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	7,00.00		
पु.	- 7,00.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	7,00.00		
पु.	- 6,52.73	47.27	47.27
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 6,52.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(11) पशु पालकों के बच्चों के लिए योजना			
[01] आवासीय विद्यालय भवन			
मू.	12,50.00		
पु.	- 10,50.00	2,00.00	2,00.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,50.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क प्रगति विकास एवं निर्माण निगम द्वारा जेतेश्वर धाम, सिणधरी जिला बाड़मेर में पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग			
[01] कार्यालय भवनों का निर्माण एवं पूंजीगत परिव्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,21.83		
		38.85	38.85
पु.	- 2,82.98		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,82.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों में 13 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज शामिल नहीं करने तथा स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एस.ई.एम.टी.) द्वारा कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों के स्पेसिफिकेशन अनुमोदित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	5,00.00		
		1,23.66	1,23.66
पु.	- 3,76.34		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,76.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनवाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	46,06.00		
		4,10.50	4,10.50
पु.	- 41,95.50		..
31 मार्च 2018 को ₹ 41,95.50 लाख की निधियां अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आंगनवाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	27,20.01		
		13,03.00	13,03.00
पु.	- 14,17.01		..
₹ 14,17.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	50.00		
पु.	1,17.44	1,67.44	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,17.44 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

02. समाज कल्याण

800. अन्य कर्ज

(03) राज्य सरकार के पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार

मू.	0.01		
अ.	29,55.20	80,00.00	..
पु.	50,44.79		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,44.79 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि की कटौति की वास्तविक राशि की तुलना में अधिक चिकित्सा पुर्नभरण दावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप निधि को ऋण देने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 034 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी – 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	24,40,97,00	33,69,65,39	33,35,57,40	– 34,07,99
अनुपूरक	9,28,68,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
प्रभारित				
मूल	1	7,52	7,21	– 31
अनुपूरक	7,51			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3	3	..	– 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 34,07.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, कुल अनुपूरक अनुदान ₹ 9,28,68.39 लाख में से फरवरी, 2018 में ₹ 3,25,38.39 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः सूखे से राहत पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 34,07.99 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7,39.70 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

4. **राज्य आपदा मोचन निधि:**—चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 5 वर्षों के लिये राज्य आपदा मोचन निधि को यथावत रखा। सम्पूर्ण वर्ष के आवंटन का 75% अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। निधि ब्याज वाली है। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जावे जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें।

2017-18 के दौरान ₹ 15,17.65 करोड़ (जिसने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,01.65 करोड़ भी शामिल है) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 18,10.51 करोड़ को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि पर छमाही ब्याज भुगतान किया जाएगा, यदि राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि की वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित अनिवेशित राशि पर ₹ 50.08 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 2049 को नामे करते हुए निधि मद 8121 को जमा किया। वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित अनिवेशित राशि पर ब्याज का समायोजन किया जाना बकाया था। 31 मार्च 2018 को ₹ 83.27 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	3,20,07,31		
अनुपूरक	9,45,42	3,29,52,73	3,05,58,26 - 23,94,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			23,93,99
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3,76,64,04		
अनुपूरक	1,19,00,60	4,95,64,64	4,85,61,26 - 10,03,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			10,03,36

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,45.42 लाख का प्रावधान राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा यू.आई.डी. परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 22,43.96 लाख, ₹ 4,49,51.62 लाख, ₹ 54,83.45 लाख, ₹ 1,47,18.60 लाख तथा ₹ 23,94.47 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.27 प्रतिशत से 53.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	5,17.14		
अ.	7,50.00	9,41.31	9,41.32 + 0.01
पु.	- 3,25.83		

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,50.00 लाख का प्रावधान यू.आई.डी. परियोजना के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 3,25.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	5,07.00
पु.	- 5,07.00

31 मार्च 2018 को ₹ 5,07.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान भी इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

- 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 203. कम्प्यूटर सेवाएं
- (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- [09] ई -मित्रा

मू.	1,12.52
पु.	- 1,12.52

- 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 203. कम्प्यूटर सेवाएं
- (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- [13] स्टेट सर्विस डिलेवरी गेट वे

मू.	1,00.64
पु.	- 1,00.64

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 2,13.16 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2016-17 के दौरान भी शीर्ष "3454-02-203(01) [13]" के अन्तर्गत इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] जी.आई.एस.			
मू.	9,85.84	7,72.66	7,72.66
पु.	- 2,13.18		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,13.18 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (कैपेसिटी बिल्डिंग)			
मू.	1,13.56
पु.	- 1,13.56		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,13.56 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2014-15 से 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था तथा 2016-17 के दौरान ₹ 2,27.12 लाख में से ₹ 2,27.01 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन			
मू.	3,94.40
पु.	- 3,94.40		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,94.40 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था तथा 2016-17 के दौरान ₹ 4,08.00 लाख में से ₹ 4,05.62 लाख अभ्यर्पित किये गये थे।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	4,90.00	3,83.76	3,83.76
पु.	- 1,06.24		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,06.24 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(02) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	91,41.01	84,24.90	84,24.90
पु.	- 7,16.11		..

31 मार्च 2018 को ₹ 7,16.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सीमा में कटौती, (ii) भामाशाह नामांकन कार्य ई-मित्र द्वारा कार्यान्वित होने के कारण नामांकन शिविर आयोजित नहीं हुए, (iii) विज्ञापन इत्यादि पर कम व्यय, (iv) राज्य स्तरीय त्यौहार का आयोजन नहीं होने तथा (v) नियमित कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति नहीं होने के कारण लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,50.51 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,65.60 लाख) किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
[03] ई-ग्राम

मू.	2,83.39	57.17	57.17	..
पु.	- 2,26.22			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,26.22 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) ई-ग्राम योजना के अन्तर्गत मशीन विद्वेन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (iii) कार्यालयों में नियमित कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं होने तथा (iv) मुद्रण कार्य की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
203. कम्प्यूटर सेवाएं				
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग				
[01] मुख्यालय				
मू.	11,72.08	16,32.11	16,32.12	+ 0.01
अ.	1,95.42			
पु.	2,64.61			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,64.61 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्कशॉप, प्रशिक्षण, सेमिनार और त्योहारों के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] बैकएण्ड एण्ड न्यू प्रोजेक्ट्स			
मू.	0.01		
		2,00.17	
पु.	2,00.16	2,00.17	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.16 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं को लागू करने तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 10,03.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,19,00.60 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[21] स्वान वरटीकल (स्टेट शेयर)			
मू.	8,02.14		
		..	
पु.	- 8,02.14

31 मार्च 2018 को ₹ 8,02.14 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,37.33 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,64.81 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

800. अन्य व्यय
- (08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- [35] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन

मू.	44,88.00		
		13,29.12	
पु.	- 31,58.88	13,29.12	..

31 मार्च 2018 को ₹ 31,58.88 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 035 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(15) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] योजना भवन का आधुनिकीकरण			
मू.	1,80.00		
		78.65	78.65
पु.	- 1,01.35		..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,01.35 लाख का प्रावधान विभाग की आवश्यकतानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का निष्पादन किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	6,80.00		
		12,16.20	12,16.20
पु.	5,36.20		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,36.20 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्विती तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

800. अन्य व्यय

(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

[31] ई-आफिस

मू.	44,61.48		
अ.	11.60	73,44.72	73,44.72
पु.	28,71.64		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,71.64 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्विती तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 036 – सहकारिता

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
 2425. सहकारिता
 पूंजी – 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,63,14,06	5,25,60,12	4,13,64,56	- 1,11,95,56
अनुपूरक	62,46,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,11,92,76
प्रभारित				
मूल	1	2,26	2,26	..
अनुपूरक	2,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	72,37,57	5,68,15,48	5,59,61,91	- 8,53,57
अनुपूरक	4,95,77,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,53,57

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 62,46.06 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों से लिये गये ऋण के अच्छे कर्जदारों को ब्याज अनुदान तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) को अनुदान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 036 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	30,80.66		
		27,45.79	27,43.30
पु.	- 3,34.87		- 2.49

31 मार्च 2018 को ₹ 3,34.87 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

800. अन्य व्यय

(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान

मू.	2,60,04.00			
अ.	52,81.00	2,06,15.00	2,06,15.00	..
पु.	- 1,06,70.00			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 52,81.00 लाख का प्रावधान बकाया ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,06,70.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अवशेष अनुदान के समायोजन के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,04,31.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,38.64 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 8,53.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,95,77.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	24,71,36,89	24,71,37,45	22,12,86,23	- 2,58,51,22
अनुपूरक	56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,58,14,50
प्रभारित				
मूल	1,02	35,21	35,18	- 3
अनुपूरक	34,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,76,76,94	2,76,77,05	2,27,54,57	- 49,22,48
अनुपूरक	11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				49,22,49

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,58,51.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 36.72 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-2018 के दौरान क्रमशः ₹ 87,57.10 लाख, ₹ 4,09,89.31 लाख, ₹ 3,25,51.16 लाख, ₹ 3,21,99.34 लाख तथा ₹ 2,58,51.22 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 6.48 प्रतिशत से 20.95 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन			
मू.	4,31.01		
		1,23.35	
पु.	- 3,07.66	1,23.35	..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,07.66 लाख का प्रावधान मुख्यतः अनुदान (गैर संवेतन) जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू.	17,91.00		
अ.	0.01	11,43.43	
पु.	- 6,47.58	11,43.42	- 0.01
₹ 17,91.00 लाख का प्रावधान किसानों को उचित प्रौद्योगिकी के वितरण और उन्नत खेतीहर प्रथाओं को सक्षम बनाने के लिये कृषि विस्तार के पुनर्गठन और मजबूती के लिये अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 6,47.58 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग में जिला कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण नहीं होने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू.	3,31.78		
		95.22	
पु.	- 2,36.56	95.23	+ 0.01
₹ 2,36.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
114. तिलहन विकास			
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[02] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन- वृक्ष जनित तिलहन			
मू.	2,23.32		
		1,19.09	
पु.	- 1,04.23	1,19.09	..
₹ 2,23.32 लाख का प्रावधान वृक्षजनित तिलहन तथा तिलहन की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 1,04.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	96,53.90		
		70,43.87	
पु.	- 26,10.03	70,39.08	- 4.79

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

₹ 96,53.90 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 26,10.03 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बून्द-बून्द संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित दर से कम होने के कारण कृषकों की योजना में रुचि कम होने से कृषकों से कम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने तथा (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं होने के कारण व्यय कम होने को आरोपित किया गया।

₹ 4.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(28) बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना हेतु अनुदान			
मू.	15,82.49	12,53.18	12,53.18
पु.	- 3,29.31		
			..

₹ 15,82.49 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन हेतु बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को ₹ 3,29.31 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत कृषकों से ऑनलाइन आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान

मू.	1,13,43.75	52,00.06	52,00.06
पु.	- 61,43.69		
			..

₹ 1,13,43.75 लाख का प्रावधान सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को ₹ 61,43.69 लाख का प्रावधान सौर ऊर्जा पम्प सेट की खरीद के लिए निविदा पर कोर्ट स्टे के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने से (₹ 0.92 लाख) अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 61,42.77 लाख) किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(38) राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन

मू.	1,39.44	1.05	1.05
पु.	- 1,38.39		
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,38.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनिकिट्स

मू.	3,50.00	2,36.48	2,36.48
पु.	- 1,13.52		
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,13.52 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहू			
मू.	15,06.74	11,87.12	11,87.12
पु.	- 3,19.62		
₹ 15,06.74 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, उपकरणों का वितरण, पौध सुरक्षा के लिये जिप्सम तथा रसायन, मोटा अनाज प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 3,19.62 लाख का प्रावधान संवेदकों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	23,90.00	18,45.48	18,45.48
पु.	- 5,44.52		
₹ 23,90.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, उपकरणों का वितरण, पौध सुरक्षा के लिये जिप्सम तथा रसायन, मोटा अनाज प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 5,44.52 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	27,05.08	17,55.30	17,55.30
पु.	- 9,49.78		
₹ 27,05.08 लाख का प्रावधान वृक्षजनित तिलहन तथा तिलहन की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 9,49.78 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	24,43.77	10,56.69	10,56.68
पु.	- 13,87.08		
₹ 24,43.77 लाख का प्रावधान किसानों को उचित प्रौद्योगिकी के वितरण और उन्नत खेतीहर प्रथाओं को सक्षम करने के लिये कृषि विस्तार के पुनर्गठन और मजबूती के लिये अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 13,87.08 लाख का प्रावधान 790 सी.एच.सी.ओ. के निर्माण के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	8,94.54	5,75.70	5,75.70
पु.	- 3,18.84		..

31 मार्च 2018 को ₹ 3,18.84 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना

मू.	30,73.05	18,99.97	18,99.96	- 0.01
पु.	- 11,73.08			

₹ 30,73.05 लाख का प्रावधान मुख्य परियोजना राष्ट्रीय टिकाउ कृषि मिशन के घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन हेतु अनुमानित था। योजना के अन्तर्गत क्लस्टर दृष्टिकोण तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणीकरण द्वारा जैविक खेती के गांवों का चयन कर जैविक खेती प्रोन्नत की जाती है।

31 मार्च 2018 को ₹ 11,73.08 लाख का प्रावधान (i) राजकीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा अवशेष कीटनाशी जैविक उत्पाद के नमूनों की जांच पर कम लागत होने, (ii) चार पहिया वाहनों को क्रय करने हेतु 50 कृषकों के प्रत्येक क्लस्टर को वित्तीय सहायता जारी नहीं करना क्योंकि वाहन की लागत तथा वित्तीय सहायता के मध्य अन्तर राशि को प्रत्येक क्लस्टर के वहन करने में असमर्थता, (iii) जैविक उत्पादों के पैकिंग सामग्री की खरीद, लेबलस, होलोग्राम मुद्रण तथा बाइण्डिंग पर जिला अधिकारियों द्वारा व्यय नहीं किये जाने तथा (iv) विभिन्न कम्पोनेन्ट्स गतिविधियों जैसे कि जैविक खेती के लिए कृषकों को प्रशिक्षण, प्रेक्षकों का निरीक्षण, पी.जी.एस. के साथ पैकिंग सामग्री, लोगों एवं होलोग्राम मुद्रण, अवशेष जैविक उत्पाद के नमूनों की संग्रहण एवं जांच और कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के तहत कृषि उपकरण और जैविक मेले आयोजित करने की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय

मू.	52,78.71	48,44.30	48,37.96	- 6.34
पु.	- 4,34.41			

₹ 4,34.41 लाख की की प्रत्याशित बचत कृषि विभाग के लिये पंचायती राज विभाग द्वारा नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्र का कम संख्या में पूर्ण एवं सुदृढ़ीकरण होना तथा बिजली एवं पानी व्यय के भुगतान पर कम व्यय हुआ क्योंकि डिमाण्ड नोट राशि में विसंगति के कारण बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं लेने को आरोपित की गयी।

₹ 6.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,11,26.99	1,87,55.33	1,87,46.11	- 9.22
पु.	- 23,71.66			

₹ 23,71.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सहायक कृषि अधिकारियों (436) तथा कृषि पर्यवेक्षकों (1056) के रिक्त पदों को आरोपित की गई।

₹ 9.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(23) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	51,50.22	41,66.16	41,66.16
पु.	- 9,84.06		
₹ 9,84.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,84,29.98	1,00,45.01	1,00,45.21
पु.	- 83,84.97		
₹ 1,84,29.98 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट सम्प्रेषण परियोजना द्वारा नोलेज रिसोर्स के सुदृढीकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु अनुमानित था।			
यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 83,84.97 लाख का प्रावधान (i) कोटा एवं उदयपुर में प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का व्यय आर.के.वी.वाई. से न करके अन्य लेखा शीर्ष से करने, (ii) टी.वी. चैनल्स द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने, (iii) बिना स्टूडियो नवीनीकरण के ऑडियो-वीडियो उपकरण क्रय नहीं किये जा सके तथा (iv) राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में कार्यशाला का आयोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 35,69.22 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 48,15.75 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[08] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	5,23.81
पु.	- 5,23.81		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	12,93.35	8,25.02	8,25.02
पु.	- 4,68.33		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[18] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के माध्यम से			
मू.	6,46.68	4,78.36	4,78.36
पु.	- 1,68.32		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 11,60.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,31,12.44		
अ.	0.02	93,42.81	93,42.81
पु.	- 1,37,69.65		..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,37,69.65 लाख का प्रावधान (i) कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, सोलर पम्प, ग्रीन हाउस, मशीनी एवं उपकरण, तरल उर्वरक, बीज, मल्टि हेतु पॉलीथीट के प्रोक्योरमेन्ट में देरी के कारण कम व्यय, (ii) पशुपालन विभाग से संबंधित गतिविधियों जैसे कुट्टी मशीन वितरण, पशु खाद्य हेतु बर्तन, बकरी वितरण, अजोला प्रदर्शन, क्लीन मिलक किट इत्यादि तथा ग्रामीण हाट बाजार एवं ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं होने, (iii) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर कृषि प्रतिस्पर्धा योजना में विश्व बैंक के सुझाव अनुसार दिसम्बर, 2017 तक संशोधन किया गया जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने, (iv) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रोक्योरमेन्ट प्लान की निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (v) भू-जल विभाग की गतिविधियों का क्रियान्वन से तकनीकी संस्थाओं को हटाया जाना क्योंकि उन्होंने अनुबन्ध के अनुसार कार्य नहीं किया तथा विभाग द्वारा पीजो मीटर लगाने का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,37,69.63 लाख) किया गया।

800. अन्य व्यय

(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन

[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

मू.	6,34.29			
अ.	0.01	3,53.55	3,53.56	+ 0.01
पु.	- 2,80.75			

₹ 6,34.29 लाख का प्रावधान एकीकृत कृषि व्यवस्था द्वारा कृषि उत्पादक, टिकाउ, लाभदायक, जलवायु सहायक का निर्माण, मृदा तथा जल संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु अनुमानित था।

₹ 2,80.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

800. अन्य व्यय

(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मु.	1,20,72.04			
पु.	- 63,26.04	57,46.00	57,46.01	+ 0.01

₹ 1,20,72.04 लाख का प्रावधान मुख्यतः जल शेड कार्यक्रम एवं खेत पर जल प्रबंधन कार्यक्रम को सम्मिलित करने तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया।

₹ 63,26.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
103. बीज			
(15) बीज विकास योजना (उत्पादन एवं वितरण)			
मू.	3,18.55	7,06.24	7,06.16
पु.	3,87.69		
₹ 3,18.55 लाख का प्रावधान किसानों द्वारा बीज उत्पादन तथा बीज परीक्षण प्रयोगशाला की संचालन लागत उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित किया गया। तत्पश्चात् 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,87.69 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण 2017-18 में की गई घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(02) कृषि सूचना			
मू.	31,71.00	43,10.28	43,10.27
पु.	11,39.28		
₹ 31,71.00 लाख का प्रावधान मास मीडिया, किसान मित्रता साहित्य वितरण, पारदर्शिता तथा विस्तार सेवाएं की इफेक्टिव डिलीवरी, कैम्प का आयोजन द्वारा कृषि तकनीकी के फैलाव हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2018 को ₹ 11,39.28 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मीट के आयोजन, वर्तमान गतिविधियों के विस्तार तथा नयी गतिविधियों को सम्मिलित करने पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवं रोपण सामग्री			
मू.	1,64.86	3,50.91	3,50.91
पु.	1,86.05		
₹ 1,64.86 लाख का प्रावधान बीज और रोपण सामग्री उप मिशन के अन्तर्गत किसानों को उचित प्रौद्योगिकी के वितरण और उन्नत खेती प्रथाओं को सक्षम करने के लिये कृषि विस्तार के पुनर्गठन और मजबूती के लिये अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,86.05 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से योजना की क्रियान्विती हेतु निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राजस्थान राज्य सीड निगम लिमिटेड को 40 प्रतिशत राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
110. फसल बीमा			
(02) फसल बीमा कृषि विभाग के अभिकरण से (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)			
मू.	4,90,00.02	5,62,54.03	5,62,54.03
पु.	72,54.01		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72,54.01 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
114. तिलहन विकास			
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[01] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-तिलहन			
मू.	12,19.51	14,04.61	14,04.61
पु.	1,85.10		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,85.10 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(02) बागवानी का विकास

मू.	8,86.40	9,86.97	9,86.96	- 0.01
पु.	1,00.57			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.57 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़े हुए वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मू.	51,10.00	82,01.81	82,06.61	+ 4.80
पु.	30,91.81			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,91.81 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 4.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान

मू.	5,72.00	9,38.38	9,38.38	..
पु.	3,66.38			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,66.38 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

मू.	4,90.00	7,08.42	7,08.42	..
पु.	2,18.42			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,18.42 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से सम्बन्धित बकाया दायित्वों का भुगतान करने तथा छात्राओं से प्रोत्साहन हेतु अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	1,05,37.86	1,67,43.29	1,67,42.84
पु.	62,05.43		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,05.43 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	8,75.00	23,13.09	23,13.09
पु.	14,38.09		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,38.09 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	16,09.83	21,96.20	21,96.19
पु.	5,86.37		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	18,65.65	20,97.78	20,97.79
पु.	2,32.13		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान)			
मू.	6,46.68	19,46.68	19,46.68
पु.	13,00.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,18.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[06] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	27,00.01		
पु.	3,99.99	31,00.00	31,00.00

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[08] श्री कर्ण नरेन्द कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-प्रतिबद्ध			
मू.	36,10.01		
पु.	4,64.99	40,75.00	40,75.00

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,64.99 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(02) महाविद्यालयों में कृषि शिक्षा-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
पु.	1,43.88	1,43.89	1,43.89

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,43.88 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के लिए छठें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान करने के लिए दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर को सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) जारी करने तथा कॉलेज शिक्षा विभाग में महाविद्यालय के विलय तक कर्मचारियों के अवकाश खाते में शेष रहे विशेषाधिकार अवकाश का भुगतान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 16,81.29 लाख , ₹ 1,20,30.20 लाख, ₹ 1,35,61.00 लाख, ₹ 3,56,41.55 लाख तथा ₹ 49,22.48 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.36 प्रतिशत से 60.52 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	43,90.00		
पु.	- 24,01.43	19,88.57	19,88.57
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 24,01.43 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना तथा भूमि की अनुपलब्धता तथा भूमि से सम्बन्धित विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं कर सकने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	19,82.01		
पु.	- 12,59.48	7,22.53	7,22.53
			..

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	16,16.70		
पु.	- 1,97.90	14,18.80	14,18.81
			+ 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 14,57.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[04] मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,17.34		
पु.	- 5,17.34
			..

31 मार्च 2018 का ₹ 5,17.34 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(04) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] जल ग्रहण विकास तथा भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,07,54.00		
पु.	- 79,19.75	28,34.25	28,34.25
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 79,19.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 28,91.66 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 50,28.09 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[01] भवन			
मू.	2,10.00		
अ.	0.01	7,01.54	7,01.54
पु.	4,91.53		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,91.53 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

800. अन्य व्यय
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)
[02] बागवानी विभाग के माध्यम से

मू.	7,82.50		
पु.	13,23.74	21,06.24	21,06.24
			..

800. अन्य व्यय
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से

मू.	51.71		
पु.	10,48.85	11,00.56	11,00.56
			..

800. अन्य व्यय
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)
[09] वन विभाग के माध्यम से

मू.	14,71.19		
पु.	3,56.93	18,28.12	18,28.12
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,29.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(06) कृषि विश्वविद्यालय को उधार			
[02] स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार			
मू.	0.01		
		22,00.00	22,00.00
पु.	21,99.99		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को पेंशन दायित्वों का भुगतान करने के लिए स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू.	50,00.00		
		70,00.00	70,00.00
पु.	20,00.00		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां निगम द्वारा निर्माण कार्यो का अधिक निष्पादन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। कार्य के चरणबद्ध समापन एवं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा चरणबद्ध सत्यापन होने के पश्चात् ऋण राशि निगम को जारी की गयी।

अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और
2702. लघु सिंचाई
पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,09,79,62	1,21,36,70	1,10,16,28	- 11,20,42
अनुपूरक	11,57,08			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				11,19,55
प्रभारित				
मूल	4	3,23	2,73	- 50
अनुपूरक	3,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				50
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	85,02	85,02	77,48	- 7,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				
				7,54

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 11,20.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 11,57.08 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
102. मृदा संरक्षण			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड)(एम पॉवर)			
मू.	23,42.28	18,03.67	18,03.54
पु.	- 5,38.61		
- 0.13			

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

31 मार्च 2018 को ₹ 5,38.61 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा गत वर्षों की अवशेष अनुदान के उपयोग करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,09.32 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,29.29 लाख) किया गया । यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
03. रखरखाव			
103. नलकूप (ट्यूबवैल)			
(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना			
[02] कार्यकारी-प्रतिबद्ध			
मू.	42,35.41		
अ.	2,55.00	37,69.34	- 0.23
पु.	- 7,21.07	37,69.11	

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,55.00 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

₹ 7,21.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा 8 व 10 इंच के पाइपों की आपूर्ति न होने के कारण खुदाई कार्य के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
03. रखरखाव			
103. नलकूप (ट्यूबवैल)			
(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना			
[03] निर्देशन तथा प्रशासन (भूजल विभाग)-प्रतिबद्ध			
मू.	6,22.24		
पु.	1,21.45	7,43.69	- 0.01
		7,43.68	

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21.45 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर वेतन तथा भत्तों के अधिक भुगतान तथा राजस्थान जल विकास निगम, जयपुर में संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों की बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में प्रीमियम के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन और
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,48,02,45	10,19,13,09	9,80,67,93	- 38,45,16
अनुपूरक	1,71,10,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				38,27,14
प्रभारित				
मूल	1,01	1,01	..	- 1,01
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,01
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	18,30,05	20,62,63	19,94,22	- 68,41
अनुपूरक	2,32,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				68,42

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 38,45.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,71,10.64 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,71,10.48 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 38,45.16 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 18.02 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2403. पशु-पालन				
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य				
(05) अस्पताल और चिकित्सालय				
मू.	72,53.45			
अ.	30,00.00			
पु.	- 5,28.52			
		97,24.93	97,15.46	- 9.47

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान नई भर्तियों के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,28.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग तथा सुनिश्चित कैरियर संवर्धन योजना के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) नये संस्थानों में जल और विद्युत् के कनेक्शन समय पर न होने तथा (iii) मशीनों तथा उपकरणों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 9.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य
(26) अस्पताल तथा औषधालय
[01] पशु चिकित्सा केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू.	3,82,85.61			
अ.	20,00.00			
पु.	- 12,85.41			
		3,90,00.20	3,89,95.07	- 5.13

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान नई भर्तियों के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 12,85.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग तथा सुनिश्चित कैरियर संवर्धन योजना के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 5.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

102. पशु तथा भैंस विकास
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना
[01] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से

मू.	10,00.00			
पु.	- 6,08.22			
		3,91.78	3,91.78	..

31 मार्च 2018 को ₹ 6,08.22 लाख का प्रावधान स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त दावों के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैस विकास			
(23) भेड़ और बकरी आनुवंशिकता सुधार योजना			
[01] भेड़ और बकरी विकास			
अ .	2,25.21
पु .	- 2,25.21

अक्टूबर, 2017 (₹ 0.08 लाख) तथा फरवरी, 2018 (₹ 2,25.13 लाख) में ₹ 2,25.21 लाख का अनुपूरक अनुदान भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया । यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 2,25.21 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2404. डेरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता			
मू .	11,33.22	1,77.45	1,77.45
पु .	- 9,55.77

31 मार्च 2018 को ₹ 9,55.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 68.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,32.58 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,32.56 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(09) खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] कोल्ड स्टोरेज का निर्माण			
मू .	50.00
पु .	- 50.00

31 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,47,15	1,50,16	1,09,72	- 40,44
अनुपूरक	3,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				40,41
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	3	25,01	16,00	- 9,01
अनुपूरक	24,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 40.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 3.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 9.01 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 9.00 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- ₹ 9.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को ऋण हेतु लिया गया ₹ 24.98 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	74,66,61,59			
अनुपूरक	76,82,87	75,43,44,46	69,75,43,10	- 5,68,01,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,67,89,34
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	27,46,75			
अनुपूरक	..	27,46,75	17,22,08	- 10,24,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,24,67

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 76,82.87 लाख का प्रावधान (i) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान तथा (ii) ग्रामीण बी.पी.एल.आवास योजना हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 5,68,01.36 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 12.02 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 041 – (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	16,63,95.74	10,98,87.89	..
पु.	- 5,65,07.85		

31 मार्च 2018 को ₹ 5,65,07.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,55,84.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,23.57 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) तदर्थ सहायता
[01] संस्थापन

मू.	1,00.00	..	- 3.31	- 3.31
पु.	- 1,00.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 3.31 लाख के ऋण व्यय के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता
(02) ग्राम पंचायतों को कर वूसली की एवज में अनुदान
[01] संस्थापन-प्रतिबद्ध

मू.	2,61.24	94.57	94.57	..
पु.	- 1,66.67			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,66.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज			
के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को			
भवन निर्माण हेतु			
मू.	27,46.75	17,22.08	..
पु.	- 10,24.67		

31 मार्च 2018 को ₹ 10,24.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 042 - उद्योग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और
 2852. उद्योग
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,40,95,51		
अनुपूरक	27,67,71	2,68,63,22	2,57,34,07 - 11,29,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			11,27,88
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	50,97,25		
अनुपूरक	..	50,97,25	8,44,59 - 42,52,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			42,52,66
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			

- ₹ 11,29.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 27,67.71 लाख का प्रावधान राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत ब्याज अनुदान और राजस्थान खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड को अनुदान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	67,91.57	56,40.75	56,40.75
पु.	- 11,50.82		..
31 मार्च 2018 को ₹ 11,50.82 लाख की प्रत्याशित बचत माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के क्रियान्वयन के पश्चात् राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2014 और 2010 पर नीतिगत निर्णय लंबित रहने को आरोपित की गयी।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना			
(03) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनीकीकरण			
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता			
मू.	4,24.00	2,95.98	2,95.98
पु.	- 1,28.02		..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,28.02 लाख का प्रावधान बैंकों से ब्याज अनुदान के दावे से कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	31,56.12	28,51.93	28,50.70
पु.	- 3,04.19		- 1.23
₹ 3,04.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) आयुक्त, उद्योग विभाग			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,90.36	11,88.11	11,88.08
पु.	- 1,02.25		- 0.03
₹ 1,02.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(17) ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी (रूडा)			
मू.	3,22.39	2,13.00	2,13.00
पु.	- 1,09.39		..
₹ 1,09.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	27,00.00		
पु.	- 13,89.00	13,11.00	13,11.00

31 मार्च 2018 को ₹ 13,89.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

80. सामान्य
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(03) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम
[02] राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी

मू.	7,25.00		
पु.	- 2,37.92	4,87.08	4,87.08

31 मार्च 2018 को ₹ 2,37.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	45,55.40		
अ.	17,98.08	71,25.81	71,25.81
पु.	7,72.33		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,72.33 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्याज अनुदान के दावे अधिक प्राप्त होने तथा बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग
102. लघु उद्योग
(04) तकनीकी अपग्रेडेशन

मू.	25.00		
पु.	1,16.88	1,41.88	1,41.88

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,16.88 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया देनदारियों के भुगतान तथा विभागीय कम्प्यूटराईजेशन से सम्बन्धित कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रु.लाख में)	आधिक्य + बचत –
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
104. हस्तशिल्प उद्योग			
(13) एकीकृत कौशल विकास योजना			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	0.01	2,11.66	2,11.66
पु.	2,11.65		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,11.65 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
105. खादी तथा ग्रामोद्योग			
(03) खादी वस्त्रों की विक्री पर रिबेट हेतु सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01	1,77.55	1,77.55
पु.	1,77.54		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,77.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
105. खादी तथा ग्रामोद्योग			
(05) खादी तथा ग्रामोद्योग			
[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	19,90.00	32,40.00	32,40.00
अ.	9,69.62		..
पु.	2,80.38		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,80.38 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
003. औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(10) नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फेशन टेक्नोलॉजी			
मू.	0.02	3,81.00	3,81.00
पु.	3,80.98		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,80.98 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार और नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फेशन टेक्नोलॉजी के मध्य समझौता ज्ञापन के निष्पादन के कारण परियोजना लागत के बकाया राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादन			
(25) राजस्थान वित्त निगम			
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता			
मू.	99.99	3,60.00	3,60.00
पु.	2,60.01		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,60.01 लाख की अतिरिक्त निधियां युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को सहायता के लिए राजस्थान वित्त निगम को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 043 - खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,58,72,77	2,76,05,82	2,55,93,69	- 20,12,13
अनुपूरक	17,33,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				19,91,29
प्रभारित				
मूल	1	36	..	- 36
अनुपूरक	35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				36
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,61,55,01	4,61,55,02	83,32,17	- 3,78,22,85
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,78,34,35

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 17,33.05 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 17,33.02 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में ब्लॉक की ई-नीलामी तथा पर्यावरण सुधार व खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 20,12.13 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 20.84 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)

3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 25,29.51 लाख, ₹ 94,51.16 लाख, ₹ 1,38,87.48 लाख, ₹ 41,01.62 लाख तथा ₹ 20,12.13 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.29 प्रतिशत से 47.98 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) विभाग द्वारा शुल्क वसूली पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	16,15.97		
पु.	- 1,48.43	14,67.54	14,67.53
			- 0.01

₹ 1,48.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवाषिकी पर सेवानिवृत्त होने से उनके स्थान पर कार्मिकों के पदस्थापन नहीं होने के कारण पदों के रिक्त रहने तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति होने पर पद समाप्त होने के कारण मजदूरी का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	62,35.40		
अ.	4,98.00	61,98.69	61,94.41
पु.	- 5,34.71		- 4.28

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा खनन क्षेत्रों के ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु लिया गया ₹ 4,98.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 5,34.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवाषिकी पर सेवानिवृत्त होने से उनके स्थान पर कार्मिकों के पदस्थापन नहीं होने, (ii) वर्कचार्ज कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति होने पर पद समाप्त होने के कारण मजदूरी का कम भुगतान होने, (iii) ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस के लिए मेकॉन लिमिटेड द्वारा बिलों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया जाना तथा (iv) खनिजों की ई-नीलामी को अमल में नहीं लाने को आरोपित की गई।

₹ 4.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. खानों का विनियमन तथा विकास
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को/से अन्तरण
(02) लेखा मद 8229-200(09) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि-प्रतिबद्ध

मू.	10,00.00		
पु.	- 10,00.00

₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्र में खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्र में पौधारोपण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को पर्यावरण प्रबंधक निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 8,78.68 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,21.32 लाख) किया गया।

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान समस्त प्रावधान सम्बन्धित वर्षों के अन्त में अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[10] जिला कलक्टर			
मू.	40,50.00		
पु.	- 10,56.50	29,93.50	29,90.50
			- 3.00

₹ 40,50.00 लाख का प्रावधान जिला कलक्टरों को सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस बीमारियों से प्रभावितों की मृत्यु पर आश्रितों को सहायतार्थ भुगतान हेतु प्राधिकृत एवं अनुमानित किया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को जिला कलक्टर द्वारा जारी वास्तविक सहायता के आधार पर ₹ 10,56.50 लाख अभ्यर्पित (₹ 50.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,06.50 लाख) किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[02] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग			
मू.	76.23		
अ.	12,35.04	22,33.89	22,33.89
पु.	9,22.62		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,22.62 लाख की अतिरिक्त निधियां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावानुसार भेषज और औषधियां क्रय करने, 10 मोबाईल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) खरीदने तथा इन एम.एम.यू. के संचालन व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 3,78,22.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,78,34.35 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 1,12.04 लाख, ₹ 1,08,20.49 लाख, ₹ 80,99.63 लाख, ₹ 1,55,47.13 लाख तथा ₹ 3,78,22.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.96 प्रतिशत से 99.70 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[03] खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,39.98
पु.	- 1,39.98		

31 मार्च 2018 को ₹ 1,39.98 लाख का समस्त प्रावधान खनन क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार के लिए वन विभाग से वृक्षारोपण एवं वृहद् निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास
004. अनुसंधान तथा विकास
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय
[04] खान एवं भू-विज्ञान विभाग

मू.	17,95.00	7,02.21	7,13.71	+ 11.50
पु.	- 10,92.79			

31 मार्च 2018 को ₹ 10,92.79 लाख का प्रावधान (i) 30 कार्यालयों के लिए 30 डिफरेंशियल ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (डी.जी.पी.एस.) व सर्वे/मैपिंग उपकरणों की खरीद नहीं होने तथा (ii) कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, स्केनर्स, यू.पी.एस. टेबलेट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप की खरीद की निविदा प्रक्रिया में देरी के परिणामस्वरूप विभागीय वेबसाईट के मेटीनेन्स एवं नवीन ऑन लाईन कार्यों को लागू नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास
004. अनुसंधान तथा विकास
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय
[05] जिला कलेक्टर

मू.	9,50.00
पु.	- 9,50.00			

31 मार्च 2018 को ₹ 9,50.00 लाख का समस्त प्रावधान जिला कलेक्टरों से खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण तथा लघु निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरणों/ औजार एवं संयंत्रों का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) मार्किंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[06] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य हेतु मशीनरी तथा उपकरणों/औजार एवं संयंत्रों का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(05) खनिज भवनों का निर्माण			
मू.	0.01	1,19.77	..
पु.	1,19.76	1,19.77	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19.76 लाख की अतिरिक्त निधियां यू.आई.टी., बीकानेर की करणी नगर योजना में खनिज भवन के निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर लगाये गये ब्याज एवं लीजमनी के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 044 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण
पूंजी – 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	32,05,49			
अनुपूरक	..	32,05,49	29,78,49	– 2,27,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,26,99
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,00			
अनुपूरक	..	11,00	8,95	– 2,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,05

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत (अनुदान के अन्य शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:–

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
(01) मुद्रण कार्य				
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध				
मू.	30,39.61			
पु.	– 2,41.07	27,98.54	27,98.53	– 0.01

₹ 2,41.07 की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 18 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, 2 कर्मचारियों की मृत्यु होने तथा एक कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) अधिसमय भत्ते की स्वीकृति देरी से जारी होने तथा (iii) फर्म द्वारा पिंक पेपर की आपूर्ति नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 045 – राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : पूंजी – 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	9			
अनुपूरक	29	38	23	- 15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				15

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
2701. मध्यम सिंचाई और
2702. लघु सिंचाई
पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	21,17,45,95	21,75,50,39	20,80,33,28
अनुपूरक	58,04,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 95,17,11
प्रभारित			
मूल	8	4,62,99	4,60,43
अनुपूरक	4,62,91		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 2,56
			2,55
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	16,16,99,01	16,16,99,07	13,81,46,17
अनुपूरक	6		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 2,35,52,90
प्रभारित			
मूल	2	45,21	45,20
अनुपूरक	45,19		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			- 1
			1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 95,17.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,49,40.73 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 58,04.44 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,18.83		
अ.	4,71.20	21,86.04	21,81.08
पु.	- 3,03.99		- 4.96

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,71.20 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 3,03.99 लाख का प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल, चण्डीगढ़ पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वास्तविक भुगतान की अंश राशि के रूप में पंजाब सरकार को करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
- 101. रखरखाव एवं मरम्मत
- (01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय
- [03] मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,59.00			
पु.	- 1,08.80	50.20	82.06	+ 31.86

31 मार्च 2018 को ₹ 1,08.80 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 31.86 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

- 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)
- 001. निदेशन तथा प्रशासन
- (05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)
- [01] दाहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा-प्रतिबद्ध

मू.	1,06.76			
पु.	- 34.89	71.87	..	- 71.87

31 मार्च 2018 को ₹ 34.89 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रोरेटा व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, ₹ 71.87 लाख का समस्त प्रावधान बिना उपयोग के शेष रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	67,36.29		
पु.	- 5,14.27	62,22.02	54,39.56
			- 7,82.46

31 मार्च 2018 को ₹ 5,14.27 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7,82.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक,
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (उत्तर),
हनुमानगढ़ के माध्यम से
- [04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी-प्रतिबद्ध

मू.	5,00.00			
पु.	- 1,62.27	3,37.73	3,37.73	..

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व की 50% राशि के पुनर्भरण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक वसूली अनुमान से कम हुई जिसके परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 1,62.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (07) मुख्य अभियंता, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर
के माध्यम से
- [01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	31,82.33			
पु.	- 2,37.33	29,45.00	29,36.54	- 8.46

31 मार्च 2018 को ₹ 2,37.33 लाख का प्रावधान मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.46 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	5,09,23.75			
अ.	11,04.05	5,20,27.80	5,03,21.59	- 17,06.21

₹ 17,06.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	33,18.42		
		33,99.78	15,18.13
			- 18,81.65
पु.	81.36		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81.36 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 18,81.65 लाख की अंतिम बचत रही।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग
के माध्यम से)-प्रतिबद्ध

मू.	3,80.00			
		1,90.00	1,90.00	..
पु.	- 1,90.00			

₹ 3,80.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पंजाब सरकार को अंश राशि के भुगतान के लिए अनुमानित था। इसके अनुसार 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,90.00 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन पंजाब सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2018 को ₹ 1,90.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गयी।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (03) हरिके बैरेज
- [01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,50.00			
	
पु.	- 1,50.00			

₹ 1,50.00 लाख का प्रावधान हरिके बैरेज की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पंजाब सरकार को हिस्सा राशि के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 2016-17 के लिए पंजाब सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2018 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) राजस्व कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध

मू.	2,41.52			
		68.34	68.34	..
पु.	- 1,73.18			

31 मार्च 2018 को ₹ 1,73.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः वर्ष 2017-18 के दौरान गंग नहर से 23 पटवारियों का स्थानान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[03] उप मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	1,55.00		
पु.	- 1,14.00	41.00	63.32 + 22.32

31 मार्च 2018 को ₹ 1,14.00 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 22.32 लाख का अधिक व्यय हुआ।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) राजस्थान में रखरखाव
- [04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी-प्रतिबद्ध

मू.	4,00.00		
पु.	- 1,73.53	2,26.47	2,26.47 ..

₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व की 50% राशि के पुनर्भरण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक वसूली अनुमान से कम थी जिसके परिणामतः ₹ 1,73.53 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया।

32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	95,71.22		
अ.	16,88.77	1,06,09.99	1,02,67.45 - 3,42.54
पु.	- 6,50.00		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पूंजी लेखा पर ज्यादा ब्याज की प्रत्याशा में ₹ 16,88.77 लाख का प्रावधान लिया गया। यद्यपि, पूंजी लेखा पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम था जिसके परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 6,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

₹ 3,42.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) निष्पादन			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,52.50		
अ.	3,50.00	3,08.65	- 1.80
पु.	- 1,93.85		

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत् तथा जल शुल्क पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, विद्युत् तथा जल शुल्क पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 1,93.85 लाख का अभ्यर्पण हुआ, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	11,87.58		
पु.	- 1,26.81	10,60.77	10,60.77

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध

मू.	77,54.45		
अ.	0.01	69,39.44	69,37.83
पु.	- 8,15.02		- 1.61

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,41.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य
003. प्रशिक्षण
(02) सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर

मू.	5,24.88		
पु.	- 1,07.29	4,17.59	4,17.59

₹ 1,07.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2701. मध्यम सिंचाई				
80. सामान्य				
006. गुण नियंत्रण				
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर				
[02] निष्पादन				
मू.	7,95.31	6,75.29	6,75.30	+ 0.01
पु.	- 1,20.02			
₹ 1,20.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।				
80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(01) उपनिवेशन योजनाएँ-प्रतिबद्ध				
मू.	22,11.86	17,08.12	17,07.90	- 0.22
पु.	- 5,03.74			
₹ 5,03.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 24 पदों के रिक्त रहने, (ii) परामर्श सेवा के लिए वॉटर एण्ड पॉवर कंसलटेंट्स सी सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) को कम भुगतान करने तथा (iii) संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।।				
2702. लघु सिंचाई				
01. सतही जल				
800. अन्य व्यय				
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य				
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध				
मू.	60,38.08	53,49.27	53,46.33	- 2.94
पु.	- 6,88.81			
₹ 6,88.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।				
01. सतही जल				
800. अन्य व्यय				
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम				
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से				
मू.	9,32.57	4,93.93	4,92.03	- 1.90
पु.	- 4,38.64			
₹ 4,38.64 लाख की प्रत्याशित बचत (i) प्रदर्शन सुधार योजना 2017-18 के अन्तर्गत लाइन विभागों के क्रियाकलापों में कटौती के कारण वृत्तिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय तथा (ii) समय में कमी की वजह से लाइन विभागों द्वारा व्यय न कर पाने के कारण विभाग द्वारा विशेष सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी।				

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(03) रखरखाव और मरम्मत (हरियाणा भाग)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय (हरियाणा सरकार को दी जाने वाली हिस्सा राशि)-प्रतिबद्ध			
मू.	50.00		
		4,48.75	
पु.	3,98.75	4,48.75	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,98.75 लाख की अतिरिक्त निधियां सिद्धमुख नोहर फीडर के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार को हिस्सा राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

35. धौलपुर लिफ्ट
800. अन्य व्यय
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

अ.	0.01			
		2,00.00	2,16.30	+ 16.30
पु.	1,99.99			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 16.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2701. मध्यम सिंचाई
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/
आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	20,50.11			
		21,99.01	22,06.35	+ 7.34
पु.	1,48.90			

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,48.90 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	15,71.68	15,71.68	17,31.79	+ 1,60.11
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 1,60.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य हेतु जिला परिषदों को जिला स्तर की पंचायतों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,80.00		
अ.	27.64	9,80.00	9,80.00
पु.	2,72.36		..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,72.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कटौती अनावश्यक/अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध			
मू.	76,31.19	..	74,45.47 + 74,45.47
पु.	- 76,31.19		

31 मार्च 2018 को ₹ 76,31.19 लाख का समस्त प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा कार्यों का निष्पादन न करने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 46,21.92 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30,09.27 लाख) किया गया । यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के ₹ 74,45.47 लाख का व्यय हुआ । प्रत्याशित बचत तथा बिना प्रावधान के व्यय के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इंदिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	11,05.00	1,13.48	5,21.21 + 4,07.73
पु.	- 9,91.52		

31 मार्च 2018 को ₹ 9,91.52 लाख का प्रावधान पंजाब सरकार से राजस्थान फीडर डिविजन, फिरोजपुर में लगे हुए कर्मियों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय ₹ 4,07.73 लाख से अधिक हुआ, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,40,67.42		
अ.	3,52.21	2,40,67.42	2,49,55.06
पु.	- 3,52.21		+ 8,87.64

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,52.21 लाख का प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन की प्रत्याशा में लिया गया लेकिन 31 मार्च 2018 को यह अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था। ₹ 3,52.21 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 8,87.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] मद 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,95.49		
पु.	- 3,47.54	4,47.95	10,64.12
			+ 6,16.17

31 मार्च 2018 को ₹ 3,47.54 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 6,16.17 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

6. उच्चत लेन-देन: "उच्चत" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (4) में स्पष्ट की गयी है।

2017-18 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उच्चत" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उच्चत" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
राजस्व *				
स्टॉक	(+ 5,01.35	1,11.35	1,13.24	(+ 4,99.46
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,85.61	1,02.10	87.29	(+ 3,00.42
योग	(+ 7,86.96	2,13.45	2,00.53	(+ 7,99.88

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उच्चत लेन-देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	27,56.68		
		18,82.77	18,82.68
पु.	- 8,73.91		- 0.09
31 मार्च 2018 को ₹ 8,73.91 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	34,21.45		
		14,33.47	14,32.57
पु.	- 19,87.98		- 0.90
31 मार्च 2018 को ₹ 19,87.98 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	49,58.73		
		40,57.24	40,37.35
पु.	- 9,01.49		- 19.89
₹ 9,01.49 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 19.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत)			
[02] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट			
मू.	30,16.01		
		25,01.00	25,01.00
पु.	- 5,15.01		..
₹ 5,15.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत)			
[03] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट			
मू.	25,22.00		
पु.	- 3,07.63	22,14.37	22,14.37
₹ 3,07.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत)			
[06] वीर तेजाजी लिफ्ट			
मू.	1,83.62		
पु.	- 1,83.62
31 मार्च 2018 को ₹ 1,83.62 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	24,70.33		
पु.	- 7,90.86	16,79.47	16,79.47
31 मार्च 2018 को ₹ 7,90.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फीडर, पंजाब हिस्से में नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के निष्पादन न किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्माण कार्य			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	17,01.46		
पु.	- 4,21.04	12,80.42	12,79.85
			- 0.57
₹ 4,21.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गई।			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) रतनपुरा वितरिका			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,00.00		
पु.	- 1,00.01	99.99	99.99
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,00.01 लाख का प्रावधान वित्तीय सीमा के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,73,51.09		
पु.	- 2,14,29.63	3,59,21.46	3,57,59.66
			- 1,61.80
31 मार्च 2018 को ₹ 2,14,29.63 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
₹ 1,61.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,35,99.38		
पु.	- 1,11,49.38	24,50.00	26,91.64
			+ 2,41.64
₹ 1,11,49.38 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी।			
₹ 2,41.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते)			
मू.	38,48.13		
पु.	- 24,15.08	14,33.05	14,25.45
			- 7.60
31 मार्च 2018 को ₹ 24,15.08 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 7.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	4,52.06		
पु.	- 1,64.00	2,88.06	2,60.97
			- 27.09
31 मार्च 2018 को ₹ 1,64.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 27.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,62.44		
पु.	- 4,92.44	6,70.00	7,41.10
			+ 71.10
31 मार्च 2018 को ₹ 4,92.44 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 71.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	50,00.00		
पु.	- 49,93.68	6.32	6.94
			+ 0.62
₹ 49,93.68 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निष्पादन			
मू.	1,51.55		
अ.	0.02	37.83	35.66
पु.	- 1,13.74		
			- 2.17
₹ 1,13.74 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	63,84.86		
पु.	- 3,36.62	60,48.24	51,83.07
			- 8,65.17
31 मार्च 2018 को ₹ 3,36.62 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 8,65.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	20,66.45		
पु.	- 16,71.54	3,94.91	3,94.91
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 16,71.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,13.55		
पु.	- 2,30.04	83.51	78.60
			- 4.91
31 मार्च 2018 को ₹ 2,30.04 लाख का प्रावधान कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 4.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	51,73.76		
पु.	- 7,98.72	43,75.04	43,64.13
			- 10.91
31 मार्च 2018 को ₹ 7,98.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 10.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भांखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भांखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण			
मू.	8,83.10		
पु.	8,01.85		
	16,84.95	17,37.03	+ 52.08

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,01.85 लाख की अतिरिक्त निधियां भांखरा सिंचाई प्रणाली के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 52.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[16] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			

 मू.

15.96

1,86.16

1,86.16

..

 पु.

1,70.20

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.20 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[07] मुख्य शीर्ष 2700 बाईं नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			

 मू.

8.52

1,27.96

1,27.96

..

 पु.

1,19.44

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	23,31.59		
		35,96.93	35,94.00
			- 2.93
पु.	12,65.34		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,65.34 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक)
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग
के माध्यम से)
- [01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण

मू.	4,74.98		
		39,71.72	37,51.18
			- 2,20.54
पु.	34,96.74		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,96.74 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,20.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक)
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग
के माध्यम से)
- [02] सेम निवारण कार्य

मू.	50.00		
		16,32.30	16,32.30
			..
पु.	15,82.30		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,82.30 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सेम मुक्त गाँव बनाने के क्रम में सेम जल की निकासी के लिए पम्प हाउस का निर्माण करवाने तथा पाइप लाइन बिछवाने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) मुख्य नहर (कि.मी. 74 से कि.मी. 189 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	41.00		
पु.	2,98.76	3,39.76	3,34.91
			- 4.85
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,98.76 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत)			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	32,88.00		
पु.	6,99.82	39,87.82	39,87.82
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,99.82 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं को लागू करने तथा चालू योजनाओं के विस्तार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निष्पादन			
मू.	34.00		
पु.	1,40.76	1,74.76	1,74.76
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.76 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू.	5,60.21		
पु.	1,15.19	6,75.40	6,75.41
			+ 0.01
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,15.19 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	10,38.32		
पु.	1,19,34.25	1,29,72.57	1,29,62.11
			- 10.46
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19,34.25 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 10.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	0.01		
पु.	4,99.99	5,00.00	5,00.00
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) निर्माण कार्य			
मू.	61.49		
पु.	7,52.27	8,13.76	9,61.06
			+ 1,47.30
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,52.27 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,47.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू.	32.98		
पु.	9,35.90	9,68.88	9,62.23
			- 6.65
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,35.90 लाख की अतिरिक्त निधियां गंग नहर परियोजना के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 6.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	5,44.00	6,12.01	6,72.37
पु.	68.01		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 60.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर सी-स्ट्रेक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	10,22.84	41,24.17	42,06.94
पु.	31,01.33		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,01.33 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 82.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	13,94.10	25,32.50	25,32.29
पु.	11,38.40		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,38.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	2,11.53		
पु.	19.93		
		2,31.46	5,04.02 + 2,72.56
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 2,72.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	16,82.16		
पु.	22,99.81		
		39,81.97	37,85.13 - 1,96.84
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,99.81 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,96.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,55.24		
पु.	1,55.18		
		4,10.42	7,53.38 + 3,42.96
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,55.18 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 3,42.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	4,77.19		
पु.	1,19.24		
		5,96.43	10,31.63 + 4,35.20
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19.24 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 4,35.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,80.92	14,78.22	14,55.06
पु.	2,97.30		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,97.30 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			- 23.16
₹ 23.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	20,66.45	27,51.61	27,26.13
पु.	6,85.16		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,85.16 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			- 25.48
₹ 25.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
101. सतही जल			
(08) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे.आई.सी.ए.)			
[02] निष्पादन मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण) के माध्यम से			
मू.	0.01	1,33.02	1,28.37
पु.	1,33.01		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,33.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			- 4.65
₹ 4.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
..		2,19.87	+ 2,19.87
₹ 2,19.87 लाख का व्यय कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण हुआ। यद्यपि, विभाग द्वारा ऐसे समायोजन का प्रावधान नहीं किया गया था जिसके परिणामतः बिना प्रावधान के व्यय दर्शाया गया जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(09) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपियन कमीशन) (मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15.01		
		10,16.26	10,06.61
पु.	10,01.25		- 9.65

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,01.25 लाख की अतिरिक्त निधियां यूरोपियन संघ-राज्य भागीदारी कार्यक्रम (ई.यू.एस.पी.पी.) से बकाया अनुदान की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए पंचायती राज विभाग को जारी की गयी।

₹ 9.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू.	31,15.99		
		53,68.51	58,91.34
पु.	22,52.52		+ 5,22.83

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,52.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5,22.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन/कटौती अनावश्यक/अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701- में स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू.	37,93.90		
		51,13.51	..
पु.	13,19.61		- 51,13.51

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,19.61 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी जो कि शीर्ष के अन्तर्गत व्यय न होने को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 51,13.51 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोगी रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	9,52.50		
		8,98.81	9,87.46
			+ 88.65
पु.	- 53.69		

31 मार्च 2018 को ₹ 53.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 88.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
101. सतही जल
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय

मू.	1,79.18			
		1,35.11	2,89.61	+ 1,54.50
पु.	- 44.07			

31 मार्च 2018 को ₹ 44.07 लाख का प्रावधान कार्यों पर कम आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था परिणामतः व्यय ₹ 1,54.50 लाख से अधिक हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

101. सतही जल
(07) जल संग्रहण संरचना
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय

मू.	3,13.55			
		2,61.74	5,42.60	+ 2,80.86
पु.	- 51.81			

31 मार्च 2018 को ₹ 51.81 लाख का प्रावधान कार्यों पर कम आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था परिणामतः व्यय ₹ 2,80.86 लाख से अधिक हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

101. सतही जल
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय

मू.	7,85.04			
		4,20.75	8,68.63	+ 4,47.88
पु.	- 3,64.29			

31 मार्च 2018 को ₹ 3,64.29 लाख का प्रावधान कार्यों पर कम आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था परिणामतः व्यय ₹ 4,47.88 लाख से अधिक हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

6. **उचन्त लेन-देन** : 2017-18 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
	(₹ लाख में)			
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 41,96.10	7,23.14	11,40.61	(-) 46,13.57
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 27,92.82	9,59.19	9,31.83	(-) 27,65.46
योग	(-) 69,88.92	16,82.33	20,72.44	(-) 73,79.03

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
पूँजी - 5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय और
7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	71,86,15	98,78,61	97,60,28	- 1,18,33
अनुपूरक	26,92,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,18,32
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	50,97,50	50,97,50	20,25,69	- 30,71,81
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				30,71,81

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,18.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 26,92.46 लाख का प्रावधान मुख्यतः पर्यटक सूचना तथा प्रचार हेतु विपणन अभियान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के दौरान क्रमशः ₹ 3,20.14 लाख, ₹ 12,87.14 लाख, ₹ 13,86.83 लाख, ₹ 28,04.47 लाख तथा ₹ 30,71.81 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 6.38 प्रतिशत से 60.26 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के अनुमानों से कम निष्पादन के कारण बतायी गयी।

अनुदान संख्या 047-(समाप्त)

2 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	38,54.02	16,88.35	..
पु.	- 21,65.67	16,88.35	..

₹ 38,54.02 लाख का प्रावधान 24 नवीन कार्यों तथा बचनबद्ध दायित्वों के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 21,65.67 लाख का प्रावधान (i) रैन बसेरा झालावाड़, सुजानगंगा भरतपुर, वनविहार-धौलपुर एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों/राजमार्गों पर साईनेजेज लगाने के कार्य प्रारम्भ नहीं होने, (ii) मत्स्य सर्किट एवं गोडवाड का समग्र विकास कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर वे साईट फैसिलिटी का निर्माण, गागरोन फोर्ट-झालावाड़, डींग फोर्ट भरतपुर आदि पर स्वीकृत राशि से कम राशि में कार्य पूर्ण होने के कारण तथा (iii) करौली स्थित तिमनगढ़, गढमौरा एवं श्री महावीर जी के नये विकास कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास

मू.	12,43.43	3,37.34	..
पु.	- 9,06.09	3,37.34	..

31 मार्च 2018 को ₹ 9,06.09 लाख का प्रावधान (i) भण्डदेवरा मंदिर-बांरा, खारिया सोडा-सोजत (पाली) एवं झरमोड़ी महादेव मंदिर झालावाड के कार्य प्रारंभ नहीं होने, (ii) चश्मा-ए-नूर-तारागढ़ (अजमेर) का कार्य निरस्त हो जाने, (iii) हनुमान मंदिर-करौली, जयपुर में प्राचीन टकसाल की गुम्बद का जीर्णोद्धार, सिलौरा अजमेर, सिर्गी सरोवर-डीडवाना (नागौर) के विकास कार्यों के टेन्डर में विलम्ब होने, (iv) भीमलत-बूंदी, बाडा पांचना पुल करौली के निर्माण कार्यों पर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा व्यय नहीं करने तथा (v) सांभर, जयपुर के समग्र विकास के कार्य की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 048 – विद्युत् (समस्त दत्तमत)

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी – 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	1,81,01,05,78	1,96,17,34,47	1,96,08,50,79	- 8,83,68
अनुपूरक	15,16,28,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,83,68
पूंजी				
मूल	28,63,55,84	29,24,81,11	26,98,72,92	- 2,26,08,19
अनुपूरक	61,25,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,26,08,19

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 8,83.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 15,16,28.69 लाख का प्रावधान विद्युत् कम्पनियों को विद्युत् कर तथा विद्युत् प्रभारों में वृद्धि न किये जाने की एवज में सहाय्य जारी करने हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।

पूंजी

दत्तमत

- फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 61,25.27 लाख का प्रावधान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम को कर्ज हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त निधि की प्रत्याशा में लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि कि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
80. सामान्य				
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन				
मू.	2,54,10.00	1,62,95.15	1,62,95.15	..
पु.	- 91,14.85			

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

31 मार्च 2018 को ₹ 91,14.85 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 82,60.59 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,54.26 लाख) किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,60,60.00		
पु.	- 23,09.45	1,37,50.55	1,37,50.55
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	76,04.91		
पु.	- 9,41.66	66,63.25	66,63.25
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	74,02.95		
पु.	- 18,76.55	55,26.40	55,26.40
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	50,67.13		
पु.	- 5,57.13	45,10.00	45,10.00
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 56,84.79 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामतः विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश हुआ।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	94,05.75		
अ.	61,25.27	1,39,15.11	1,39,15.11
पु.	- 16,15.91		

अनुदान संख्या 048-(समाप्त)

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा ₹ 61,25.27 लाख का प्रावधान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम को कर्ज के लिए एशियन विकास बैंक से प्राप्त निधि की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष में प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। जबकि एशियन विकास बैंक से कम ऋण प्राप्त होने के परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 16,15.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के. एफ. डब्ल्यू.)			
मू.	1,14,04.96	52,12.46	52,12.46
पु.	- 61,92.50		..

31 मार्च 2018 को ₹ 61,92.50 लाख का प्रावधान के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	19,29			
अनुपूरक	38	19,67	11,00	- 8,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,23

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	17,40,30,21	34,79,79,52	26,93,50,87	- 7,86,28,65
अनुपूरक	17,39,49,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				7,86,28,12
पूंजी				
मूल	87,88,00	87,88,00	87,88,00	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 7,86,28.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 17,39,49.31 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो अत्यधिक था।
- वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 57,43.06 लाख, ₹ 12,21,59.91 लाख, ₹ 7,39,00.96 लाख, ₹ 10,06,53.65 लाख तथा ₹ 7,86,28.65 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 14.97 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2505. ग्राम रोजगार				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण				
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)				
मू.	5,03,41.20	15,60,42.15	15,60,42.15	..
अ.	17,39,49.31			
पु.	- 6,82,48.36			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 17,39,49.31 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2018 को ₹ 6,82,48.36 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भारत सरकार से द्वितीय किशत प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 050 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	12,36,65.49	11,33,02.18	11,33,02.18
पु.	- 1,03,63.31		..

₹ 12,36,65.49 लाख का प्रावधान प्रत्येक गृहस्थ को रोजगार की मांग पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान टिकाऊ तथा स्थायी सम्पत्ति के सृजन के साथ ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को ₹ 1,03,63.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,
 2041. वाहन कर,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2217. शहरी विकास,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2403. पशु-पालन,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
 2425. सहकारिता,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3055. सड़क परिवहन,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	90,04,40,02	1,03,83,89,09	95,17,25,30	- 8,66,63,79
अनुपूरक	13,79,49,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,62,13,60
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	55,37,09,83	55,37,09,99	38,72,12,11	- 16,64,97,88
अनुपूरक	16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				16,01,84,03

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 8,66,63.79 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 13,79,49.07 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,79,48.95 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 8,66,63.79 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,50.19 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,62,25.90 लाख, ₹ 16,54,41.49 लाख, ₹ 9,04,52.81 लाख, ₹ 12,45,04.60 लाख तथा ₹ 8,66,63.79 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.35 प्रतिशत से 26.84 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
[01] अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु			
मू.	18,00.00		
पु.	- 5,46.02	12,53.98	12,53.91
			- 0.07

31 मार्च 2018 को ₹ 5,46.02 लाख का प्रावधान लाभार्थियों द्वारा योग्यता की निर्धारित शर्तों को पूरा न किये जाने जैसे, बैंक खाता, आधार अद्यतन आदि की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति के कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
111. सर्व शिक्षा अभियान
- (02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(शिक्षा गारन्टी स्कीम)

मू.	7,79,85.09			
अ.	9,17,99.93	9,52,53.69	9,52,47.27	- 6.42
पु.	- 7,45,31.33			

फरवरी, 2018 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,17,99.93 लाख का प्रावधान *सर्व शिक्षा अभियान* के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 7,45,31.33 लाख की प्रत्याशित बचत (i) जनवरी, 2018 से ग्राम पंचायत पर स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसीपल/प्रिंसीपल मय पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षकों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान जारी करने से सम्बन्धित नयी प्रणाली के क्रियान्वयन में परेशानी, (ii) 2012 में चयनित शिक्षकों को बकाया का भुगतान न करने तथा (iii) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान न होने को आरोपित की गई।

₹ 6.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,64,73.95		
पु.	- 29,82.92	1,34,91.03	1,34,91.03
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 29,82.92 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	71,00.00		
पु.	- 33,91.18	37,08.82	37,08.82
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 33,91.18 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	10,00.00		
पु.	- 5,11.53	4,88.47	4,88.47
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 5,11.53 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[02] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	6,01.93		
पु.	- 3,36.78	2,65.15	2,65.15
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,36.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) अनुसूचित जाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	14,56.00		
		7,41.35	
पु.	- 7,14.65		7,41.35
			..
₹ 7,14.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	6,83.76		
		2,67.07	
पु.	- 4,16.69		2,67.07
			..
₹ 4,16.69 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	4,69.45		
		1,84.72	
पु.	- 2,84.73		1,84.72
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,84.73 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	20,05.04		
		12,95.43	
पु.	- 7,09.61		12,95.42
			- 0.01
₹ 7,09.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा VII वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	7,05.03		
		5,24.59	
पु.	- 1,80.44		..

31 मार्च 2018 को ₹ 1,80.44 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा VII वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	25,24.04		
		19,51.40	
पु.	- 5,72.64		- 1.12

₹ 5,72.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा VII वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पी.पी. पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू.	6,50.01		
		3,06.07	
पु.	- 3,43.94		- 0.94

₹ 6,50.01 लाख का प्रावधान 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन पी.पी.पी. मोड जिसके लिये उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के अनुपात में भुगतान किया जाना है, हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान 53 स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये गये तथा उनके द्वारा कम सेवाएं उपलब्ध कराई गईं जिसके परिणामतः 31 मार्च 2018 को ₹ 3,43.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	18,53.91		
		15,03.91	
पु.	- 3,50.00		..

31 मार्च 2018 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	21,13.53	18,91.31	18,91.30
पु.	- 2,22.22		
₹ 2,22.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा VII वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।			- 0.01
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	21,11.45	19,02.60	19,02.27
पु.	- 2,08.85		
31 मार्च 2018 को ₹ 2,08.85 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा VII वेतन आयोग में वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.33
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	15,96.40	12,34.60	12,37.60
पु.	- 3,61.80		
₹ 3,61.80 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्तिकर्ता एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 108 एम्बुलेंस की सेवाएँ कम प्रदान करने को आरोपित की गयी।			+ 3.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	16,13.30
पु.	- 16,13.30		
31 मार्च 2018 को ₹ 16,13.30 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[07] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	1,78.30
पु.	- 1,78.30
31 मार्च 2018 को ₹ 1,78.30 लाख का समस्त प्रावधान अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से निधियों की मांग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	44,20.04	40,28.68	40,28.68
पु.	- 3,91.36
31 मार्च 2018 को ₹ 3,91.36 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदानों में कटौति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	2,67.45
पु.	- 2,67.45
31 मार्च 2018 को ₹ 2,67.45 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण जोधपुर नगर निगम से निधियों की मांग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया तथा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2,85.28 लाख में से ₹ 1,96.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	18,00.00	5,53.36	5,53.36
पु.	- 12,46.64
31 मार्च 2018 को ₹ 12,46.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,11,41.92	1,01,55.09	1,01,55.09
पु.	- 9,86.83		..
31 मार्च 2018 को ₹ 9,86.83 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को निष्पादन अनुदान में कटौति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	5,90.60	1,79.00	1,79.00
पु.	- 4,11.60		..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,11.60 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा न किये जाने के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को निष्पादन अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)(10:10:80)			
[02] विकास कार्य			
मू.	13,36.65
पु.	- 13,36.65		..
31 मार्च 2018 को ₹ 13,36.65 लाख का समस्त प्रावधान इस योजना के तहत निष्पादित कार्यों को अमृत योजना में शामिल करने के कारण से भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	27,00.00	1,73.08	1,73.08
पु.	- 25,26.92		..
31 मार्च 2018 को ₹ 25,26.92 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) आवासीय विद्यालयों का संचालन-प्रतिबद्ध			
मू.	33,08.40		
पु.	- 6,58.16	26,50.24	26,50.23
			- 0.01

₹ 6,58.16 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः 14 आवासीय विद्यालयों में 379 स्वीकृत पदों में से 204 पदों के रिक्त रहने तथा आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(12) संबल ग्रामों का विकास हेतु अनुदान

मू.	50,00.00			
पु.	- 50,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्व में जारी निधियों के लिए जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप संबल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(21) छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना
[01] छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना

मू.	2,00.00			
पु.	- 2,00.00

31 मार्च 2018 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान छात्रावासों में रहने वाली कक्षा छः से बारह की छात्राओं हेतु साईकिलों की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(09) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास
निगम को सहायता

मू.	10,00.00			
पु.	- 2,50.00	7,50.00	7,50.00	..

31 मार्च 2018 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान पूर्व में जारी की गयी समस्त निधियों का उपयोग न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	4,50.00		
पु.	- 1,51.27	2,98.73	2,98.73
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 1,51.27 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ते हेतु लाभार्थियों के कम संख्या में होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	40,99.13		
पु.	- 10,99.13	30,00.00	30,00.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,99.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	3,50.00		
पु.	- 3,50.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी समस्त अनुमानित प्रावधान निरन्तर अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	4,10.50		
पु.	- 2,34.17	1,76.33	1,76.33
			..
₹ 4,10.50 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 2,34.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	6,30.00	4,52.42	4,52.42
पु.	- 1,77.58		
₹ 6,30.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, मोटे अनाजों का प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 1,77.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	8,14.93	98.95	98.95
पु.	- 7,15.98		
31 मार्च 2018 को ₹ 7,15.98 लाख का प्रावधान ऑनलाइन आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	7,93.43	3,16.18	3,16.18
पु.	- 4,77.25		
₹ 7,93.43 लाख का प्रावधान मुख्य परियोजना राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन हेतु अनुमानित था। योजना के अन्तर्गत क्लस्टर दृष्टिकोण तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली (पी.जी.एस.) प्रमाणीकरण द्वारा जैविक खेती के गाँवों का चयन कर जैविक खेती प्रोन्नत की जाती है।			
31 मार्च 2018 को ₹ 4,77.25 लाख का प्रावधान विभिन्न घटकों/गतिविधियों जैसे कि अवशेष जैविक उत्पाद के नमूनों का संग्रहण एवं जांच, कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण, तरल बायो पेस्टीसाइड का उपयोग, पैकिंग मैटेरियल विद पी.जी.एस. लोगो एवं होलोग्राम प्रिंटिंग की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	13,37.25	7,13.20	7,13.20
पु.	- 6,24.05		
31 मार्च 2018 को ₹ 6,24.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[28] राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	57,10.06	12,17.19	12,17.19
पु.	- 44,92.87		..

31 मार्च 2018 को ₹ 44,92.87 लाख का प्रावधान (i) कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, सोलर पम्प, ग्रीन हाउस, मशीनी एवं उपकरण, तरल उर्वरक, बीज, मल्ट्र हेतु पॉलीथीट के प्रोक्योरमेन्ट में देरी के कारण कम व्यय, (ii) पशुपालन विभाग से संबंधित गतिविधियों जैसे कुट्टी मशीन वितरण, पशु खाद्य हेतु बर्तन, बकरी वितरण, अजोला प्रदर्शन, क्लीन मिल्क किट इत्यादि तथा ग्रामीण हाट बाजार एवं ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं होने, (iii) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर कृषि प्रतिस्पर्धा योजना में विश्व बैंक के सुझाव अनुसार दिसम्बर, 2017 तक संशोधन किया गया जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने, (iv) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रोक्योरमेन्ट प्लान की निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (v) भू-जल विभाग की गतिविधियों के निष्पादन से तकनीकी संस्थाओं को हटाया जाना क्योंकि उन्होंने अनुबन्ध के अनुसार कार्य नहीं किया तथा विभाग द्वारा पीजोमीटर लगाने का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मू.	10,67.14	7,78.50	7,78.50	..
पु.	- 2,88.64			

31 मार्च 2018 को ₹ 2,88.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु
(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)

मू.	25,02.15	4,96.97	4,96.96	- 0.01
पु.	- 20,05.18			

₹ 25,02.15 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 20,05.18 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बूंद-बूंद संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित दर से कम होने के कारण कृषकों की योजना में रुचि कम होने से कृषकों से कम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने तथा (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों हेतु विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं होने के कारण भी व्यय कम किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[06] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना हेतु अनुदान

मू.	2,38.43	88.18	88.18	..
पु.	- 1,50.25			

₹ 2,38.43 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 1,50.25 लाख का प्रावधान (i) कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं होने के कारण भी व्यय कम किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	11,76.25		
पु.	- 9,08.43	2,67.82	2,67.82
			..
₹ 11,76.25 लाख का प्रावधान <i>सोलर एनर्जी आधारित पम्प प्रोजेक्ट</i> के अन्तर्गत किसानों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 9,08.43 लाख का प्रावधान सौर ऊर्जा पम्प सेट की खरीद के लिए निविदा पर कोर्ट स्टे के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने से अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	41,17.68		
पु.	- 29,33.90	11,83.78	11,83.78
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 29,33.90 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	9,70.02		
पु.	- 4,38.02	5,32.00	5,32.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,38.02 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	23,39.85		
पु.	- 16,79.01	6,60.84	6,60.83
			- 0.01
31 मार्च 2018 को ₹ 16,79.01 लाख का प्रावधान <i>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	35,44.01	11,52.50	11,52.50
पु.	- 23,91.51		..
31 मार्च 2018 को ₹ 23,91.51 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	17,44.89	15,01.32	15,01.32
पु.	- 2,43.57		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,43.57 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	29,41.80	22,32.00	22,32.00
पु.	- 7,09.80		..
31 मार्च 2018 को ₹ 7,09.80 लाख का प्रावधान अपेक्स बैंक से सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान हेतु सम्पूर्ण दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	63,49.00	24,89.00	24,89.00
पु.	- 38,60.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 38,60.00 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों के अच्छे लेनदारों को ब्याज अनुदान हेतु दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सहायता			
मू.	2,00.02
पु.	- 2,00.02		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,00.02 लाख का समस्त प्रावधान क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों की आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
जलग्रहण घटक			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	96,16.33		
पु.	- 30,31.40	65,84.93	65,84.93
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 30,31.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	4,38,90.00		
पु.	- 20,53.26	4,18,36.74	4,18,36.74
			..
₹ 4,38,90.00 लाख का प्रावधान एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मांग के अनुसार, साथ ही ठोस एवं टिकाऊ सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2018 को ₹ 20,53.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	2,70.00		
पु.	- 2,06.52	63.48	63.48
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,06.52 लाख का प्रावधान विशिष्ट एवं वृत्तिक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	7,00.00		
पु.	- 3,58.00	3,42.00	3,42.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,58.00 लाख का प्रावधान इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	4,28.94
पु.	- 4,28.94
31 मार्च 2018 को ₹ 4,28.94 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	60,00.00	40,00.00	40,00.00
पु.	- 20,00.00
31 मार्च 2018 ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की कम प्राप्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन			
मू.	4,21.88
पु.	- 4,21.88
31 मार्च 2018 ₹ 4,21.88 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	61,04.05	35,96.20	35,96.20
पु.	- 25,07.85
31 मार्च 2018 ₹ 25,07.85 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत अंत्योदय परिवारों के अतिरिक्त परिवारों को खाद्यान्न के संग्रहण, परिवहन और वितरण पर कम व्यय होने तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	15,01.00	23,80.00	23,80.00
पु.	8,79.00		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	11,50.00	15,50.00	15,50.00
पु.	4,00.00		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,79.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों का भुगतान करने तथा ब्याज अनुदान के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	20,60.53	24,84.61	24,84.61
पु.	4,24.08		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,24.08 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्तियां/पदोन्नति तथा मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साईकिल का वितरण			
मू.	15,35.55	23,29.45	23,29.45
पु.	7,93.90		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,93.90 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं तकनीकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटाप वितरण			
मू.	10,50.00	13,43.30	13,43.30
पु.	2,93.30		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,93.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[02] संस्कृत विद्यालय			
मू.	9,51.74	11,45.40	11,45.42
पु.	1,93.66		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,93.66 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्तियां/पदोन्नति तथा मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	11,00.00	25,00.00	25,00.00
पु.	14,00.00		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना हेतु स्वीकृति के अनुसार भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	24,71.00	32,93.15	32,93.15
पु.	8,22.15		

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,22.15 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्तियां/पदोन्नति तथा मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान			
मू.	52,20.02		
		1,02,19.99	
पु.	49,99.97		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	80,00.04		
		1,39,69.19	
पु.	59,69.15		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,69.15 लाख की अतिरिक्त निधियां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत न्यू इण्डिया एन्शोरेन्स कम्पनी द्वारा बीमा किश्त की दर ₹ 370 प्रति परिवार से बढ़ाकर ₹ 1,263 प्रति परिवार करने के कारण राज्य निधि से अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	2,65,21.48		
		3,66,71.75	
पु.	1,01,50.27		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01,50.27 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार मैचिंग राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराया गया।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	2,13.20		
		6,32.69	
पु.	4,19.49		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,19.49 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को बसों के संचालन में हुई हानि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	7,93.50		
		13,18.20	13,18.20
पु.	5,24.70		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,24.70 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	16,11.05		
		31,05.18	31,05.18
पु.	14,94.13		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,94.13 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	11,00.00		
		25,62.62	25,62.62
पु.	14,62.62		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,62.62 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत लंबित मामलों में तत्काल राहत हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	45,00.00		
		50,00.00	50,00.00
पु.	5,00.00		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थी बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(24) अम्बेडकर पीठ के लिए अनुदान			
[02] अम्बेडकर पीठ में योजनाओं के लिए व्यय			
मू.	47.78	2,33.70	2,33.70
पु.	1,85.92		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,85.92 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	11,13.14	13,02.75	12,95.80
पु.	1,89.61		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,89.61 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की दरों में जुलाई, 2017 से वृद्धि होने तथा अनुसूचित जातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 6.95 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा पेंशन की अवितरित राशि राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रही।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	90,00.00	1,17,07.28	1,16,55.95
पु.	27,07.28		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,07.28 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन की दरों में जुलाई, 2017 से वृद्धि होने तथा अनुसूचित जातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 51.33 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा पेंशन की अवितरित राशि राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रही।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	42,00.00	58,86.98	58,61.90
पु.	16,86.98		

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,86.98 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की दरों में जुलाई, 2017 से वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 25.08 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा पेंशन की अवितरित राशि राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रही।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना			
[01] अनुसूचित जाति के वरिष्ठ व्यक्तियों हेतु तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	2,00.00		
पु.	1,99.49	3,99.49	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.49 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	27,13.25		
पु.	4,74.60	31,87.85	..

₹ 27,13.25 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, बायोफर्टिलाइजर वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,74.60 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	6,83.68		
पु.	4,88.77	11,72.45	..

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,88.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	5,94.00		
पु.	2,02.79	7,96.79	+ 0.01

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,02.79 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[04] फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रांश)			
मू.	1,19,00.02		
पु.	17,67.16		
	1,36,67.18	1,36,67.09	- 0.09
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,67.16 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[10] ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	1,36.00		
पु.	1,51.57		
	2,87.57	2,87.57	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51.57 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कृषकों के लिए ग्रीन हाउस और शेडनेट की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2403. पशु पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[12] जोखिम प्रबन्धन-पशुधन एवं पशुपालक बीमा हेतु सहायता			
मू.	1,70.00		
पु.	3,51.00		
	5,21.00	5,21.00	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,51.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	18,70.00		
पु.	9,26.28		
	27,96.28	27,96.28	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,26.28 लाख की अतिरिक्त निधियां गौ शालाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण गौ शालाओं को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.01		
पु.	2,53.72	2,53.73	2,53.73
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,53.72 लाख की अतिरिक्त निधियां माइक्रो स्टोरेज टैंकों के जलग्रहण उपचार हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	25,50.00		
पु.	15,10.00	40,60.00	40,60.00
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,10.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	13,73.00		
पु.	14,23.08	27,96.08	27,96.08
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,23.08 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018) ।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	2,27,73.40		
अ.	4,61,48.82	7,13,11.95	7,13,11.95
पु.	23,89.73		
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,89.73 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,17,51.10		
पु.	76,12.85	2,93,63.95	2,93,63.95
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76,12.85 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,56.60		
पु.	4,46.30	8,02.90	8,02.90
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,46.30 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बसों के संचालन में हुई हानि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	17,50.81		
पु.	1,82.75	19,33.56	19,33.56
			..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,82.75 लाख की अतिरिक्त निधियां पर्यटक सूचना तथा प्रचार के लिए आक्रामक प्रचार अभियान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	3,85.25		
पु.	1,68.41	5,53.66	5,47.86
			- 5.80
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,68.41 लाख की अतिरिक्त निधियां दीन दयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 5.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 16,64,97.88 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 63,13.85 लाख अनुभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,75,07.63 लाख, ₹ 4,97,46.10 लाख, ₹ 9,41,34.85 लाख, ₹ 5,76,10.24 लाख तथा ₹ 16,64,97.88 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होना था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,99.58		
पु.	- 2,51.10	48.48	60.63
			+ 12.15

31 मार्च 2018 को ₹ 2,51.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 12.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)

[02] जेल भवन का निर्माण

मू.	8,50.00			
पु.	- 8,32.33	17.67	17.14	- 0.53

31 मार्च 2018 को ₹ 8,32.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)

[02] अन्य भवन

मू.	4,97.31			
पु.	- 2,52.10	2,45.21	2,45.21	..

31 मार्च 2018 को ₹ 2,52.10 लाख का प्रावधान विभाग की मांग के अनुसार कार्यों के निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)

मू.	21,06.19			
पु.	- 15,71.91	5,34.28	5,53.76	+ 19.48

31 मार्च 2018 को ₹ 15,71.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 19.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	15,92.92		
		4,73.63	5,06.75
			+ 33.12
पु.	- 11,19.29		

31 मार्च 2018 को ₹ 11,19.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 33.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. सामान्य शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(07) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य

मू.	63,99.98			
		8,28.68	8,28.68	..
पु.	- 55,71.30			

31 मार्च 2018 को ₹ 55,71.30 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सामान्य शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(08) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य

मू.	33,64.98			
		27,95.42	27,95.42	..
पु.	- 5,69.56			

₹ 5,69.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

01. सामान्य शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(09) मॉडल स्कूल
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य

मू.	6,21.51			
	
पु.	- 6,21.51			

31 मार्च 2018 को ₹ 6,21.51 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	4,18.66	1,14.76	1,14.76
पु.	- 3,03.90		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,03.90 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण महिला छात्रावासों के निर्माण का निष्पादन न होने, (ii) 3 डी मुद्रण एवं रोबोटिक लेब के भवन निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने, (iii) पी.पी.पी. के तहत निजी महिला पॉलीटेक्नीक के निर्माण कार्यों के पुनःभरण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने, (iv) मौजूदा पॉलीटेक्नीक के क्रमोनयन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा (v) तुलनात्मक दरों के प्राप्त न होने से मशीनरी तथा उपकरण की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	8,39.44	4,20.15	4,20.15
पु.	- 4,19.29		..
31 मार्च 2018 को ₹ 4,19.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
(निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	57,49.99	8,78.39	8,78.39
पु.	- 48,71.60		..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
(निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	6,00.00	4,00.00	4,00.00
पु.	- 2,00.00		..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
(निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	21,62.00	6,96.00	6,96.00
पु.	- 14,66.00		..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	8,58.60		
पु.	- 4,45.60	4,13.00	4,13.00
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 69,83.20 लाख का प्रावधान (i) कुछ स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता, (ii) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (iii) अतिक्रमण तथा (iv) न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	24,20.59		
पु.	- 9,07.16	15,13.43	15,13.42
			- 0.01

31 मार्च 2018 को ₹ 9,07.16 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	8,50.01		
पु.	- 4,46.75	4,03.26	4,20.75
			+ 17.49

31 मार्च 2018 को ₹ 4,46.75 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुराने चल रहे निर्माण कार्यों के निष्पादन न करने, (ii) मरीजों/परिजनों, चिकित्सकों तथा छात्रों के लगातार आने-जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालयों के मरम्मत तथा संधारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 17.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	14,96.01		
पु.	- 8,47.20	6,48.81	6,48.81
			..

31 मार्च 2018 को ₹ 8,47.20 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी तथा कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	8,54.19		
पु.	- 5,08.76	3,45.43	3,45.43
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 5,08.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	19,09.98		
पु.	- 10,38.22	8,71.76	8,71.76
			..
₹ 10,38.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. छात्रों की प्रवेश क्षमता में 150 से 250 की वृद्धि करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न होने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा महाविद्यालय के द्वितीय तल के कार्यों का निष्पादन न किये जाने तथा (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवीनीकरण कार्यों का निष्पादन न करने को आरोपित की गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,02,74.33		
पु.	- 16,53.16	86,21.17	86,05.50
			- 15.67
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[03] बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	8,38.40		
पु.	- 4,14.60	4,23.80	4,23.80
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[13] नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबार्ड			
मू.	2,43.28		
पु.	- 1,76.10	67.18	67.18
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज- II			
मू.	14,16.44		
पु.	- 13,30.23	86.21	86.21
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	13,17.57		
पु.	- 6,51.70	6,65.87	6,65.87
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[25] बोरवास मंडाना जलप्रदाय परियोजना			
मू.	4,90.35		
पु.	- 2,23.67	2,66.68	2,66.68
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	24,61.82		
पु.	- 15,36.64	9,25.18	9,25.18
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[31] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	8,44.20		
पु.	- 4,37.21	4,06.99	4,06.99
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	6,75.60		
पु.	- 3,11.49	3,64.11	3,64.11

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II			
पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	7,92.29		
		2,12.09	2,12.09
पु.	- 5,80.20		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	10,90.30		
		4,71.82	4,71.82
पु.	- 6,18.48		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना - II			
मू.	21,82.71		
		5,22.13	5,22.13
पु.	- 16,60.58		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू.	43,43.27		
		23,94.43	23,94.43
पु.	- 19,48.84		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील			
के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	5,38.24		
		3,58.85	3,58.85
पु.	- 1,79.39		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	20,36.47		
पु.	- 11,42.25	8,94.22	8,94.22
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	8,08.38		
पु.	- 4,81.99	3,26.39	3,26.08
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय			
मू.	39,65.58		
पु.	- 4,53.10	35,12.48	35,12.48
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (डी डी पी) ग्रामीण			
मू.	17,49.14		
पु.	- 11,66.26	5,82.88	5,82.88
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[76] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	45,70.80		
पु.	- 11,17.52	34,53.28	34,45.04

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[80] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	1,78.30		
पु.	- 1,58.53	19.77	19.77
			..
उपरोक्त बीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,62,41.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
शीर्ष "4215-01-789(01)[01] तथा 01-789(01)[76]" के अंतर्गत ₹ 23.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	99,68.00		
पु.	- 17,14.30	82,53.70	82,53.70
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-प्रथम			
मू.	17,57.01		
पु.	- 10,21.10	7,35.91	7,35.91
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	8,88.62		
पु.	- 5,01.01	3,87.61	3,87.61
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	16,89.20		
पु.	- 3,94.76	12,94.44	12,94.44
			..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 36,31.17 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[02] चम्बल -धौलपुर-भरतपुर जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	7,07.80		
पु.	- 2,97.59	4,10.21	4,08.62
			- 1.59
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[48] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	73,42.75		
पु.	- 19,66.84	53,75.91	53,75.91
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	10,72.24		
पु.	- 4,40.59	6,31.65	6,31.65
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 27,05.02 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	90,00.00		
पु.	- 41,95.46	48,04.54	48,04.54
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[04] जवाई-पाली पाईप लाइन परियोजना			
मू.	2,67.00		
पु.	- 1,60.21	1,06.79	1,06.79
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	6,23.00		
पु.	- 4,85.55	1,37.45	1,37.45
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	27,05.60		
पु.	- 10,85.82	16,19.78	16,19.78
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू.	24,92.00		
पु.	- 4,24.26	20,67.74	20,67.74
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[16] डीग जल प्रदाय योजना			
मू.	6,45.00		
पु.	- 1,61.25	4,83.75	4,83.75
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	3,49.20		
पु.	- 3,06.76	42.44	42.44

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[28] चुरू-झुंझनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	17,35.00		
पु.	- 9,40.28	7,94.72	7,94.72
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	10,12.00		
पु.	- 5,41.25	4,70.75	4,70.75
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.)			
मू.	50,52.21		
पु.	- 38,08.17	12,44.04	9,39.53
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	5,45.00		
पु.	- 5,45.00		

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,26,54.01 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

शीर्ष "4215-01-789(02)[44]" के अंतर्गत ₹ 3,04.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	4,45.75		
		2,12.33	2,12.33
पु.	- 2,33.42		..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,33.42 लाख का प्रावधान सार्वजनिक दान दाताओं से जन सहभागी अंशदान प्राप्त न होने तथा स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	12,48.00		
		5,09.25	5,09.25
पु.	- 7,38.75		..
31 मार्च 2018 को ₹ 7,38.75 लाख का प्रावधान रेल्वे ऑवर ब्रिज के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	82,71.70		
		60,31.67	60,31.67
पु.	- 22,40.03		..
31 मार्च 2018 को ₹ 22,40.03 लाख का प्रावधान अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	12,47.60		
		2,00.23	2,00.23
पु.	- 10,47.37		..
31 मार्च 2018 को ₹ 10,47.37 लाख का प्रावधान स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,81.82		
पु.	- 2,91.25	90.57	90.57
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 2,91.25 लाख का प्रावधान भूमि की अनुपलब्धता तथा विवादित भूमि के चयन के परिणामतः कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	18,25.01		
पु.	- 7,61.86	10,63.15	10,63.15
			..
₹ 7,61.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भूमि की अनुपलब्धता तथा विवादित भूमि के चयन के परिणामतः कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) नाबार्ड सहायतान्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,90.38		
पु.	- 3,38.53	51.85	51.85
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,38.53 लाख का प्रावधान भूमि की अनुपलब्धता तथा विवादित भूमि के चयन के परिणामतः कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	12,74.00		
पु.	- 11,88.00	86.00	86.00
			..
31 मार्च 2018 को ₹ 11,88.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव			
मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	7,20.01		
पु.	- 7,20.01		
31 मार्च 2018 को ₹ 7,20.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	12,52.00	4,31.34	4,31.34
पु.	- 8,20.66		
31 मार्च 2018 को ₹ 8,20.66 लाख का प्रावधान संयंत्र और उपकरणों की खरीद कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,19.75	1,58.93	1,58.93
पु.	- 1,60.82		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,60.82 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के परिणामतः प्रतिशतता व्ययों का कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	6,63.34	5,00.00	5,00.00
पु.	- 1,63.34		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,63.34 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
[04] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	16,10.00	4,38.68	4,38.68
पु.	- 11,71.32		
31 मार्च 2018 को ₹ 11,71.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	7,13.25		
		3,33.39	
पु.	- 3,79.86		..
31 मार्च 2018 को ₹ 3,79.86 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	24,11.10		
		7,17.39	
पु.	- 16,93.71		..
31 मार्च 2018 को ₹ 16,93.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	9,58.24		
		65.75	
पु.	- 8,92.49		..
31 मार्च 2018 को ₹ 8,92.49 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	7,01.47		
		15.68	
पु.	- 6,85.79		..
31 मार्च 2018 को ₹ 6,85.79 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,48.02		
पु.	- 2,74.67	6,73.35	6,73.27
			- 0.08

31 मार्च 2018 को ₹ 2,74.67 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.

मू.	6,23.48			
पु.	- 6,23.48

31 मार्च 2018 को ₹ 6,23.48 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से
[13] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट)
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.

मू.	5,78.00			
पु.	- 3,10.80	2,67.20	2,67.20	..

₹ 3,10.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से
[01] निर्माण कार्य

मू.	11,00.11			
पु.	- 5,44.42	5,55.69	5,49.21	- 6.48

31 मार्च 2018 को ₹ 5,44.42 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 94 स्वीकृत पदों में से तकनीकी स्टाफ, सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं के 41 पदों के रिक्त रहने से निर्माण कार्य अवरुद्ध होने, (ii) कैनाल/नहर कॉलोनी हेतु जल वितरण व्यवस्था कार्य के लिए फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति न होने तथा (iii) रामगढ़ ओपन माइनर के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
31 मार्च 2018 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा पंजाब हिस्से के इंदिरा गांधी नहर फीडर में विशेष मरम्मत कार्य का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,18,55.00		
पु.	- 40,97.51	1,77,57.49	1,60,85.70 - 16,71.79
31 मार्च 2018 को ₹ 40,97.51 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 16,71.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	36,00.74		
पु.	- 27,50.76	8,49.98	9,33.81 + 83.83
₹ 27,50.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 83.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	11,09.40		
पु.	- 6,59.40	4,50.00	4,65.19 + 15.19
₹ 6,59.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 15.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[07] पुर्नर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	6,30.00		
पु.	- 5,46.27	83.73	80.54
			- 3.19
31 मार्च 2018 को ₹ 5,46.27 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	24,57.90		
पु.	- 4,72.66	19,85.24	19,84.89
			- 0.35
31 मार्च 2018 को ₹ 4,72.66 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	5,31.14		
पु.	- 1,73.94	3,57.20	3,50.48
			- 6.72
₹ 1,73.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा द्वितीय और तृतीय किशत के लेटर ऑफ क्रेडिट समय पर जारी नहीं करने के परिणामतः ठेकेदारों द्वारा कार्य रोके जाने तथा उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया का बाँयकाट करने को आरोपित की गयी।			
₹ 6.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	13,94.75		
पु.	- 4,17.05	9,77.70	9,71.01
			- 6.69
₹ 4,17.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा द्वितीय और तृतीय किशत के लेटर ऑफ क्रेडिट समय पर जारी नहीं करने के परिणामतः ठेकेदारों द्वारा कार्य रोके जाने तथा उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया का बाँयकाट करने को आरोपित की गयी।			
₹ 6.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	6,96.89	2,74.52	2,74.51
पु.	- 4,22.37		
31 मार्च 2018 को ₹ 4,22.37 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,38,60.00	88,88.90	88,88.90
पु.	- 49,71.10		
31 मार्च 2018 को ₹ 49,71.10 लाख का प्रावधान निगम द्वारा पूंजीगत व्यय कम करने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी में कम निवेश करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	87,60.00	75,00.30	75,00.30
पु.	- 12,59.70		
31 मार्च 2018 को ₹ 12,59.70 लाख का प्रावधान निगम द्वारा पूंजीगत व्यय कम करने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी में कम निवेश करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	41,48.06	36,34.50	36,34.50
पु.	- 5,13.56		
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	40,38.03	30,14.40	30,14.40
पु.	- 10,23.63		

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	27,63.91	24,60.00	24,60.00
पु.	- 3,03.91		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 18,41.10 लाख का प्रावधान जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम करने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी में कम निवेश करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूँजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	8,40,00.00	20,00.00	20,00.00
पु.	- 8,20,00.00		..
31 मार्च 2018 को ₹ 8,20,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,34,18.90 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,85,81.10 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	50,00.00	7,48.20	7,48.20
पु.	- 42,51.80		..
₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागम सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2018 को ₹ 42,51.80 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	22,94.69	15,83.43	15,83.43
पु.	- 7,11.26		..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	21,03.54		
पु.	- 18,26.48	2,77.06	2,77.06
			..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	59,28.32		
पु.	- 22,37.36	36,90.96	36,90.96
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 47,75.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,74.26		
पु.	- 4,37.72	36.54	87.08
			+ 50.54
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,77.85		
पु.	- 1,64.15	13.70	32.65
			+ 18.95
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 6,01.87 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्ययों के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 69.49 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	3,32,40.71		
पु.	- 33,20.89	2,99,19.82	2,99,03.39
			- 16.43

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	19,79.87		
पु.	- 2,52.34	17,27.53	17,27.53

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 35,73.23 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-789(05)" के अन्तर्गत ₹ 16.43 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार तथा निर्माण			
मू.	20,31.00		
पु.	- 20,13.63	17.37	17.37

31 मार्च 2018 को ₹ 20,13.63 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	10,14.49		
पु.	- 2,98.14	7,16.35	7,16.35

31 मार्च 2018 को ₹ 2,98.14 लाख का प्रावधान (i) काकूनी मंदिर-बांरा, सोनार किला-जैसलमेर से संबंधित कार्यों के शुरू न होने, (ii) रंगमा तालाब-करौली, धूधेश्वर धाम- गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), शिखर महल-करौली, अंजनी माता मंदिर, सुनहरी कोठी तथा राव अमरसिंह राठौर की छतरी पर नये विकास कार्यों से संबंधित निविदा प्रक्रिया में देरी होने, (iii) पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों की धीमी प्रगति तथा (iv) रानीजी की बावड़ी-बूंदी और बारह दरवाजे-भरतपुर के सम्पूर्ण विकास के कार्यों की स्वीकृत राशि की अपेक्षा कम दरों पर पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] स्वान वर्टिकल (स्टेट शेयर)			
मू.	2,12.64		
पु.	- 2,12.64

31 मार्च 2018 को ₹ 2,12.64 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

2015-16 तथा 2016-17 में भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] सम्पर्क केन्द्र आपरेशन			
मू.	11,88.00
पु.	- 11,88.00		
31 मार्च 2018 को ₹ 11,88.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	15,84.50	3,12.27	3,12.27
पु.	- 12,72.23		..
31 मार्च 2018 को ₹ 12,72.23 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंद्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू)			
मू.	61,09.80	27,92.39	27,92.39
पु.	- 33,17.41		..
31 मार्च 2018 को ₹ 33,17.41 लाख का प्रावधान एशियन विकास बैंक से के.एफ.डब्ल्यू ऋण कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) औषधालय तथा सहायता चौकियां			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.01	7,00.00	7,00.00
पु.	1,99.99		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां करौली में अन्तरोगी विभाग (आई.पी.डी.) के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबाई)			
मू.	25,92.63		
पु.	24,13.82	50,06.45	50,06.45
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[39] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज- II पार्ट-सी (473 गांवों की कलस्टर योजना)			
मू.	42.37		
पु.	12,40.40	12,82.77	12,82.77
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	18,01.20		
पु.	3,78.87	21,80.07	21,80.07
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[74] नर्मदा नहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	2,17.84		
पु.	3,87.55	6,05.39	6,05.39
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[77] अटरू- शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)			
मू.	44.50		
पु.	1,87.93	2,32.43	2,32.43

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट-डी			
मू.	13,56.20		
		27,69.52	..
पु.	14,13.32		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[84] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
अ.	0.01		
		2,49.20	..
पु.	2,49.19		
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,71.08 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[14] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	31.15		
		5,60.48	..
पु.	5,29.33		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	4,48.00		
		7,74.16	..
पु.	3,26.16		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[52] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	11,12.00		
पु.	1,93.77	13,05.77	13,05.77
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[53] अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (शहरी)			
मू.	44.50		
पु.	6,68.55	7,13.05	7,13.05
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,17.81 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	1,29.34		
पु.	3,47.61	4,76.95	4,76.95
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,07.41		
पु.	3,16.09	7,23.50	7,23.50

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,63.70 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	8,51.05	13,74.08	13,74.08
पु.	5,23.03		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,23.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर			
मू.	1,00.01	3,50.00	3,50.00
पु.	2,49.99		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	72,00.00	90,00.00	90,00.00
पु.	18,00.00		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एम.एल.ए. निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि की राशि एक वर्ष के लिए ₹ 2,00.00 लाख से ₹ 2,25.00 लाख की वृद्धि के कारण पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	28,52.80	36,60.23	36,60.23
पु.	8,07.43		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,07.43 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा योजना की फंडिंग प्रक्रिया में पुनरीक्षण कर 100% केन्द्रीय सहायता से केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 अनुपात में करने के परिणामतः राज्य निधि में प्रावधान किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[06] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)			
मू.	14,95.00		
		21,17.88	
पु.	6,22.88	21,17.88	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,22.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	7,12.00		
		26,51.82	
पु.	19,39.82	26,51.82	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,39.82 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] मुख्य नहर (कि.मी. 0 से 74 तक) का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	45.00		
		7,14.71	
पु.	6,69.71	7,14.58	- 0.13
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,69.71 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान सृजित दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00		
		17,19.53	
पु.	7,19.53	17,19.53	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,19.53 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9.00		
पु.	2,37.32	2,46.32	2,46.32
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,37.32 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से त्वरित कृषि लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार वर्ष के दौरान सृजित दायित्वों के भुगतान हेतु राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	5,28.75		
पु.	2,54.98	7,83.73	8,61.03 + 77.30
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	6,28.20		
पु.	5,78.46	12,06.66	13,25.66 + 1,19.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,33.44 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,96.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य-अन्य जिले			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से			
मू.	6,84.00		
पु.	5,40.00	12,24.00	13,44.72 + 1,20.72

31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,40.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,20.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितमः)			
मू.	7,88.94		
		15,52.39	15,52.39
पु.	7,63.45		..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (त्रयोविंशतितमः)			
मू.	19,00.97		
		46,21.36	46,21.36
पु.	27,20.39		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,83.84 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड से निधियों की प्राप्ति को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,79,49.00		
		1,92,29.79	1,92,29.79
पु.	12,80.79		..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,80.79 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	1,80.00		
		14,49.98	14,49.98
पु.	12,69.98		..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] ई-ऑफिस			
मू.	11,80.98		
		23,68.98	
पु.	11,88.00	23,68.98	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,57.98 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना प्रौद्योगिकी कार्य की त्वरित गति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	10,37.00		
		60,37.00	
पु.	50,00.00	60,37.00	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र तथा ए.टी.एम. सेवाओं की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	50,38.80		
		74,54.52	
पु.	24,15.72	74,54.52	..
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,15.72 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को एशियन विकास बैंक के ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] लघु सिंचाई परियोजना			
मू.	26,86.40		
		23,95.33	
पु.	- 2,91.07	26,31.14	+ 2,35.81
₹ 2,91.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 2,35.81 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,72.95	1,81.43	3,95.07
पु.	- 1,91.52		
31 मार्च 2018 को ₹ 1,91.52 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			+ 2,13.64
₹ 2,13.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	18,23.01	76,86.01	7,68.61
पु.	58,63.00		
31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 58,63.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 69,17.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			- 69,17.40
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	46,90.05	34,47.59	42,80.25
पु.	- 12,42.46		
31 मार्च 2018 को ₹ 12,42.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8,32.66 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			+ 8,32.66
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	17,58.78	12,92.85	16,02.10
पु.	- 4,65.93		
31 मार्च 2018 को ₹ 4,65.93 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 3,09.25 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।			+ 3,09.25

अनुदान संख्या 051 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	11,72.52		
पु.	- 3,10.62		
	8,61.90	10,66.62	+ 2,04.72

31 मार्च 2018 को ₹ 3,10.62 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 2,04.72 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2018)।

परि
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
009. वन	2,50,00	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	82,41,51	..
014. बिक्री कर	12,19,21	..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016. पुलिस	10,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	4,80,77,46	..
021. सड़कें एवं पुल	1,47,22,93	8,87,79,75
022. क्षेत्र का विकास	..	2,13,90
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	3,61,12,01	1,63,50,02
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,50,92,00	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,60,00,05	..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	14,30,04	2,20,79,02
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
<i>दत्तमत</i>	59,73,10	3,21,83
<i>प्रभारित</i>	10	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	12,16,00,00	..
037. कृषि	..	1
039. पशुपालन एवं चिकित्सा	82,00,00	..
043. खनिज	41,66,43	1,91,04,98
046. सिंचाई	2,29,70,77	87,21,16
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट सघटक योजना	18,73,75	2,85,01,27
दत्तमत	30,59,39,31	18,40,71,94
कुल वसूलियां		
<i>प्रभारित</i>	10	..

शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,60,55	..	- 89,45	..
..	..	- 1	..
37,56,24	..	- 44,85,27	..
94,03,22	..	+ 81,84,01	..
3,77	..	+ 3,74	..
48	..	- 9,52	..
3,60,97,66	..	- 1,19,79,80	..
1,08,80,39	7,54,58,18	- 38,42,54	- 1,33,21,57
..	89,24	..	- 1,24,66
..	..	- 1	..
2,93,65,66	53,53,00	- 67,46,35	- 1,09,97,02
1,50,91,99	..	- 1	..
42,00,00	..	- 1,18,00,05	..
20,99,30	1,18,84,76	+ 6,69,26	- 1,01,94,26
54,35,11	38,85	- 5,37,99	- 2,82,98
..	..	- 10	..
18,10,51,59	..	+ 5,94,51,59	..
..	- 1
1,24,58,97	..	+ 42,58,97	..
52,37,76	45,82,39	+ 10,71,33	- 1,45,22,59
2,19,34,24	31,71,85	- 10,36,53	- 55,49,31
27,96,28	2,09,32,77	+ 9,22,53	- 75,68,50
33,99,73,21	12,15,11,04	+ 3,40,33,90	- 6,25,60,90
..	..	- 10	..

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2018

www.cag.gov.in

विनियोग लेखे

*

2017-2018

*

राजस्थान सरकार